खण्ड-196, अंक-6
मंगलवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1880
(12 अगस्त, 1958 ई0)

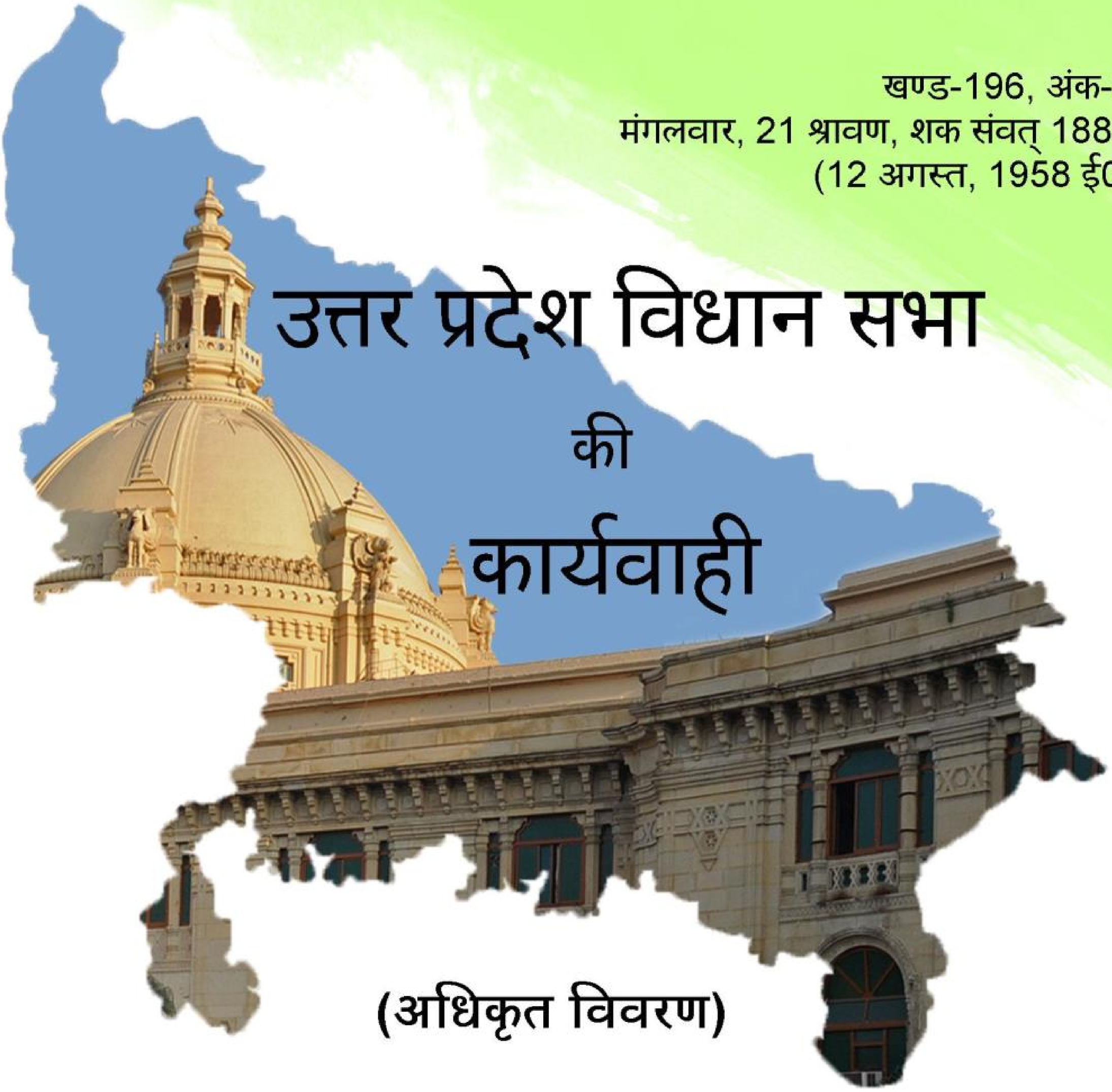

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४२९–४३३
प्रश्नोत्तर	४३३–४५२
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	४५३
प्रश्नोत्तर में उल्लिखित सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां देने के लिये प्रार्थना ..	४५४
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४५४
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४५४
१९५४–५५ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद (समाप्त)	४५४–४६६
गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	४६६–५०१
उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (स्थगित)	५०१
नत्थियां	५०२–५०५

संसदीय प्रलेख सेवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ अगस्त, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां , श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महवीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्री निवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चमोली-पीपल कोटि मोटर मार्ग निर्माण की मांग

**१—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री को मालूम है कि विगत मास जब मुख्य मंत्री केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा के लिये गढ़वाल पधारे तो स्थान-स्थान पर उनके सामने जनता ने चमोली-पीपलकोटि मोटर मार्ग निर्माण की मांग पेश की ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां।

कानपुर की कपड़ा मिलों में पुराना स्टाक

**२—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि कानपुर के कपड़ा मिलों में बहुत-सा कपड़ा बिना बिके पड़ा है ? यदि हां, तो वह कितना और किस प्रकार का है और इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, यह सच है कि कानपुर के कपड़ा मिलों में बहुत सा-कपड़ा बिना बिके पड़ा है। कपड़ा कितना और किस प्रकारका है इसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। कपड़ा जमा होने के निम्न लिखित कारण हैं—

१—जिस प्रकार का कपड़ा कानपुर की मिलें बना रही हैं उसकी मांग में कमी।
२—अधिक उत्पादन खर्च तथा कपड़ों के लागती मूल्य में चढ़ाव।
३—यातायात संबंधी कठिनाइयां।
४—मिलों में घिसी तथा पुरानी मशीनों द्वारा उत्पादन।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०२ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कपड़े की जो बहुत कीमत बढ़ गयी है वह खास कर ज्यादा सेल्स टैक्स होने के कारण बढ़ गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि सेल्स टैक्स अब नहीं है वह सेंट्रल एक्साइज में चला गया है।

नोटः—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कपड़ा उस जमाने का रह गया है जिस जमाने में कपड़े पर कन्ट्रोल था और इसीलिये यह बिक नहीं रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, यह कपड़ा पिछले ५-६ महीनों का ही पड़ा हुआ है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो कपड़ा वहां पर पड़ा हुआ है, उसकी कितनी कीमत है और कितना कपड़ा पड़ा हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कितना कपड़ा पड़ा हुआ है उसके आंकड़े तो उत्तर में बता दिये गये हैं लेकिन उसकी कीमत इस वक्त नहीं बतायी जा सकती ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पड़े हुए कपड़े के संबंध में जो सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने टेक्स्टाइल इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की थी, उसने इस प्रान्त के बारे में कोई रिपोर्ट देने का वादा किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसकी सिफारिशों को मैंने देखा है खास तौर से इस प्रान्त के लिये क्या सुझाव दिये हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उन्होंने कपड़ों की किस्म के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं जैसे कि कोर्स और मीडियम कपड़े के संबंध में ।

श्री राजनारायण---पुरानी मशीनें हो जाने के कारण जो ज्यादा खर्चा पड़ रहा है तो सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है जिससे कपड़ा सस्ता हो और बिक सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त यह सोचना बड़ा मुश्किल है । नयी मशीनों के लिये बहुत ज्यादा रुपये की आवश्यकता है तथा फारेन एक्सचेन्ज की कठिनाई है इसलिये बाहर से मशीनें मंगाना संभव नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अभी चेम्बर आफ कामर्स के उद्घाटन के समय जो सजेशन्स माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये थे, उनको देखते हुए क्या कोई कार्य हाथ में लिया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई खास बात कहना अभी तो मुश्किल है अभी १-२ माह की बात ही तो हुई है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि त्रिदलीय सम्मेलन में सूती मिलों के जांच के संबंध में कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट को आये हुए अभी १५, २० दिन ही तो हुए हैं । तो फिर अलग से जांच कमेटी बैठाने की कोई जरूरत इस वक्त नहीं मालूम होती ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये कपड़े जो बिना बिके हुए पड़े हैं, इनको बिकवाने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मिलों में पड़े हुये कपड़े को बिकवाने के लिये सरकार कोई खास कदम उठा नहीं सकती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कपड़ों के पड़े रहने का एक कारण यातायात की कठिनाई बतलाया गया है, इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, सरकार की तरफ से कोशिश होती रही है। यह कमेटी जिसका अभी जिक्र हुआ उस कमेटी ने भी इस किस्म का सुझाव दिया है कि उत्तर भारत में जो मिलें हैं उनको अपने कच्चे माल, रुई वगैरह को मंगवाने में दिक्कत पड़ती है और अपने माल को समुद्र के किनारे भेजने में जो दिक्कत पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे भाड़े के रेट्स में सुविधा दी जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कपड़े इस वक्त पड़े हुए हैं और बिक नहीं रहे हैं, उनमें कितने कोर्स हैं, कितने मीडियम हैं और कितने फाइन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फाइन तो होंगे ही नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आमतौर से फाइन कपड़ा तैयार नहीं होता, शायद ही कहीं हो कुछ, जो कुछ भी है वह कोर्स और मीडियम है। अलग-अलग कितना है उसके आंकड़े में सवाल के जवाब में बतला चुका हूं कि किस किस्म के कपड़े की कितनी गांठें हैं।

तारांकित प्रश्न

राजकीय निर्माण-कार्यों में सीमेंट और बालू का उचित अनुपात न होने की शिकायत

*१--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--निर्माण-कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित सीमेंट और बालू का अनुपात ठीक से प्रयोग न करने से निर्माण-कार्यों के खराब होने की शिकायतें प्रदेश के विभिन्न जिलों से सरकार के पास आने के बारे में १९५७ के द्वितीय सत्र के तीसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८३-८४ के उत्तरों के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की शिकायतें किन-किन जिलों से प्राप्त हुई थीं ?

श्री गिरधारीलाल--अलीगढ़, मेरठ तथा देवरिया जिलों से।

*२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार उन शिकायतों की छान-बीन की विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--चूंकि शिकायतें निराधार सिद्ध हो चुकी हैं अतः तत्संबंधित रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायतों की जांच कितने अधिकारियों ने की थी और शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

श्री गिरधारीलाल--शिकायतें तो जैसा कि प्रश्नकर्त्ता ने पूछा यही थीं कि अनुपात जो था सीमेंट, बजरी वगैरह का वह जो निर्धारित है उसके विपरीत था और जहां तक कि इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अनुसंधानशाला सरकारी जो है उसमें बिल्डिंग मेटीरीयल की परीक्षा की और परीक्षा में जो शिकायत थी वह निराधार मालूम हुई।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा साधन सरकार के पास है कि निर्माण-कार्य हो जाने के बाद यह पता लगाया जा सके कि इस स्थान पर सीमेंट और बालू किस अनुपात में प्रयोग किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--इसका साधन हमारे पास जैसा कि बतलाया अनुसन्धानशाला ही है। वहां उस भवन के थोड़े-से सामान को ले जा कर परीक्षा की जा सकती है कि वह ठीक है या नहीं।

गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों के लिये कोयले का कोटा

*३—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर और बनारस डिवीजनों के प्रत्येक जिले के लिये १९५७–५८ में कोयले का कितना-कितना कोटा सरकार ने निश्चित किया है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—इसकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०३ पर)

श्री मुक्तिनाथराय—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलों को कोयला एलाट करते वक्त वहां की आबादी का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, आबादी का भी ध्यान रखा जाता है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले को साफ्ट कोक तथा स्टीम कोक के केवल ९९ वैगन्स दिये गये हैं , तो क्या इतने बड़े जिले के लिये सरकार इतना ही कोयला पर्याप्त समझती है ?

न्याय मंत्री (श्री सयैद अली जहीर)—सिर्फ आबादी का ही लिहाज नहीं रखा जाता है और चीजों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कितनी इमारतें बन रहीं हैं । सब बातों का ख्याल करके एलाटमेंट होता है ।

श्री मुक्तिनाथराय—जिले की मांगों का पता सरकार किस प्रकार लगाती है ?

श्री सयैद अली जहीर—सरकार के पास पता लगाने के साधन हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले को कितना कोयला एलाटेड था वैगन्स की कमी की वजह से वह पहुंच नहीं सका ?

श्री सयैद अली जहीर—जितना एलाटेड था उससे ज्यादा वहां पहुंचा है । १६८ के बजाय १८८ वैगन्स पहुंच गया यानी १११ प्रतिशत देवरिया में पहुंचा ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले को जो कोयला एलाट किया गया है वहां के अधिकारियों ने बार-बार यह लिखा है कि यह कोटा बहुत कम है, इसे बढ़ा दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—पूरा प्रश्न गोरखपुर और बनारस डिवीजन के प्रत्येक जिले के बारे में है । आजमगढ़ के बारे में पूछ रहे हैं आप ?

श्री चन्द्रजीत यादव—जी हां, और उस संबंध में अभी बतलाया जा चुका है कि ९९ टन महज वहां एलाट किया गया ।

श्री सयैद अली जहीर—जी हां । एलाट किया गया ९९ टन लेकिन वहां पहुंचा १३८ टन ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोयला एलाट करते समय आबादी के अलावा और किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री सयैद अली जहीर—यह तो मैंने अभी अर्ज किया कि वहां की बिल्डिंग ऐक्टिविटी कितनी है, वहां डेवलपमेंट का काम कितना हो रहा है, कितनी वहां की आवश्यकता है, इन सब बातों का लिहाज किया जाता है ।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की ५८ वर्ष की अवस्था के पश्चात् २ वर्ष कार्यकाल में वृद्धि देने का अधिकार

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल कर्मचारियों के रिटायर किये जाने की प्रारंभिक (original) अवस्था ६० वर्ष नियत थी तथा ६५ वर्ष की अवस्था तक एक-एक वर्ष के लिये उनकी नौकरी की मियाद बढ़ाई जा सकती थी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां, पर सन् १९५५ में रिटायर किये जाने की अवस्था ५५ वर्ष नियत कर दी गई तथा विशेष दशा में ६० वर्ष की आयु तक एक-एक वर्ष के लिये नौकरी की मियाद बढ़ाने का प्राविधान रखा गया जिसमें प्रतिबन्ध यह था कि संबंधित कर्मचारी कार्यकुशल तथा स्वस्थ हो ।

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की है जिसके द्वारा उसने उन म्युनिसिपल कर्मचारियों के अलावा जिनकी अवस्था ३१ दिसम्बर, १९५५ को ५० वर्ष या अधिक थी शेष लोगों की रिटायर होने की अवस्था ५८ वर्ष नियत कर दी है और उनको Extension देना भी बन्द कर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार ने ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित की है जिसमें रिटायर किये जाने की अवस्था ५५ वर्ष से बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी गई पर ६० वर्ष की आयु तक Extension देने का वही प्राविधान अब भी लागू है जिसका उल्लेख प्रश्न ४ के उत्तर में किया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या यह बात ठीक है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की नौकरी की मियाद सरकारी कर्मचारियों के मुकाबिले में इसलिये ज्यादा रखी गई थी कि वह सुविधायें उनको नहीं मिलती हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वही ओरिजिनल मियाद कायम रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--ओरिजिनल मियाद कायम रखने का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह फैसला तो अभी ही किया है और हमारे सरकारी कर्मचारी तो ५८ पर रिटायर हो जायेंगे लेकिन स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी अगर कुशल हैं और स्वस्थ हैं तो ६० वर्ष तक चल सकते हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगर पालिकाओं के जो टीचर हैं उनको भी ६० साल तक एक्सटेंशन मिलने का प्राविजन है ?

श्री रामस्वरूप यादव--६० वर्ष के बाद में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा । ५८ वर्ष पर रिटायरमेंट की आयु रखी गई है । ५८ वर्ष के बाद एक-एक साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है यदि वह कर्मचारी स्वस्थ हो और कुशल हो ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को ५५ साल तक कार्य करने की इजाजत सिर्फ दी है, तो क्या सरकार उस फैसले को देखते हुए अपने इस फैसले को बदलने के लिये विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है यह प्रश्न । सरकार का प्रश्न नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सुविधायें नगरपालिका के कर्मचारियों को दी गई हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी दी गई हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव ---यह जो आदेश है सभी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित किया जायगा ।

*६-८-श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में शाहगंज तहसील के प्राइवेट व सहकारी भट्ठों को कोयला

*९---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज में सन् १९५७ और १९५८ में ईंट के भट्ठों को कितना कोयला दिया गया ? उसमें से कितना सहकारी भट्ठों को दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तहसील शाहगंज के प्राइवेट स्वीकृत ईंट के भट्ठों को १९५७ में ३१ वैगन और सन् १९५८ में २५ वैगन कोयला दिया गया । सहकारी भट्ठों को विकास आयुक्त द्वारा कोयले का कोटा अलग से मिलता है । इन भट्ठों को १ जुलाई, १९५६ से ३० जून, १९५७ तक ४५ वैगन तथा १९५७-५८ में ४० वैगन कोयला दिया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज में कितने प्राइवेट भट्ठे और कितने सहकारी भट्ठे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---शाहगंज में १९५७ में ५ भट्टे थे प्राइवेट और सहकारी थे ३ और सन् १९५८ में भी प्राइवेट थे ५ और सहकारी थे २ ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि इन सहकारी भट्ठों से कोयला चोरबाजारी में भी बिक जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी इत्तिला तो नहीं है, लेकिन खबरें इस तरह की मशहूर जरूर हैं ।

श्री रामलखनसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिस अनुपात से कोयला सरकारी भट्ठों को दिया जाता है उसी अनुपात से प्राइवेट भट्ठों को भी दिया जाता है ? यदि कम दिया जाता है तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---सहकारी भट्ठों को ज्यादा इसलिये दिया जाता है क्योंकि जितना डेवलपमेंट का काम होता है वह भी उन्हीं के ताल्लुक में होता है, इस वास्ते उनको ज्यादा दिया जाता है और यह सही है कि प्राइवेट को उनसे कम दिया जाता है ।

लखनऊ में सिंचाई के लिये अनफिल्टर्ड वाटर

*१०---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गर्मी में कितने दिन "unfiltered" पानी लखनऊ वाटरवर्क्स द्वारा दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---लखनऊ वाटरवर्क्स से पीने के लिये unfiltered पानी दिया ही नहीं जाता है केवल सिंचाई के काम के लिये unfiltered पानी अवश्य दिया जाता है । Monkey Bridge पर लगे हुए पम्प से ऐसा पानी लगभग ३,६०,००० गैलन प्रति दिन गर्मी (अप्रैल, मई) के दिनों में दिया गया ।

आगरा वाटर वर्क्स से पर्याप्त जल न मिलना

*११---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री को विदित है कि आगरा वाटरवर्क्स में पानी की कमी उत्तरोत्तर बढ़ रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या किया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—आगरा से पानी की कमी की शिकायत की सूचना गर्मी में आई थी और उसको दूर करने के जो कुछ भी उपाय तुरन्त हो सकते थे किये गये। KAVAL वाटरवर्क्स की तरह आगरा में भी Reorganization Scheme चल रही है और इसके पूरा हो जाने पर यह आशा की जाती है कि ऐसी दिक्कतें न रहेंगी।

हाथरस में श्रमिक क्वार्टरों के निर्माण का ठेका

*१२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में जो श्रमिक क्वार्टर अभी हाल में बने हैं उनका ठेका कितने रुपयों का था ?

श्री रामस्वरूप यादव—सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत केवल चौथे सोपान में कुल २१६ एक कमरे वाले क्वार्टर अभी हाल ही में हाथरस में बने हैं इनका ठेका कुल ५,११,४५६ रुपये का था।

*१३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष २८५ नये क्वार्टरों का ठेका कितने रुपयों का दिया गया है और उनके कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि चौथे सोपान के २१६ क्वार्टरों के अतिरिक्त और २८५ क्वार्टरों के बनाने की कोई योजना सरकार ने स्वीकृत नहीं की है।

*१४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ५०० क्वार्टरों के निर्माण में कुल कितना व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल २१६ ही क्वार्टर बने हैं जिन पर ५,८३,२०० रुपये तक व्यय होने की स्वीकृति सरकार ने दी है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार २ कमरे वाले २८५ क्वार्टर बनाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने उत्तर में कहा कि ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है और न अभी ऐसा कोई विचार हो रहा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन क्वार्टरों के बनाने से कुछ रुपया बचा है ? यदि हां, तो वह किस काम में व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल ५,८३,२०० रुपये की सैंकशन थी, उसमें से ५,११,४५६ खर्च हुआ है, जो रुपया बचा है, भविष्य में कोई योजना बनेगी तो वह उपयोग में आयेगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो क्वार्टर्स निर्माण हुये हैं उन के बारे में उनमें मेटीरियल ठीक न लगने की कोई शिकायत सरकार को मिली है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरी सूचना में ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं आई।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह क्वार्टर्स मजदूरों को किराये पर उठाये जायेंगे या उन्हें हायर परचेज सिस्टम पर दिया जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—मजदूरों को किराये पर दिये जायेंगे।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें बिजली और पानी की व्यवस्था हो गयी है और जब किराये पर उठाये जायेंगे तो इनका किराया क्या होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---बिजली और पानी की अभी व्यवस्था नहीं हुई है । जल्दी ही हो जायगी और जिस वक्त वह तैयार हो जायेंगे उसी वक्त मजदूरों को दिये जा सकेंगे ।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन पर ये क्वार्टर्स बने हैं उस जमीन की लागत क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---क्वार्टर्स की लागत के आंकड़े तो हमारे पास हैं । जमीन की लागत जानने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

ललितपुर सब-डिवीजन में डाकुओं द्वारा एक रेंजर से कारतूस लेना

*१५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या न्याय मंत्री को पता है कि अभी कुछ दिन हुये जब ललितपुर सब-डिवीजन, झांसी के एक रेंजर को डाकू पकड़ ले गये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि डाकुओं ने डी० एफ० ओ० साहब को पकड़ लिया और उनको तब छोड़ा जब उन्होंने कारतूस देने का वादा किया ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि जो हमारे अधिकारी होते हैं, वन विभाग के, उनको बड़ी मुश्किल होती है । उनको तो करीब-करीब इन्हीं डाकुओं के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि जंगल में और कोई वाकया हो जाय तो न तो उसका किसी को पता चल सकता है और न उसका कोई सबूत गुजर सकता है । अगर वैसे वाकये होते हैं तो वह उसकी रिपोर्ट नहीं करते ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की कोई सरकार के पास सूचना है कि कितने कारतूस रेंजर के गायब हुये या वह डाकू लोग ले गये ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक सूचना है, कोई कारतूस गायब नहीं हुये ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन रेंजर साहब को डाकू पकड़ कर ले गये थे, उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका जवाब तो "जी नहीं" दे दिया गया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने उस क्षेत्र के अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुश्किल यह है कि जंगल में कोई उनका इन्तजाम नहीं किया जा सकता । वैसे उनके पास हथियार वगैरह होते हैं, लेकिन एक आदमी के पास अगर हथियार भी हों तो भी वह ज्यादा हथियारबन्द लोगों का कैसे मुकबला कर सकता है ?

फांसी की सजा कम करके आजीवन कारावास में बदलना

*१६---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ व १९५८ में अभी तक प्रदेश में कितने मुलजिमों को फांसी की सजा दी गई ? इन सजा पाये लोगों में सरकार की सिफारिश पर कितने अपराधियों की सजायें बदल दी गईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सन् १९५७ में ८० अपराधियों के मृत्युदन्ड की पुष्टि की गई थी जिनमें से ३९ अपराधियों का मृत्युदंड गवर्नर अथवा राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया गया है । सन् १९५८ में अभी तक ७३ अपराधियों के मृत्युदन्ड की पुष्टि हुई है जिनमें से ९ अपराधियों का मृत्युदन्ड आजीवन कारावास में बदल दिया गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृत्यु दन्ड पाये हुये अपराधियों का दन्ड आजीवन कारावास में बदलने के सम्बन्ध में कोई सलाह मंत्रिमंडल की तरफ से महामना राज्यपाल को दी जाया करती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, दी जाती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस दी जाने वाली सलाह का आधार क्या होता है, किन ग्राउंड्स पर दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो हर केस के ऊपर इसका दारोमदार होता है कि कैसा मुकदमा है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने मृत्यु-दन्डों की सजाएं जीवन काल के लिये कर दी गई हैं उनमें से कितने गवर्नर महोदय ने और कितने राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी कहा कि १९५७ में ८० आदमियों के लिये हुआ था । उनमें गवर्नर महोदय ने २० को कम्यूट किया और राष्ट्रपति जी ने १९ को किया । १९५८ में ९ आदमियों का कम्यूट हुआ है बाकी कुछ दरख्वास्तें पेंडिंग हैं ।

'परिपूर्णानन्द बनाम राजनारायण' मानहानि केस में कानपुर, के एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध लांछन

*१७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि कानपुर के किसी आनरेरी मजिस्ट्रेट के विरुद्ध परिपूर्णानन्द बनाम राजनारायण मान हानि केस में हाई कोर्ट ने गत मास नवम्बर-दिसम्बर, में कोई लांछन (strictures) लगाये हैं ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—(१) जी हां ।

(२) उनका कार्यकाल जो ३० जून, १९५८ को समाप्त हो रहा था आगे नहीं बढ़ाया गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तत्संबंधी आनरेरी मजिस्ट्रेट ने नई सूचना में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र फिर से दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रार्थना-पत्रों पर तय नहीं होता है बल्कि जिलों से सिफारिशें आती हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि जो स्ट्रिकचर्स हाई कोर्ट ने पास किये हैं, वे क्या हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह इतना स्ट्रिकचर्स का प्रश्न नहीं था बल्कि स्टे आर्डर हाईकोर्ट से निकला और वह १० अक्तूबर को लागू हुआ था जो ११ अक्तूबर को संध्या के ६ बजे मिला । इसमें माननीय राजनारायण जी ने एक आवेदन-पत्र दिया था उसकी बिना पर वह निकला था । माननीय राजनारायण जी या उनकी ओर से १० अक्तूबर को प्रार्थना की गई थी कि जो ऐफीडेविट हाई कोर्ट में दिया था उसका स्टे आर्डर हाई कोर्ट से निकल चुका है लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसको स्वीकार नहीं किया और कहा कि स्टे आर्डर अगर निकला है तो मेरे पास आना चाहिये था । जब तक वह नहीं आया तो उन्होंने स्टे नहीं किया और राजनारायण जी का वारन्ट निकाल दिया । इसके ऊपर उन्होंने मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलाया । इस पर यह

कहा गया कि जब ऐफिडेविट दिया गया था तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये था और उनके विरुद्ध वार्निंग इश्यू की और गवर्नमेंट से सिफारिश की कि इनको आनरेरी मजिस्ट्रेट न रखा जाय। इस स्थिति में उन्होंने लिखा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि जज महोदय ने यह भी लिखा है कि हाई कोर्ट ने जो स्टे आर्डर भेजा था वह मजिस्ट्रेट को ८ तारीख को मिल गया था और इसकी सफाई भी नहीं दी गई कि ८ तारीख का जिलाधीश का आर्डर कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री सैयद अली जहीर--जिलाधीश का तो उसमें सवाल था नहीं। आनरेरी मैजिस्ट्रेट का था। उनके पास कोई आर्डर ११ की शाम के पहले नहीं पहुंचा।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि उन्हें हटा दिया जाय तो सरकार ने उन्हें तत्काल हटा दिया या उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद हटाया ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हाईकोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो वार्निंग दी है वह वार्निंग क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, यह सवालात जो हैं एक पब्लिक डाकूमेंट के मुताल्लिक हैं। माननीय सदस्य उसको पढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप यही जवाब दे दें। आप को पहले ही जवाब देना चाहिए था कि वह उसे देख लें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि हाई कोर्ट ने लिखा है कि यदि राजनारायण और परिपूर्णानन्द वर्मा के मुकदमे में सुलह न हो गयी होती तो मैं इस मैजिस्ट्रेट को जेल में ले जाता और इसको हैवी जुरमाना करता, चूंकि इस मुकदमे में सुलह हो गयी है इसलिये चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं कि उनको इस पद पर हरगिज न रखा जाय और उनको समाप्त कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--मैंने जैसा अर्ज किया वह एक पब्लिक डाकूमेंट है। उस में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है यह माननीय सदस्य जान सकते हैं।

*१८-१९--श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में सस्ते अनाज की दुकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*२१--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में प्रति ५,००० की आबादी पर सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो ये दुकानें किसके सुझाव पर खोली जायेंगी ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। दुकानें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

नोट:--तारांकित प्रश्न २१ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा।

*२२-२३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

१९५५ व १९५६ में फांसी की सजायें

*२४--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने व्यक्तियों को सन् १९५५ और १९५६ में पृथक-पृथक मृत्यु दन्ड दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सन् १९५५ तथा १९५६ में क्रमशः ३४ तथा ३६ व्यक्तियों के विषय में मृत्युदन्ड निष्पादित हुआ ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार कैपिटल पनिशमेंट की समाप्ति के प्रश्न पर कोई विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--यहां तो नहीं विचार हो रहा है लेकिन मेरा खयाल है केन्द्रीय सरकार में कुछ विचार हुआ था इसके ऊपर । लेकिन सलाह यह हुई कि इस वक्त मसलहत नहीं है इसको खत्म करना ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन ३४ और ३६ व्यक्तियों को मृत्यु दन्ड दिया गया था उनमें से कितनों को मृत्यु दन्ड मिल चुका है और कितनों की अपील सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चल रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह की अपील खत्म हो जाती है तब सवाल होता है कि आया जो फैसला हो चुका है उनको फांसी दिये जाने का उसको बदला जाय या न बदला जाय । अपील वगैरह का उसमें कोई सवाल नहीं रहता ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९५५ में जिन ३४ और १९५६ में ३६ आदमियों को मृत्यु दन्ड की सजा दी गई उनमें से कितनी संख्या औरतों की थी ?

श्री सैयद अली जहीर--आम तौर से औरतों को फांसी की सजा नहीं दी जाती ।

*२५-२७--श्री भगवती सिंह विशारद--[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८-२९--श्री भुवनेश भूषण शर्मा--[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

दुद्धी तहसील में पेय जल-कष्ट निवारणार्थ कार्य

*३०--श्री आनन्द ब्रह्मशाह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुद्धी में पानी पीने का अधिक कष्ट है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, कुछ स्थानों में बरसात के मौसम में पानी कम बरसने के कारण मई और जून के महीने में पीने के पानी का कष्ट हो जाता है । इस कष्ट के निवारणार्थ दुद्धी तहसील में बहुत से कुयें, तालाब व बंधियाँ बनवा दिये गये हैं ।

केन्द्र से अधिक अन्न मांगने का सुझाव

*३१--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च सन् १९५८ से अब तक प्रति माह केन्द्रीय सरकार से कितना गल्ला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है और इन्हीं महीनों में राज्य सरकार ने कितने गल्ले की केन्द्र से मांग की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मार्च, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक राज्य सरकार द्वारा मांगे गये तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुये गल्ले की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. ५०४ पर)

*३२--**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की खाद्य समस्या को देखते हुये सरकार खाद्य नियंत्रण करने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यदि नियंत्रण का आशय सम्पूर्ण राशनिंग से है तो सरकार का ऐसा विचार नहीं है किन्तु बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिये उचित नियंत्रणात्मक उपाय किये गये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये जो उचित नियंत्रणात्मक उपाय बताये गये हैं वह सरकार ने अब तक क्या क्या किये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ये आज्ञायें कई प्रकार की हैं। एक तो चावल वगैरह जो हमारे पूर्वी क्षेत्र और जिस क्षेत्र में पैदा होता है, यहां से बाहर भेजना बन्द कर दिया गया। और यह गेहूं और गेहू से जो चीजें बनती हैं उन सब को उन यू० पी० के फ्लावर मिलों से बाहर भेजना बन्द किया गया है। इसके अलावा यह जो रोलिंग फ्लावर मिल हैं इनके लिये गेहूं का खर्चा अपने प्रदेश में बन्द किया गया। इसके अलावा यह जो चावल के मिल्स और अन्न के व्यापारी हैं उन सब के लिये लाइसेंसिंग का नियम चालू किया गया। इसके अलावा यह फारवर्ड कंट्रैक्ट के सट्टे का जो कारोबार है फूड ग्रेन्स के सम्बन्ध में इसको पूरे तौर पर बन्द कर दिया गया। इसके अलावा जो फेयर प्राइस शाप्स हैं वह ३१ मई तक २,३१८ थीं इनको १,१२९ और बढ़ा दिया गया है। पहले केवल पूर्वी जोन में या पहाड़ी क्षेत्र में थीं, अब प्रदेश के अन्य भाग में भी खोल दी गईं। इसके अलावा यह जो केवल गेहूं दुकानों पर दिया जाता था पूर्वी इलाके में अब मोटा अनाज भी वहां दिया जाने लगा है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को इसका भी अधिकार दिया है कि वह जब चाहे जहां कहीं भी सम्भव हो वहां गेहूं और चावल के स्टाक को रिक्वीजिशन कर ले। इसके अलावा कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, बरेली और मेरठ के स्थानों पर परिचय-पत्र लागू किया जा रहा है। इसके अलावा मुहल्ला कमेटी भी गल्ले की दुकानों के सम्बन्ध में स्थापित की गई हैं और उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका से यह स्पष्ट है कि अगस्त, १९५८ में केन्द्रीय सरकार से ४५ हजार टन गेहूं मांगा गया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने केवल ३५ हजार टन गेहूं दिया ? तो प्रदेश की भयंकर खाद्य स्थिति को देखते हुये प्रदेशीय सरकार फिर केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करेगी कि वह ४५ हजार टन गेहूं उनको अलाट किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--इसके लिये कई बार प्रार्थना की जा चुकी है लेकिन उन्होंने यह कहा है कि अगर उनके पास और गेहूं आ गया और जो दूसरी जगहों से मांग आ रही है उससे कुछ बचा तो वह देंगे वरना अपनी मजबूरी उन्होंने जाहिर की है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गेहूं की मंहगाई को रोकने के लिये उसने केन्द्रीय सरकार से इस बात की प्रार्थना की है कि गेहूं की अन्तः प्रान्तीय आवागमन पर जो रुकावट है उसको हटा लिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--यह मसला जो रोक हटाने का है यह काफी उलझन का है। अगर रोक हटाई जायगी तो जाहिर है कि हमारे प्रदेश से भी हटेगी और हमारे बराबर का जो सूबा है बिहार वहां की सूरते हाल यहां से भी खराब है। मुमकिन है कि पंजाब से रोक हटाने पर हमें कुछ फायदा हो लेकिन यहां से बिहार को जाने की रोक हटने पर हमें

फायदा नहीं हो सकता है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार इसके लिये तैयार नहीं है कि वह पंजाब गवर्नमेन्ट को मजबूर करे कि वह अपने यहां से रोक हटावे। इसलिये गालिबन इस तरह की कार्यवाही करने से और उलझन पैदा होगी बजाय कोई फायदा होने के।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मई, १९५८ में जब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी उस समय प्रदेश के स्टाक में कुल कितना गल्ला था और उस समय खुली हुई दूकानों के लिये कितने दिन के लिये वह पर्याप्त था?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त स्टाक की पोजीशन तो मेरे सामने नहीं है लेकिन जो दुकानें मई में खुली हुई थीं वह खाली पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्र में खुली थीं और उनके लिये बहुत काफी गल्ला हमारे पास मौजूद था।

*३३-३४—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—श्री चन्द्रजीत यादव—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३६—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[२७ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३७-३८—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में हाउस टैक्स बढ़ने के विरोध में आवेदन-पत्र

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका के प्रशासन ने वहां का हाउस टैक्स बढ़ाने की घोषणा की और उसकी स्वीकृति सरकार ने दे दी है?

श्री राम स्वरूप यादव—जी हां।

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार के पास वहां के नागरिकों ने बढ़ाये हुये टैक्स के विरोध में कोई मैमोरेन्डम भेजा है? यदि हां, तो वह मैमोरेन्डम क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। उस मेमोरेन्डम में कहा गया है कि गृह-कर की दरें अधिक हैं और यह सुझाव दिया गया है कि जब तक निगम का निर्माण न हो जाय तब तक कर की दरों में कोई वृद्धि न की जाय। सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है।

*४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद नगरपालिका के दफ्तर के सामने कई कांग्रेस के लोगों ने कई दिन तक भूख हड़ताल की थी? यदि हां, तो क्या कारण था?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। यह हड़ताल उक्त गृह कर की दरों के विरोध में की गई थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार जब तक यह विचार कर रही है तब तक बढ़े हुये कर को रोकने के लिये नगरपालिका को आदेश देगी?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा विचार नहीं है। मैमोरेंडम पर विचार हो जाने के बाद ही अंतिम आदेश दिये जा सकेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतलायेगी कि बढ़े हुये टैक्सेज से कितना धन वसूल होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले कर था ५,०६,६८३ रुपया और अब बढ़ा हुआ टैक्स ७,३१,०९७ रुपया हो जायगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—सरकार के पास जो इलाहाबाद की विभिन्न पार्टियों और नागरिकों से जो मेमोरेंडम आये हैं उन पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—कई पार्टियों ने मेमोरन्डम अवश्य भेजे हैं और उन पर विचार किया गया लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कुल कितना समय लगेगा ।

*४२—श्री प्रतापसिंह—[२६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

दोहरीघाट में घाघरा नदी पर पुल की आवश्यकता

*४३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट में घाघरा नदी पर पुल निर्माण और मऊ में टोंस नदी के टूटे पुल की जगह नये पुल निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—दोहरीघाट में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने इसके आगणन पर अभी तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है ।

टोंस नदी पर मऊ में पुल पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ होने वाला है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पुल को बनाने की आवश्यकता के लिये कोई सिफारिश की थी ?

श्री गिरधारी लाल—केन्द्रीय सरकार को सिफारिश का तो कोई सवाल ही नहीं है। यह तो उनकी मर्जी के ऊपर ही यह पुल बन सकता है चूंकि यह नेशनल हाई वे के ऊपर है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट पर पुल बनाने के लिये जो केन्द्रीय सरकार ने अभी स्वीकृति नहीं दी है, उस पुल के बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को रिमाइन्डर देगी कि केन्द्रीय सरकार इसकी जल्दी स्वीकृति दे ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसा मालूम होता है कि बहुत जल्दी वहां से इसके लिये स्वीकृति आ जायगी । अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिमाइन्डर जरूर दिया जायगा ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब तक यह पुल नहीं बनाया जाता है, तब तक वह इस नदी पर चह बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जो व्यवस्था इस वक्त है, वह रहेगी ।

*४४-४५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २६ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

हाथरस मुन्सफी में विचाराधीन मुकदमे

*४६—श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस मुन्सफी में नालिश के कितने मामले विचाराधीन हैं और उनमें से कितने मामले हैं जो एक वर्ष से अधिक से चल रहे हैं ?

नोट:—तारांकित प्रश्न ४३ श्री चन्द्रजीत यादव ने पूछा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—हाथरस मुन्सफी में ७६१ सामान्य तथा १५७ खफीफा के मुकदमें विचाराधीन हैं जिनमें ४३३ सामान्य और २ खफीफा के मुकदमें एक वर्ष से अधिक से चल रहे हैं ।

इटावा–ग्वालियर सड़क के कुछ भागों को सीमेंटेड करने की प्रार्थना

*४७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार इटावा से ग्वालियर जाने वाली सड़क के उस पांच मील के टुकड़े को शीघ्र ही डामर या सीमेंट का बनाने की कृपा करेगी जो जमुना तथा चम्बल के बीच पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, सड़क के कथित भाग को डामर या सीमेंट का करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह सड़क जो १५ मील का टुकड़ा है जमुना और चम्बल के बीच में, यह मध्य प्रदेश से जाकर जुड़ता है और सड़क की हालत क्योंकि बहुत खराब है और इस के कारण जो बीच के गांव पड़ते हैं उनको बहुत परेशानी है और वे गांव सड़क के दोनों ओर बसे हुये हैं, तो क्या सरकार उन गांवों के पास की सड़क को पक्की कराने पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने जैसा कहा, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—निकट भविष्य का मतलब अगर तीसरे प्लान से हो तो उसमें हम विचार कर लेंगे ।

अलीगढ़-आगरा सड़क से मिलने वाली सासनी हस्तपुर सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*४८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़–आगरा सड़क को अलीगढ़–मथुरा से मिलाने वाली सासनी–हस्तपुर ९ मील की रोड को, जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने किया था, पक्का कराने के सम्बन्ध में सरकार कब तक अपनी योजना पूरी करा सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

गोरखपुर जिले में कुछ पुल बनवाने की प्रार्थना

*४९—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर जिले में नौतनवा–ठूठवारी रोड पर रोहिन, बघेला महाव तथा झरही नदियों पर पुल बनाने का प्रबंध कर रही है ।

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

कानपुर जिले में बिल्हौर–रसूलाबाद सड़क पक्की करने की आवश्यकता

*५०—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला कानपुर के रसूलाबाद और ककवन एन० ई० एस० ब्लाक ने बिल्हौर–रसूलाबाद सड़क को पक्का कराने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग, जी नहीं ।

द्वितीय भाग, प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीतापुर जिले की सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समिति

*५१—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिले हैं जहां पर अब तक जिला सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समितियों का निर्माण नहीं हो सका है ?

श्री गिरधारी लाल चौधरी—कोई ऐसा जिला नहीं है ।

श्री गनेशीलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर जिले की सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समिति कब बनी और उसका चेयरमैन कौन है ?

श्री गिरधारीलाल—समिति तो जितनी भी हैं वह तमाम असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और हेडक्वार्टर के म्युनिसिपल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन सब को मिला कर बनती है । जैसा कि प्लानिंग की एक कमेटी है । यह भी एक कमेटी बनी हुई है । वहां पर मेम्बर्स जो हैं वह इसके चेयरमैन को अभी चुन नहीं पाये हैं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—वर्ष में कितनी बार इस समिति का बुलाना आवश्यक है ?

श्री गिरधारी लाल—मैं समझता हूं कि ३ महीने में १ बार बुलाना जरूरी है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या जौनपुर जिले में इस समिति की बैठक अभी एक बार भी नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष—यह जौनपुर का सवाल नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या जिला सीतापुर व हरदोई में इस समिति की एक भी बैठक डेढ़ साल से नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष—अलग-अलग हर जिले का सवाल नहीं पूछा जा सकता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर्स को ऐसी हिदायत भेजेंगे कि ३ महीने में कम से कम एक बार समिति की मीटिंग हो जाया करे ?

श्री गिरधारीलाल—यह बात जरूर देखली जायगी ।

इलाहाबाद की सीवर योजना

*५२—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में सीवर बनाने की योजना कितने धन की थी और उसमें कितना धन अब तक व्यय हो चुका है तथा जो सीवर बन चुके हैं उनका उपयोग हो रहा है या नहीं ?

श्री राम स्वरूप यादव—इलाहाबाद में सीवर बनाने की योजना जल निर्गम प्रणाली योजना का एक अंग है । यह सम्पूर्ण योजना ८०·७७ लाख रुपये की अनुमानित धनराशि की है । इस योजना में ३० जून, १९५८ तक १९.८४ लाख रु० से कुछ अधिक व्यय हो चुका है । इस धन से निर्मित ७४,००० फीट लम्बे मल प्रणालों (sewers) में से १७,५५० फीट लम्बे मल प्रणाली उपयोग में आ चुके हैं और शेष लम्बाई कुछ ही महीनों बाद उपयोग में आने की आशा है ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि जो शेष है वह क्यों नहीं चालू हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसमें कुछ काम बाकी है। मैंने तो निवेदन किया कि वे जल्दी ही काम में आ सकेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि शेष हिस्सा चोक हो गया है और उसमें मिट्टी भर गई जिसके लिये ठेकेदार ने कई लाख रुपये मांगे हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—डिटेल्स के लिये सूचना चाहिये।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में वन महोत्सव

*५३—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में जब से वनमहोत्सव प्रारम्भ हुआ कितने पेड़ आज तक लगाये गये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में जब से वन महोत्सव प्रारम्भ हुआ कुल १४,९८३ पेड़ लगाये गये।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लगाये गये पेड़ों में से कितने इस वक्त तक जिन्दा हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इसका हिसाब इस वक्त बतलाना बहुत मुश्किल है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—जो पेड़ लगाये गये हैं। इनमें सरकार का कितना व्यय हो चुका है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय इसकी सूचना नहीं है।

राज्य की पेय जल योजनायें

*५४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ व १९५७-५८ में प्रदेश में उसने कौन-कौन सी पाने के पानी की योजना कहां-कहां बनाई और उनका अलग-अलग कितना तखमीना है और अब तक उनमें कितना-कितना रुपया खर्च हो चुका है?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक पूरी हो जायगी और मिल जाने पर इसकी एक प्रति मुझे भेजने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—उसे एकत्रित करने में समय काफी लगेगा और मिलने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

बदायूं जिले में कछला-कादर चौक सड़क पक्की करने की आवश्यकता

*५५—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कछला से कादर चौक तक कोई पक्की सड़क बनाने पर वह विचार कर रही है? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बनने की सम्भावना है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—वहां के क्षेत्र में कोई और सड़क न होने के कारण और वहां की क्राइम पोजीशन को देखते हुये क्या मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे कि वहां अवश्य सड़क बनाई जाय?

श्री गिरधारीलाल--वर्तमान प्लान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इन सड़कों पर भी विचार कर सकें।

[वाराणसी जिले की धानापुर-महजी सड़क पर अटौली तथा सिसौड़ा के पास पुलों का धंस जाना

*५६--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला वाराणसी के धानापुर-महजी सड़क पर अटौली तथा सिसौड़ा के पास दो पुल हैं, जो टूट कर धंस गये हैं, जिस से यातायात में अत्यन्त कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस कठिनाई को शीघ्र दूर कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या मंत्री जी बतावेंगे कि यह सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--लगभग दो महीने लग जावेंगे ?

कबाल टाउन्स में वाटर वर्क्स को अनुदान तथा ऋण

*५७--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कबाल शहरों के वाटरवर्क्स की क्षमता प्रति व्यक्ति क्या है और कितना पानी औसत प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है ?

*५८--उपरोक्त शहरों में से किन-किन शहरों में इस वर्ष पानी की कमी विशेषतौर से पायी गयी और उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है तथा गत १० वर्षों में कबाल टाउन्स के वाटरवर्क्स को क्या-क्या सहायता कर्ज और अनुदान के रूप में दी गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जौनपुर-खुटहन सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*५९--श्री माताप्रसाद--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर-खुटहन रोड जो बरैया तक १० मील पक्की बन चुकी है कब तक पूरी पक्की हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--यह सड़क अंतरिम जिला परिषद् की है और इसको पक्का करने का कार्य निर्माण विभाग की योजना में सम्मिलित नहीं है ।

श्री माताप्रसाद--क्या मंत्री जी इस सड़क की महत्ता को देखते हुये इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--नहीं, अभी तो हम इसे नहीं ले सकेंगे ।

*६०-६१--श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--[१ सितम्बर, १९५८ में प्रश्न संख्या १०५-१०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन अपीलें

*६२--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में १ मई, १९५८ को कितनी और कितने साल पुरानी First Appeals और Second Appeals अनिर्णीत पड़ी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--एक तालिका सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०५ पर)

मैनपुरी-किशनी सड़क पर लेखराजपुर के पास नदी का पुल बनवाने की आवश्यकता

*६३—श्री गनेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार मैनपुरी जिले में मैनपुरी से किशनी रोड़ पर लेखराजपुर के पास नदी का पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद्, मैनपुरी की है अतः इस सम्बन्ध में परिषद् से पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पत्र-व्यवहार कितने दिनों से हो रहा है और उसमें क्या बातचीत चल रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह एक नदी का पुल कच्ची सड़क पर वाक़य है जो समान तक १२ मील की है । अन्तरिम जिला परिषद् मैनपुरी ने २०,००० रुपया सरकार से कर्जा लिया था कि अगर सम्भव होगा तो पुल बनावेंगे । लेकिन किस स्थान पर वह पुल होना चाहिये, यह निश्चित नहीं हुआ है और न तखमीना ही बना है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—स्थान कब तक नियत हो सकेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह अन्तरिम जिला परिषद् का विषय है जिसके माननीय सदस्य स्वयं सदस्य हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २०,००० रुपया इसके लिये रखा था वह लैप्स हो गया है या बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह लैप्स नहीं हुआ है । वह सरकार से कर्जा पुलियां बनाने के लिये दिया गया है और जो निर्माण हो सकें वे उसमें हो जावेंगे ।

आजमगढ़ जिले में मधुवन-बिल्थरा सड़क के निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा

*६४—श्री रामचन्द्र पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन-बिल्थरा रोड, जिला आजमगढ़ की सड़क के निर्माण के लिये जो भूमि ली गई है उसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—कथित मुआवजे का वितरण दिनांक १४ सितम्बर १९५७ को किया जा चुका है ।

द्वितीय भाग—सरकार द्वारा मुआवजे की धनराशि बढ़ाये जाने के कारण मुआवजे की रकम को पुनः निर्धारण करना पड़ा तथा बढ़ी हुई धनराशि का प्रबन्ध करना पड़ा ।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह बढ़ी हुई धनराशि कब तक किसानों को लौटा दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—वह तो दिनांक १४ सितम्बर १९५७ ई० को ही दे दी गयी है ।

श्री गौरीशंकर राय—सरकार ने मुआवजे की धनराशि बढ़ायी थी, तो वह बढ़ी हुई धनराशि कब तक उनको मिल जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इसमें बढ़ा हुआ मुआवजा लगाया गया है वह दे दिया जा चुका है, देर का खास कारण यह है कि पहले जो मुआवजा था वह कम दिया जा रहा था । उसके बाद सरकार के आदेश से वह मुआवजा बढ़ाया गया और उसके देने का इन्तजाम किया गया ।

नोट:—तारांकित प्रश्न ६४ श्री गौरीशंकर राय ने पूछा ।

मैनपुरी जिला बोर्ड का सड़कों के निर्माण पर व्यय

*६५—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, मैनपुरी ने १९५६-५७ के अनुदानों में किस सड़क पर कितना रुपया अलग-अलग व्यय किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५६-५७ ई० में भूतपूर्व जिला बोर्ड, मैनपुरी को सड़कों के लिये १९,४०० रु० अनुदान स्वरूप दिये गये और बोर्ड ने २,३५१ रु० ११ आने अपने कोष से व्यय किये। जिन विभिन्न कच्ची सड़कों की मरम्मत पर उक्त धनराशियां व्यय की गईं और प्रत्येक सड़क पर किये गये व्यय का वितरण इस प्रकार है :—

		रुपये	आना	पाई
१—मुस्तफाबाद फरिहा रोड की मील सं० ४	..	६४७	०	०
२—उपर्युक्त रोड की मील सं० १, २ व ३	..	१३,३०५	९	०
३—घोरोर कुरावली रोड की मील सं० १ से १५ तक	..	५,१६८	८	०
४—मैनपुरी रापरी रोड	..	१,०१२	५	०
५—सिरसागंज अरौन रोड ..	..	१,६२६	५	०
कुल योग	..	२१,७५९	११	०

श्री मलिखान सिंह—क्या यह सही है कि फरिहा मुस्तफाबाद सड़क की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी कि कुरावली-घिरोर सड़क की हालत खराब थी ?

श्री राम स्वरूप यादव—ये दोनों ही सड़कें कच्ची थीं, लेकिन पहले फरिहा वाली बनाना आवश्यक था क्योंकि वहां पर आने जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है लेकिन कुरावली व घिरोर पर प्राविन्शियल सड़क बनी हुई है।

श्री मलिखानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुस्तफाबाद और और फरिहा केवल ७ मील है और कुरावली-घिरोर १७ मील का टुकड़ा होते हुये १५ मील तक ५,१६८ रुपया ही क्यों दिया गया ?

श्री राम स्वरूप यादव—घिरोर-कुरावली सड़क कच्ची है और मुस्तफाबाद से फरिहा की सड़क दो मील पक्की की जा चुकी है। उसके लिये जिला बोर्ड ने निश्चय किया था कि कुल टुकड़े को पक्का कर दिया जाय। इसलिये उस पर यही खर्चा होगा।

श्री मलिखानसिंह—जिस समय सभासचिव जिला बोर्ड में थे उस समय उन्होंने किरावली और घिरोर की सड़क को पहले पक्की करने का विचार किया था या फरिहा का ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल उनसे जिले में ही पूंछते तो ज्यादा अच्छा होता। वे इस समय यहां पर जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट की हैसियत से नहीं हैं।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—यह अनुदान पुरानी सड़कों की मरम्मत का था या नई सड़कों के लिये दिया गया था ?

श्री राम स्वरूप यादव—इस तरह का अनुदान हर जिले को दिया जाता है उन सड़कों के लिये जो पी० डबल्यू० डी० ने पोस्टवार स्कीम में जिला बोर्डों से ले ली थी। लेकिन सन् १९५३ में वापस कर दी थीं। उस रुपये को जिला बोर्ड उन्हीं सड़कों पर व्यय कर सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया।]

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव एक श्री मलिखानसिंह ने भेजा है और दूसरा भुवनेश भूषण शर्मा जी ने । इसमें बाढ़ के सम्बन्ध में कई जिलों के बारे में जिक्र है । मलिखानसिंह जी ने सहारनपुर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा मैनपुरी और झांसी आदि का जिक्र किया है और श्री भुवनेशभूषण जी ने ज़िला फतेहपुर के परगना मौथ, थाना रुधौली जहां जमुना की बाढ़ है उसका जिक्र किया है ।

मैं कल इसके बारे में कह चुका कि बाढ़ इधर-उधर आती ही जायगी और रोज़-रोज इस तरह के कामरोको प्रस्ताव में स्वीकार नहीं कर सकता । मैं आज मंत्री जी को भी तकलीफ नहीं दूंगा कि वे इस सम्बन्ध में आज कोई सूचना भी दें । हां, इतना जरूर मैं कहूंगा कि कल चूंकि सदन उठेगा इसलिये कल तक बाढ़ की स्थिति के बारे में कि किस जिले में बाढ़ की क्या परिस्थिति है उसके बारे में कल सूचना देना चाहें तो प्रश्नों के बाद वे संक्षेप में दे सकते हैं । उनको इतनी इजाजत दे सकूंगा, किन्तु बाढ़ के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करूंगा ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (ज़िला अल्मोड़ा)--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । आज माल मंत्री जी तशरीफ नहीं रखते हैं । क्या उनको पहले से मालूम था कि उनको आज इसके सम्बन्ध में कष्ट नहीं दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य यहां मौजूद हैं । कामरोको प्रस्ताव के बारे में किसी मंत्री को यह सपना नहीं पड़ता है कि किस विषय पर प्रस्ताव आने वाला है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--कल, श्रीमन्, बलिया के कामरोको प्रस्ताव में मंत्री जी ने कहा था कि बलिया की रिपोर्ट नहीं आयी है । अब वह आ गयी हो तो मंत्री जी आ गये हैं बतला दें ।

श्री अध्यक्ष--अब जो कुछ कहना होगा वे कल ही कहेंगे ।

श्री रूमसिंह (ज़िला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, मेरे कलके प्रस्ताव के बारे में मंत्री जी ने ९ तारीख को बतला दिया, लेकिन मैं १० तारीख की रात को यहां आया हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके वह उनके पास भेज दें । बाढ़ों के सम्बन्ध में जो सूचनाएं देनी हैं वे अब कल ही देंगे ।

श्री रूमसिंह--मैं प्रार्थना करूंगा कि कल शाहजहांपुर में बाढ़ आई है .....

श्री अध्यक्ष--वह कल ही उसके बारे में सूचना देंगे ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (ज़िला इटावा)--श्रीमन्, जहां के बारे में हमारा कामरोको प्रस्ताव है वहां अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंच पायी है ?

श्री अध्यक्ष--आप मंत्री जी के पास जाकर कहें । उनका काम है कि वे आपकी बातें सुनें । उनको बता दें, वह परिस्थिति को ठीक करेंगे ।

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां देने के लिये प्रार्थना

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न श्रीमन्, उठाना चाहता हूं। जब किसी प्रश्न के लिये माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि सदन की मेज पर रखी हुई है, उसकी सूचना तो केवल सम्बन्धित सदस्य को सूचना रहती है, क्योंकि उसकी मेज पर ही उसकी प्रति रखी जाती है। तो क्या एक सदस्य को भेजा हुआ उत्तर सदन की मेज पर रखा हुआ माना जा सकता है? क्या यह संसदीय है?

श्री अध्यक्ष--सदन की मेज का अर्थ सचिव की मेज से है। यहां पर हमारे पास वह सूचना रहती है और अगर कोई सदस्य उसको देखना चाहें तो हमारे सचिव की मेज पर से देख सकते हैं और उस सदस्य को तो उत्तरों की एक प्रति मिल ही जाती है जिसने प्रश्न पूछा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अगर किसी को एक प्रति की जरूरत हो तो उस सूचना की एक प्रति उस सदस्य को दे दी जाया करे। कृपा करके इसकी व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष--इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष--अब सचिव, विधान सभा कुछ सूचनाएं पढ़ेंगे।

सचिव, विधान सभ---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ मार्च, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ जुलाई, १९५८, की बैठक में एक सिफारिश सहित पारित किया था, और जिस विधान सभा ने अपनी १ अगस्त, १९५८, की बैठक में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ अगस्त, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ मार्च, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ जुलाई, १९५८, की बैठक में एक सिफारिश सहित पारित किया था और जिसे विधान सभा ने अपनी १ अगस्त, १९५८ की बैठक में स्वीकार किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ अगस्त, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

१९५४-५५ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब सन् १९५४-५५ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद जारी होगा।

---

†११ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--इस समय किसी और प्रश्न का मौका नहीं है, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

अब उत्तर प्रदेश लोक सवा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार जारी होगा। कल श्री चन्द्रजीत यादव अपना भाषण समाप्त कर चुके थे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह १९५४-५५ की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट जो है उस पर इस समय हम विवाद कर रहे हैं। यह पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान के अनुच्छेद ३१५ व ३१६ के अनुसार बनाया जाता है। यहां यह भी आप देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सालाना आनी चाहिये। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसको मैंने अखबारों में पढ़ा था। खैर, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। श्रीमन्, इस समय बड़ा हल्ला हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य बाहर जाना चाह तो आवाज करते हुये न जायं, शांति पूर्वक जायं।

श्री राजनारायण--पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार व कर्त्तव्य क्या होते हैं इसे संक्षेप में, अंग्रेजी प्रति संविधान की मेरे पास है, उसे पढ़ देना चाहता हूं। फंक्शंस आफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पृष्ठ १६८ पर दिये हुये हैं, उनमें यह लिखा हुआ है :--

"The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted—"

चाहे केन्द्र का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सूबे का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, मगर उससे सलाह ली जायगी।

"On all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts ;"

जो सिविल सर्विसेज हैं, पद हैं, उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में उससे राय ली जायगी।

"On the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers ;"

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहता हूं कि सबके लिये ८ मिनट और पार्टी के नेताओं के लिये १० मिनट का समय निश्चित हो चुका है। अगर वे अंग्रेजी में कुछ पढ़ेंगे और फिर उसका अनुवाद करेंगे तो उसमें काफी समय लग जायगा और फिर शिकायत करेंगे कि मुझे समय नहीं मिला। लिहाजा इस बात की मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं।

श्री राजनारायण--इसे ध्यान में रखूंगा और जो निश्चय हुआ है उस पर चलने की कोशिश करूंगा। सवाल यह है कि महत्त्वपूर्ण विषय है, उसके ख्याल से जो मैंने पढ़ा वही काफी है। सिविल सर्विसेज के बारे में, सिविल पोस्ट्स के बारे में सिद्धांततः एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर के सम्बन्ध में, पदोन्नति के सम्बन्ध में, सीनियारिटी के सम्बन्ध में, भर्ती के सम्बन्ध में, इन तमाम चीजों पर पब्लिक सर्विस कमीशन की राय ली जायगी। दोनों व्यवस्थायें हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से राय ली जायेगी और अपनी सलाह वह भेजेगा भी। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित करूंगा यद्यपि मैं बहुत ही फर्क पाता हूं, जो सन् १९५३-५४ और १९५२-५३ की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आयी थी उसकी भाषा, उसके भाव और उसकी चिन्ता तथा इसकी भाषा और भाव और इसकी चिन्ता में बहुत फर्क है। लेकिन जैसा भी है जितना इसमें है वह काफी है जो इस बात को साबित करता है कि

[श्री राजनारायण]

सरकार आज जिस गतिविधि से चल रही है उससे उत्तर प्रदेश की तमाम सर्विसेज में असंतोष है और इतना व्यापक असंतोष है श्रीमन्, कि समझने में बुद्धि जरा कुछ असमर्थ हो जाती है कि आखिर हमारे प्रदेश में होने वाला क्या है? मैंने श्रीमन्, एक चार्ट भी तैयार किया है यद्यपि जैसा आपने कहा १० मिनट का ही समय है, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो काफी बिलम्ब होगा। लेकिन इट शुड बी टेकेन ऐज रेड।

श्री अध्यक्ष—यह पढ़ा हुआ नहीं समझा जायगा। मैं तो समझता हूं कि अगर इस आयोग के प्रतिवेदन में दी हुई बातों में से कोई है तो उस पर वही बात कही जावेगी जो नियमानुकूल होगी।

श्री राजनारायण—ठीक है। इसीलिये मैं चाहता था कि मैं इसे पढ़ देता। इसकी एक प्रति मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। आप किसी को भेजें। वह पढ़कर के उसको लौटा दें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं समझता हूं कि मैं इस तरह का कार्य नहीं करूंगा। आप खुद भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर पढ़ने की मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यहां पर आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—मैं यह कह रहा था कि यह देखा जाय कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई बातों के बारे में अपत्ति की है और उसने यह कहा है कि अभी तक सरकार की ओर से समुचित कदम नहीं उठाये गये हैं। जैसे आप यह देखें अवसर-प्राप्त अधिकारी की नियुक्ति, जो रिटायर्ड सर्विसेज के होते हैं, यहां पर एक जगह पर ६७ वर्ष और ७० वर्ष, यह २६ पेज पर आप पायेंगे। निष्क्रान्त सम्पत्ति विभाग के दो अफसरों की नियुक्ति हुई जिनमें से एक ६७ वर्ष का और दूसरा ७० वर्ष का था। पब्लिक सर्विस कमीशन बार बार आगाह कर रहा है कि कोई सीमा निर्धारित कर दी जाय। उसने अपनी राय दी है कि ६० वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिये। अगर वह टेक्निकल पद हो तो उसके लिये भी कोई सीमा निर्धारित कर दी जाय या विशेष परिस्थिति के लिए व्यवस्था की जाय। लेकिन सामान्य प्रशासन में इस तरीके से अगर कोई मर्यादा नहीं रहेगी कोई सीमा नहीं रहेगी तो इसी से फिर कुनबापरस्पी बढ़ती है, पक्षपात होता है और वह इसी के कारण तमाम सर्विसेज में असंतोष फैलता है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहूंगा कि सरकार ने इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वर्ष के आखिर तक कोई अन्तिम व्यवस्था नहीं दी थी कि वह कौन सी अन्तिम अवधि निश्चित कर रही है जिसके पार वह किसी को फिर नियुक्त नहीं करेंगी।

इसी के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की पढ़ाई के सुभीते की बात भी है। मैं इस सरकार के विभिन्न विभागों में देखता हूं कि विभिन्न व्यवस्था चलायी जा रही है। किसी-किसी जगह तो डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं कि हम तुमको पढ़ने की सुविधा नहीं देंगे और किसी डिपार्टमेंट के हेड यहां अपने यहां यह सुविधा दे देते हैं। कई जगह के केसेज हमारे पास हैं जैसे कि कोई बी० ए० पास है। वह लखनऊ में सर्विस करता है। वह चाहता है कि वह ला पढ़ ले। तो एक विभाग में उसको इजाजत नहीं दी जा रही है और दूसरे विभाग में उसको इजाजत दी जा रही है, या एक ही विभाग में किसी को इजाजत दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है। यह अगर पक्षपात नहीं, फेवरिटिज्म नहीं, कुनबापरस्ती नहीं तो और क्या है? इसके बारे में सरकार ने कोई अपनी साधु सम्मति नहीं बनायी जिसके बारे में कहा जा सके कि यही नियम सब जगह अबाध गति से लागू होगा। या तो सरकार यह नियम बना दे कि जो सरकारी सर्विसेज में हैं उनको इजाजत पढ़ने की वह नहीं देगी या अगर इजाजत दे किसी को समय बचता है पढ़ने के लिये, वह पढ़ना चाहता है तो पढ़े। नियम जो बने, सबके लिये समान रूप से लागू होना चाहिये। जब तक सबके लिये समान रूप से नियम लागू नहीं होता है तब तक उसमें दिक्कत होगी।

इसी तरह से सीधी भरती के विषय में उसने अपनी आपत्ति की है कि सीधी भरती विभागीय हैड जिस तरह से कर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है। जिसके बारे में नियम नहीं बने हुये हैं उसके बारे में कम से कम उनको समुचित रूप से कोई व्याख्या करनी चाहिये कि कैसे यह भरती कर रहे हैं। किस तरह से भरती कर रहे हैं ? उसके बारे में भी कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके बारे में हमने बराबर इंतजार किया अगर सरकार की ओर से कोई अंतिम स्वीकृति इसके बारे में नहीं प्राप्त हुई, कोई व्यवस्था नहीं हुई।

फिर श्रीमन्, समाचारपत्रों में विज्ञापन के बारे में भी पब्लिक सर्विस कमीशन को शिकायत है। वह बराबर कहता रहा है कि यह विज्ञापन सीधे-सीधे समाचारपत्रों में दिये जाया करें, इस में कौन सी आफत हो जायगी ? पता नहीं कि सरकार क्यों चाहती है कि यह विज्ञापन सूचना विभाग के द्वारा ही विज्ञापित हों। इस में बिलम्ब होता है, पता नहीं सरकार को क्या मजा मिलता है कि वह सूचना विभाग से ही इस काम को कराती है जब कि उस के पास दूसरे बहुत से कार्य हैं, सरकार के मंत्रियों के कार्य कलाप का छपाना तमाम सूचनाओं का वितरित करना अनेक काम उसके पास हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह का काम सूचना विभाग पर लादा जाता है, उस में क्या खूबी है, यह चीज हमें अभी तक मालूम नहीं हुई।

इसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की चिन्ता एक और है कि २०० रुपये तक के या उससे नीचे की जो सर्विसेज हैं उसको पब्लिक सर्विस कमीशन की सीमा से बाहर वह रखना चाहते हैं। यहां पर देखा जाय कि १२०–२०० के वेतनक्रम में सहायक चकबन्दी आफिसर हैं जिनका कि संबंध आज सारे सूबे से है। मेरा कहना यह है कि उनका भी कमीशन के सामने साक्षात् होना चाहिये और उसे उनकी योग्यता को देखने का अवसर होना चाहिये, परन्तु ऐसा न होने से सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरे विभागों में भी २०० रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों का सेलेक्शन वहां से नहीं कराया जा रहा है उसके विषय में भी हमारी अपनी आपत्ति है। यदि सरकार की तरफ से इसका कोई निराकरण नहीं होगा तो यह असंतोष बढ़ता ही जायगा। चाहे मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी हो या न हो, 'भ्रष्टाचार' शब्द से वह परेशान होते हों, उनको उससे चोट पड़ती हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वह है और उसके होने में सरकार की जो नियमावली है जो उसकी गतिविधि है वह सहायक हो रही है।

इसके साथ ही छटनी किस आधार पर होती है सरकार ने इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, वह जिसको मन में आता है रख लेती है, जिसको मन में आया छांट दिया जाता है, जिसको मन में आया एक विभाग से दूसरे विभाग में बदल दिया, जिसको मन में चाहा तरक्की दे दी। इस विषय में कमीशन ने अपनी सम्मति दी है कि योग्यता आधार होना चाहिये, लेकिन सरकार तो अपनी सुविधा के अनुसार काम करती है। अगर ऐसी चीज होती है तो बहुत ही आपत्तिजनक है। निष्पक्षता लाने के लिये यह आवश्यक है कि इस तरह की बाधक चीजों को हटाया जाय।

एक बात और निवेदन करूंगा कि आज तक सरकार ने सीनियारिटी और जूनियारिटी किन बुनियादों पर मानी जायगी, इसके विषय में कोई नियम नहीं बनाये हैं। शिक्षा विभाग में कोई आधार चल रहा है, सूचना विभाग में कोई आधार चल रहा है, सिंचाई विभाग में कोई आधार चल रहा है, एल०एस०जी० विभाग में कोई और आधार माना जा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि यदि यह सरकार चारों तरफ बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को देखकर परेशान है तो वह उसके जो बुनियादी कारण हैं उनका निराकरण करे। आज ११ साल हो गये लेकिन यह सरकार इस विषय में कोई नियम नहीं बना पाई है कि किस बुनियाद पर सीनियारिटी और जूनियारिटी मानी जायगी। हमारे पास अनेकों केसेज हैं, अब समय नहीं रहा वर्ना मैं पेश करता।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है मैंने इसको देखा। मैं यह बात जानता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐडविजरी बाडी है और विधान में भी ऐसा ही दिया हुआ है। सरकार समय-समय

[श्री नवलकिशोर]

पर बहुत सी बातें उसके पास परामर्श को भेजती है, उसके परामर्श को मानती है और उसकी सिफारिशों पर ध्यान देती है। यह सही है कि यथासंभव जहां तक हो सके सरकार का फर्ज होना चाहिये कि जब उसने एक ऐसा आयोग बनाया है तो अधिकांश में उसकी सिफारिशें मानी जानी चाहिये। मुझे खुशी है कि इस रिपोर्ट में केवल ४ ही मामले ऐसे आये जिनको कि सरकार ने पूर्णतः नहीं माना है, यद्यपि और भी ऐसी बातें हैं कि जिनमें सरकार और आयोग के विचार में मतभेद है। एक बात मुझे जरूर महसूस हुई और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सरकार और आयोग के बीच में कोई टसिल हो, या कोई खींचातानी सी हो। मैं यह समझता हूं कि सर्विसेज के अन्दर मारेल को सही रखने के लिये इस तरह की खींचातानी की बात न हो तो ज्यादा अच्छा है।

एक बात इस सिलसिले में और भी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे सारे प्रदेश में, मैं समझता हूं सारे देश में, जनता के अन्दर सही या गलत एक भावना यह पैदा हो गयी है कि लोग यह समझते हैं कि मेरिट के आधार पर चुनाव नहीं होते। यहां तक कि लोगों का आक्षेप पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी होता है। मैं नहीं जानता कि इसकी बुनियाद क्या है। मैं यह समझता हूं कि दुनिया में ईमानदार होना ही काफी नहीं होता। दूसरे लोगों को भी इस बात का विश्वास हो कि हम ईमानदार हैं। आज आमतौर से आप सेक्रेटेरियट में देखें, किसी विभाग में देखें, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों इस तरह की धारणा और इस तरह का विश्वास बैठ गया है कि जिसका जितना "पुल" होता है उसकी उतनी ही उन्नति होती है और उसी का रेक्रूटमेंट होता है। यद्यपि मैं जानता हूं कि यह बात गलत है, पर यह सही है कि हमारे प्रदेश में और देश में ऐसी धारणा बनी हुई है तो सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है कि चाहे कितना ही सख्त कदम उठाना पड़े, इस किस्म की धारणा हमारे प्रदेश और देश से हटनी चाहिये।

जहां तक वह ४ बातें हैं जिनसे सरकार का मतभेद है और सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों को नहीं माना है, उस पर दो रायें हो सकती हैं। बहरहाल, मैं समझता हूं कि सरकार ने जो अपना जवाब दिया है, जो कारण दिये हैं कहीं कहीं तो वे सही बैठते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर महसूस करता हूं कि ये जो ऐग्रीकल्चरल टीचर्स के एप्वाइंटमेंट्स हुये १२० रुपये से, जो कि बहुत बड़ी संख्या में हुये, जिनकी लगभग १,००० की तादाद थी, मैं समझता हूं कि काम तो यह बहुत ज्यादा हो जाता पब्लिक सर्विस कमीशन पर, मगर अधिक अच्छा यही होता कि हम उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का परामर्श ले लेते। यों भी, मैं समझता हूं कि नीति के तौर पर, यथासंभव सरकार को स्वयं रेक्रूटमेंट कम से कम करना चाहिये। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और प्रजातांत्रिक सरकार जब होती है तो उसको तो और भी विशेष रूप से इस बात को प्रिकाशन लेनी चाहिये कि जहां तक हो अपने ऊपर भर्ती करने की जिम्मेदारी वह न ले। अधिक से अधिक मात्रा में यह काम पब्लिक सर्विस कमीशन पर छोड़ा जाय।

यह भी शिकायत हुई कि जो लोग हमारे रिटायर होते हैं, जिनकी काफी अवस्था हो जाती है उनको नौकरी दी गयी है और उस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की है। मेरा निश्चित मत शुरू से यह है कि जो आदमी रिटायर्ड हो जाय उसका रिएम्पलायमेंट नहीं होना चाहिये जबतक कोई विशेष परिस्थिति पैदा न हो जाय, और मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इस तरह से इंडिस्पेंसिबिल हो सकता है। टेक्नीकल हैन्ड के बारे में तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन टेक्नीकल हैन्ड्स के लिये शुरू में तो कुछ दिक्कत थी भी, अब तो वह दिक्कत भी, नहीं है तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती तो दूसरी बात थी, लेकिन अब तो खासतौर से जबकि सरकार ने एज लिमिट ५५ साल से बढ़ाकर ५८ साल कर दी है, कोई सवाल रिएम्पलायमेंट का पैदा नहीं होता। मेरा तो सरकार से अनुरोध है और स्पष्ट निवेदन है कि वह बराये मेहरबानी इस बात का सख्ती से नियम बना दे कि अब हम इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे और न रिएम्पलायमेंट देंगे।

नोटिफिकेशन की बात भी इसके अन्दर कुछ है और आयोग ने इस बात पर आपत्ति की है कि हमारा जो सूचना विभाग है उसको यह काम न दिया जाय। सरकार ने उसका जवाब दिया है और उन्होंने यह कहा है कि हमको बड़ा खेद है कि पहले कुछ समय की देरी हो गयी, लेकिन मैं स्पष्टरूप से यह नहीं समझ पाया। विज्ञापनों का अखबारों में भेजना यह न सूचना विभाग का अंग हो सकता है और न उसका उत्तरादायित्व हो सकता है। मुझको ऐसा लगता है, यद्यपि यह उसका विषय नहीं है और मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि सूचना विभाग के अन्दर काफी काम ऐसे हुआ करते हैं जिनसे उसका बराहेरास्त वास्ता नहीं होता। पर सूचना विभाग ने बहुत से ऐसे काम अपने ऊपर ले लिये हैं और यह भी उनमें से एक काम है। इससे पहले हर विभाग को जब अपनी आवश्यकता होती थी तो वह अपने ऐडवरटिजमेंट सीधे अखबारों को भेज दिया करता था, लेकिन बीच में सूचना विभाग आ गया। मैं तो इस मत का हूं कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने तमाम ऐप्वाइन्टमेंट्स भेज दिये तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन स्वयं अपनी तरफ से उसके लिये अखबारों में सूचना भेजे और विज्ञापन कराये।

मेरे एक साथी ने कुछ चकबंदी अफसरों की भी बात कही। तो यह बात तो सही है कि १२० रुपये से ऊपर की कोई भी जगह हो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमें तो इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि अधिक से अधिक पब्लिक कमीशन की मार्फत ही सर्विसेज में लें, लेकिन अगर किसी साहब की यह मंशा हो कि हम सरकार के हाथ कतई तौर पर बांध दें और अगर विशेष आवश्यकता पड़े तब भी वह रिक्रूटमेंट न कर सके तब यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन जो उम्मीदवारों को लेती है उसमें काफी समय लग जाता है, वह नोटीफिकेशन करती है, एप्लीकेशन्स काल करती है और इन्टरव्यू करती है और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि गवर्नमेन्ट को आदमियों को भर्ती करना पड़ता है। ऐसी ही बात चकबंदी के सम्बन्ध में थी, लेकिन यह सही है कि अगर हम रिक्रूटमेंन्ट का काम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दें तो अच्छा है।

मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने प्लानिंग में ए० डी० ओज० और बी०डी०ओज० के सेलेक्शन के लिये पहले कमेटियां बनाई थीं, लेकिन अब इन दोनों अधिकारियों का रिक्रूटमेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया है और इनकी भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है। जितनी सर्विसेज हैं उनका रिक्रूटमेंट भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास चला जाय तो ज्यादा अच्छा है। ६ महीने के लिये भर्ती करने का अधिकार इसमें सरकार को दिया हुआ है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत होशियारी के साथ होना चाहिये और जितना हो सके कम से कम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसमें जो आपत्तियां की हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, सरकार कोशिश करेगी कि आगे चलकर उस तरह की शिकायतों का मौका न मिले।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल इस आयोग की रिपोर्ट पर विचार के सिलसिले में जो कहा उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मान्यवर, यह बात निर्विवाद है कि प्रजातंत्र के कार्य और उसकी सफलता नियमों पर उतनी नहीं है जितनी की परम्पराओं पर है। हमारा दुर्भाग्य था कि हम गुलाम रहे, किन्तु हमारे बहुत से नियम और उपनियम जो आज भी प्रचलित हैं, वह अंग्रेजों के बनाये हुये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का सर्वप्रथम १९३५ के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट में जिक्र हुआ। यह सभी को मालूम है कि हमने यह अंग्रेजों से लिया है, लेकिन इंगलिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन महज रिक्रूटमेन्ट या डिसिप्लिन की बात ही अपने पास नहीं रखता, बल्कि पोस्टिंग वगैरा सब कुछ वही करता है और वहां पर मिनिस्टरों के नाम मात्र के लिये भी अधिकार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर नहीं हैं। यह इंगलैण्ड के सिलसिले में ही नहीं बल्कि इस देश के लिये भी कहा गया था कि प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि चूंकि सरकारें राजनीतिक पार्टियों की आती जाती रहती हैं, इसलिये उनकी नौकरी से जितना कम सरकार का सम्बन्ध हो उतना ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को इसी परम्परा को चालू करना चाहिये।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

१९३५ के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के मुकाबिले में संविधान में सरकार के अधिकार सीमित किये गये हैं। पहले तो अगर सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात न माने तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब यह है कि जिन मामलों में सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात न मानेंगी तो उसे पूरी सफाई के साथ लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा और इसी संविधान में यह भी दफा है कि "Shall be laid annually" में "एनुअली" शब्द पर जोर दे रहा हूं कि हर साल लाई जायगी। यह तीन साल बाद रिपोर्ट हमारे सामने आई है। चाहे इसमें सरकार का अपराध हो या अधिक पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, इससे हमें संतोष नहीं होता है, लेकिन हमारा फर्ज है और सरकार का भी फर्ज है कि वह इस तरह की व्यवस्था करे कि हर वर्ष यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो और उसके साथ जैसा उसमें लिखा है कि जहां सरकार कमीशन से सहमत न हो तो उसको पूरी सफाई दे कि क्यों उसने ऐसा किया।

एक हजार मास्टर नियुक्त किये गये। सरकार ने सफाई में कहा है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की जो रिओरिएंटेशन की स्कीम थी—एक अजीब कारण है, हो सकता है, मैं प्रदेशीय भाषा में पढ़ रहा हूं, मेरी लियाकत इसकी बड़ी सीमित है—

"As the teachers were employed in connection with the Reorientation Scheme".

इसके बाद हाइफन लगा कर इसकी व्याख्या की है कि 'रिओरिएंटेशन स्कीम क्या है।

"—a scheme of far-reaching significance launched with a view to relieving unemployment amongst educated persons".

मेरी समझ में 'far reaching of significanc केवल पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी दूर करना है। आगे लिखा है कि यह निश्चित नहीं है कि यह चलेगी या नहीं। मुमकिन है कि न चले, बन्द कर दी जाय। यह सफाई बिलकुल असन्तोषजनक है और किसी प्रकार से सफाई कही नहीं जा सकती। पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया और संविधान की उस धारा की आड़ ली जिसमें यह प्रतिबन्ध है कि अगर उनकी राय को न माने तो सफाई के साथ पेश करें। इस प्रकार इस सदन की मर्यादा का भी ध्यान नहीं दिया गया। यह सफाई नहीं है, उससे कोई बात साफ नहीं हुई।

एक दूसरी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट आर्ट्स ऐंड क्राफ्ट्स स्कूल में सुपरिण्टेण्डेन्ट के स्थान की आवश्यकता हुई। पब्लिक कमीशन ने एक आदमी की सिफारिश की। सरकार ने उस सिफारिश को नामंजूर कर दिया, इस बिना पर, कि उस शख्स को पढ़ाने का तजुर्बा नहीं था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीन वर्ष में हुआ क्या ? क्योंकि कल यह बताया गया कि दिसम्बर, १९५७ में रिपोर्ट आयी। क्या सवा वर्ष छापाखाना में पड़ी रही ? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत प्रिंटिग प्रेस है। उन्होंने सितम्बर, १९५६ में लिखा। यहां दिसम्बर, १९५७ में आयी। हो सकता है कि १५ महीने वह छापाखाना में पड़ी रही हो। वह बात भी विचारणीय है, लेकिन उस जगह का क्या हुआ ? कोई तीन साल में व्यवस्था हुई या वह खाली पड़ी हुई है ? मार्च में जब सरकार ने यह रिपोर्ट पेश की है उनको पूरी जानकारी इस सिलसिले में हासिल होनी चाहिये थी।

ठीक इसी प्रकार मान्यवर, मुख्तारसिंह गवर्नमेन्ट पालीटेक्निक है, मेरठ का मामला है। वहां एक अध्यापक की नियुक्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐडवर्टाइज किया। मान्यवर मैं यह निवेदन करूं कि मेरी वही राय है जैसा कि कल उन्नाव जिले के एक माननीय सदस्य ने यहां कहा भी था कि सरकार को अपनी आवश्यकता बतानी चाहिये, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो सकती है यह कर्त्तव्य पब्लिक सर्विस कमीशन का होना चाहिये, लेकिन यहां सरकार आवश्यकता और योग्यता दोनों देखती है। जब उस योग्यता के लिये ऐडवरटाइजमेंट हो गया

तब गवर्नमेन्ट ने कहा कि वह उसी योग्यता को नहीं मानती। यह सरकार अध्यापक के लिये शिक्षा का एक्सपीरियंस हो ऐसा नहीं मानती किन्तु सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिये वही सरकार ऐसा जरूरी समझती है। कानपुर मेडिकल कालेज में २५ अध्यापक नियुक्त किये गये। उनमें अधिकतर ऐसे नियुक्त कर दिये गये जिन्हें पढ़ाने का एक दिन का तजुर्बा नहीं था। मेडिकल कालेज में तो यह जरूरी नहीं है कि अध्यापक को पढ़ाने लिखाने का तजुर्बा हो, लेकिन आर्ट स्कूल के सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिये आवश्यक है, प्रोफेसर के लिये नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कानून की आड़ न लें और वह प्रथा कायम करें कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी सिफारिश हो वह सरकार को मान्य हो। इंगलैन्ड से अच्छी डेमोक्रेसी की मिसाल संसार में नहीं है। हमने उसी की नकल की है। उपनिवेशों में भी कनाडा और आस्ट्रेलिया में यह दस्तूर है कि पोस्टिंग और परमोशन भी वहां पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। अच्छा होता अगर ऐसा यहां भी होता, लेकिन वह यहां नहीं हो सका। संविधान में इसके लिये रोक नहीं है। जितना भी अधिकार सरकार अपने हाथ में चाहे रखे किन्तु नतीजा क्या है? मुझे मालूम है और दुख के साथ कहता हूं कि गजटेड अफसर सन् १९५३ में मुअत्तल किये गये आज तक लटके हुये हैं। न जाने कब उनके मुकदमे का फैसला होगा। एक डेढ़ साल बाद उनको चार्जेज दिये जाते हैं। यह क्यों होता है? इसलिये कि सरकार अपने हाथ में यह अधिकार रखती है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में यह हो तो मुझे यकीन है कि काम सुचारुरूप से चले और उससे सरकार को अपनी नीति और आज्ञाओं के पालन कराने में सुविधा होगी।

मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो सफाई दी है वह सन्तोषजनक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सर्विसेज के मामलों में इस प्रकार की कार्यवाही हो और ऐसी रिपोर्ट आये कि जिससे मजबूर होकर उस प्रकार हमको कहना पड़े कि सरकार की सफाई इस सदन को अस्वीकार है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो १९५४-५५ की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा दृष्टिकोण है और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट जो सरकार द्वारा दी गई है उसके हर पेज को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि कमीशन और सरकार के बीच काफी सहमति रही है। जो भी, जिस अवसर पर भी, किसी मामले में कमीशन से कोई बात कही है, सरकार ने उसको पूरा करने की कोशिश की है और यह कोशिश की है कि सर्विसेज का स्तर किसी प्रकार से भी गिरने न पावे। जब मैं यह कहता हूं तो वह सारी विरोधी पक्ष की दलील जिन माननीय सदस्यों ने कल से आज तक दी है कि कमीशन और सरकार के बीच काफी खींचातानी रही है, काफी संघर्ष मालूम होता है, वह खत्म हो जाती है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस रिपोर्ट के आखिरी पेज पर ले जाना चाहता हूं जिस पर कमीशन के सदस्यों ने अपनी टीका-टिप्पणी करने के बाद एक वाक्य में अपनी सारी जो उनकी भावना थी उसका समावेश किया है। उन्होंने उसमें साफ लिख दिया है कि "हमको पूरा संतोष है"। सदन के माननीय सदस्यों को इस बात से सन्तोष होना चाहिये। सरकार और कमीशन के बीच जो मामले हैं उनके विषय में कमीशन के सदस्य स्वयं इस बात को कबूल करते हैं और वे संतोष प्रकट करते हैं कि हमें सन्तोष है। जो भी कमीशन की तरफ से सरकार को कहा गया इस सरकार ने काफी हद तक उस बात को पूरा करने की कोशिश की है। यही नहीं? उन्होंने इसमें खासतौर से हमारे मुख्य मंत्री का आभार प्रदर्शित किया है और उन्होंने यह लिख दिया है कि हम माननीय मुख्य मंत्री के विशेषरूप से आभारी हैं कि उन्होंने सदैव सजग रहकर हर वक्त जो भी तथ्य उनके सामने लाये गये उसके लिये उन्होंने हमेशा कार्यवाही की है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रदर्शन के बाद अगर इस सदन के माननीय सदस्य इतनी गहरी टीका-टिप्पणी में जाते हैं तो हम यह समझते हैं कि कमीशन के सदस्यों की भावना के विपरीत बातें करते हैं जो हमें करना उचित नहीं है।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह प्रार्थना करने की हिम्मत कर रहा हूं कि, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार सीधे रिक्रूटमेंट कर लेती है और कमीशन की परवाह नहीं करती, मैं समझता हूं कि सरकार ने सदैव इस बात की कोशिश की है कि जब कभी सर्विसेज के रिक्रूटमेन्ट की जरूरत हो कमीशन से सलाह की जाय। उसने ऐसा किया भी और बहुत थोड़े ऐसे मौके हैं कि जहां पर, यदि आप कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि बावजूद इसके कि सरकार का पूरा एफर्ट रहा और कमीशन ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि उन पदों के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी मिल जायं, लेकिन वह नहीं मिल पाये। सरकार की भावना का इससे भी पता चल जाता है कि दो एक मामलों में तो सरकार को बार-बार कमीशन से कहना पड़ा। दो दो बार ऐडवर्टाइजमेंट कराने के लिये मंजूरी लनी पड़ी। और उसके बाद भी जब कैंडीडेट्स नहीं मिले तो सरकार ने उससे आगे जाने की कोशिश की और उन पदों के ग्रेड्स को रिवाइज करके अधिक तनख्वाह पर लोगों को लेने का ऐडवर्टाइजमेंट किया और उसके बाद भी वे नहीं मिले। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि इटावा के पाइलेट वर्कशाप के इंस्ट्रक्टर की जरूरत थी, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सामान्य प्रबन्धक के पद के लिये जरूरत थी, गवर्नमन्ट सेंट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट, वाराणसी के अनुसंधान विभाग के लिये डिजाइनर की जरूरत थी, लेकिन कोशिश के बाद भी कोई उचित अभ्यर्थी इन पदों के लिये न मिल सका। तो मैं नहीं समझ पाता कि सरकार की ओर से कोई ऐसी बात हुई हो कि जिसमें कमीशन की अवहेलना मालूम होती हो या यह साबित होता हो कि वह कमीशन को ओवरसाइट करके अपने अधिकारियों का रिक्रूटमेन्ट कर लेती हो।

इसके साथ-साथ यह भी कहा गया, कल श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि अगर सरकार कमीशन की राय न मानेगी तो ब्योरोक्रेसी उस पर हावी हो जायगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ब्योरोक्रेसी वहीं पर हावी हो जाती है कि जहां पर कोई पोलिटिकल पार्टी कमजोर हो जाती है। मैं यह नहीं मानता कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वह उतनी कमजोर हो गयी है कि उस पर इस ब्योरोक्रेसी को हावी होने का मौका मिल जाय। इस बात की उनको चिन्ता नहीं करनी चाहिये और ऐसा खतरा उनके सामने नहीं रहना चाहिये। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के तर्क वे रखने की तकलीफ न किया करें तो अच्छा हो।

कल कहा गया कि कमीशन के लिये जो ३,००,००० रुपये की इमारत इम्तहान के लिये बनाई जा रही है वह व्यर्थ है। मैं नहीं समझ पाता कि तर्क क्या है। एक तरफ तो यह मांग की जाती है कि कमीशन और सरकार के बीच ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो और जब कमीशन यह मांग करता है कि विकास के कामों के लिये सर्विसेज में जो बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है और होती जा रही है और उनके रिक्रूटमेन्ट के लिये उसके अधिकारियों के रहने के लिये उसके पास आफिसेज आदि के लिये कोई जगह नहीं है और जब उसकी मांग के लिये कुछ किया जाता है तो उसका विरोध होता है। यह दोनों के बीच जो संधि है, ट्रूस, है, वह कैसे कायम रहेगा अगर यह सरकार कमीशन की उचित मांगों को ठुकराने की कोशिश करेगी? तो मैं यह समझता हूं कि जो इस तरह की दलील दी जाती है वह व्यर्थ और निरर्थक है। मेरा समय समाप्त हो गया वरना मुझे अभी बहुत कुछ कहना था।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शायद यह मेरा आखिरी भाषण है इस पर।

श्री अध्यक्ष---जी हां।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कल श्री भगवती सिंह जी विशारद के बोलने के बाद मैंने जो कुछ निवेदन किया था यूं कहिये कि पारसाल जब कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी उस वक्त जो कुछ मैंने निवेदन किया था उसके आगे शायद बहुत कम कहने की जरूरत है। कई बातें जो पिछले साल कही गयीं और शायद उससे पहले साल भी कही गयीं, इस साल भी कही गयीं। मेरी मजबूरी है कि मैं उनका जवाब नहीं दे सकता।

बार बार कमीशन और सरकार के बीच के संबंध की चर्चा की जाती है। मैं जानता हूं कि संविधान में क्या लिखा है। मैंने जिक्र किया कि सरकार कमीशन का आदर करती है, मैंने जिक्र किया कि जो भी कमीशन की सलाह होती है सरकार उसका बराबर लिहाज करने की कोशिश करती है। मगर इसके साथ ही साथ यह भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट अपने कर्त्तव्य को बालायेताक रख दे और वैसी अवस्था हो सकती है जब कि गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की एक राय न हो। ऐसे मामलों में गवर्नमेंट को अपनी राय कायम रखनी पड़ती है और अपने कर्त्तव्य की पूर्ति के लिये उसको कमीशन की राय न मानने के लिये मजबूर होना पड़ता है। ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें कमीशन की एक राय होती है और गवर्नमेंट की दूसरी राय होती है। विभाग से और कमीशन से लिखा-पढ़ी होती है। कभी कभी इस लिखा-पढ़ी में कई महीने लग जाते हैं। हम उनको लिखते हैं, उनके पास बहुत काम है इसलिये काफी समय बाद उनका जवाब आता है। यहां भी विभागों के पास काफी काम होता है और काफी समय के बाद यहां से खत जाता है। शायद अगले साल की जो रिपोर्ट आयेगी उसमें आपको यह मालूम होगा कि कई मामले तय हो गये और उस लिखा-पढ़ी में ऐसा होता है कि कभी कमीशन ने हमारी राय मान ली और कभी हम कमीशन की बात मान लेते हैं। लेकिन किसी वक्त ऐसा होता है कि आसानी से मामला तय नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस विभाग के मंत्री ही कमीशन की राय को ठुकरा दें। एक दस्तूर ऐसा पड़ गया है कि हर तीसरे, चौथे महीने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और स्टेट के चीफ मिनिस्टर मिलते हैं। एक दूसरे से जो बातें करनी होती हैं उनको नोट कर लेते हैं और इस तरह से बहुत से मामले आपस की बातचीत में तय हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आसानी से बात तय नहीं होती है। तब वह मामला मंत्रिमंडल के सामने जाता है और जब केबीनेट हर पहलू पर गौर कर लेता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है और यह बात समझ में आती है कि संबंधित विभाग की तरफ से जो कहा गया है वही बात सही है, लेकिन फिर भी मामला इतने महत्व का नहीं है कि आगे बढ़ा जाय। ऐसी हालत में कमीशन की बात ठीक न होते हुए भी मान ली जाती है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें सिद्धान्त की बात आ जाती है तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स द्वारा कमीशन की राय न मानना ही उचित समझा जाता है। फिर ऐसी सूचना कमीशन को दे दी जाती है, लेकिन ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं।

कमीशन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो कि रिपोर्ट के अन्तिम पैरे में है। उसमें वे लिखते हैं--

"कमीशन को इस बात का संतोष है कि सिवा कुछ पृथक् मामलों के, जोकि इस रिपोर्ट में निर्देशित किये गये हैं, शासन तथा अन्य नियुक्ति अधिकारियों ने संविधान तथा पब्लिक सर्विस कमीशन के (कार्य-सीमन संबंधी) विनियमों के निवेशों का पालन किया।

वे स्वयं लिखते हैं सिवा कुछ पृथक् मामलों के यानी सिवाय दो चार केसेज को छोड़कर और केसेज में मतभेद नहीं हुआ। आमतौर पर हमारे और कमीशन के मतभेद आपस में ही तय हो गये, लेकिन मैं फिर इस बात को दुहराऊंगा कि गवर्नमेंट कभी भी अपने कर्त्तव्य को छोड़ नहीं सकती और जब अपने हाथ से अपने कर्त्तव्य को छोड़ नहीं सकती तो अधिकार को भी नहीं छोड़ सकती।

हमारे सामने इंगलैंड और दूसरे देशों का जिक्र किया गया। यह एक सिगनीफिकेंट बात है, जैसा कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि हमारे सामने कमीशन की चर्चा सबसे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पहले सन् १९३५ में आयी। अंग्रेज गवर्नमेंट को काफी समय तक उसके नियंत्रण की आवश्यकता न हुई। इस बात की सूरत तब सामने आयी जब कि इस देश के रहने वालों ने अपने हाथों में अधिकार लेने चाहे, लेकिन उनको कोई आवश्यकता न हुई थी। उस वक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्तियां होती थीं वह भी रिटायर्ड सरकारी अफसरों की होती थीं। कभी किसी नान-आफीशियल की बात हुई भी, तो वे वाकई इंडिपेंडेंट तबियत के थे, ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि जो वाकई इंडिपेंडेन्ट तबियत के थे, वह तो सब कांग्रेस के झंडे के नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। वे आज चाहे किसी दल में भी हों। तो वे पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के लिये थे नहीं, बहरहाल, उस वक्त की सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई दिक्कत नहीं हुई। उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना इसीलिये की गयी कि आगे चल कर किसी तरह की पोपुलर गवर्नमेन्ट बने तो उसके कामों में रुकावट पड़े और उनका काम आसानी से न चल सके। इंगलैंड का यहां पर जिक्र किया गया, लेकिन इंगलैंड में सैकड़ों वर्ष का एक कंवेंशन है जिससे वहां के कामों में एक बैलेंस हो गया है, लेकिन वह सारी दुनिया के लिये एक आदर्श की बात नहीं हो सकती। मैंने पारसाल भी उनके संबंध में पढ़ा था, उसको दोहराता नहीं हूं।

गवर्नमेंट आफ इंडिया समय समय पर इस विषय के एक्सपर्ट्स को बुलाती रही है। मैं एक बहुत बड़े विशेषज्ञ ऐपेलबी का जिक्र करता हूं। वे अमेरिकन तो हैं ही, उनको दुनिया के देशों ने, केवल नये स्वतंत्र देशों ने ही नहीं, बल्कि ऐसे स्वतंत्र देश जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, पश्चिमी यूरोप के देशों ने बुलाया और अपने संविधान के संबंध में उनकी राय ली। भारत सरकार ने उनको अपने यहां बुलाया था। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना अधिकार दिया गया है उसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जो कि बहुत से प्रगतिशील देशों में भी नहीं देखा जाता है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के संबंध में राय लेने की बात तो मेरी समझ में आयी, लेकिन यहां तो प्रोमोशन और ट्रांसफर के संबंध में भी पब्लिक सर्विस कमीशन की राय लेने की बात रखी गयी है जबकि बहुत से प्रगतिशील देशों में यह बात नहीं दिखलायी पड़ती है। कुछ लोग हैं जो ऐडमिनिस्ट्रेशन से बिलकुल अलग हैं, उनके सामने मामला जायगा तो खाली कागज पर रिपोर्ट जायगी, लेकिन जो डे टु डे रोज काम उनका देखते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई भला आदमी है, ईमानदार है, जिसका मन किसी विभाग में नहीं लगता है, लेकिन अगर उसी को कोई दूसरा विभाग दिया जाय तो वहां उसकी योग्यता का ठीक से उपयोग हो सकता है। लेकिन कोई आदमी शासन से अलग हो, वह रिपोर्ट के मुताबिक ही कोई फैसला करेगा। जो आदमी उसके काम को बराबर देखता है उसको उसके संबंध में कोई फैसला करने में गलती नहीं हो सकती है।

यहां पर बार-बार पक्षपात और निष्पक्षता का जिक्र किया गया। आखिर क्या माने हैं इसके? क्या ऐसे शब्दों का व्यवहार कर देने से ही हमारा काम हो जायगा? दूसरे के अशकुन के लिये अपनी नाक कटाने की बात तो लोग कहा करते हैं, लेकिन अपने अशकुन के लिये अपनी नाक कटाने की बात नहीं कही जाती। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात हमारे ही देश में कही जाती है। हम इस बात को नहीं सोचते कि जो बात हम यहां कहते हैं उसका असर दूसरे देशों पर क्या पड़ेगा और वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह तो एक तरह से हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर लांछन है। आखिर यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं चाहे किसी भी दल के हों, ईमानदार हैं, सच्चे काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हो जायं और इलाहाबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में बैठ जायं, तब तो ईमानदार हैं और वे निष्पक्ष रूप से काम करेंगे और यदि उनके दल की गवर्नमेंट इस कुर्सी पर बैठ जाय तो वे सब बेईमान हो जायेंगे, पक्षपात से काम करने वाले हो जायेंगे। इस तरह का लांछन लगाना उचित नहीं है। यह तो सैद्धान्तिक थ्योरी की बात हुई।

पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से कुछ सर्विसेज़ को निकाल लेने का भी जिक्र किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद कई बार कहा कि जो छोटी-छोटी पोस्टें हैं वे हमारे अधिकार से ले ली जायं। छोटी जगहों के माने हैं, जो जगहें कल ५०,६० या ७० रुपये की थीं वे आज १००, २०० रु० की हो गयी हैं। तो इस तरह से उनका क्षेत्र इधर से उधर हटता रहता है। और इसके लिये अंग्रेजी रिपोर्ट के २८वें पृष्ठ तथा हिन्दी रिपोर्ट के २५वें पृष्ठ पर माननीय सदस्य देखें। इसमें कई जगहों के नाम हैं। २००, २५० और ३५० की भी कुछ जगहें हैं, जिन्हें पब्लिक कमीशन की राय से ही उनके परव्यू से निकाल लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि सरकार इसको करे, हम नहीं करेंगे।

इसके साथ-साथ इसके नीचे वाले पैराग्राफ में कई जगहों का जिक्र है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं थीं, उनको उनके पास भेज दिया गया है। तो यह कोई खास बात नहीं है कि हमको कोई शौक है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथों से उनको छीन लें। जो जगहें उनकी परव्यू से निकाली जाती हैं वह भी उनकी ही राय से निकाली जाती हैं और जहां हम समझते हैं कि जगहें उनके पास जानी चाहिये वहां हम शौक से उनको वे जगहें देते हैं।

कल यहां कुछ और बातों का जिक्र हुआ। वह माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं। मसलन् एग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर की बात कही गयी। रिपोर्ट में वह चीज मौजूद नहीं है। जिस चीज का रिपोर्ट में जिक्र न हो उनके लिये वह माननीय सदस्य ही उचित समझ सकते हैं कि जैसे बजट डिबेट पर या राज्यपाल के संबोधन पर हर विषय का जिक्र हो सकता है, वैसा जिक्र वे कर सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी बातों का जिक्र नहीं कर सकता जिनका जिक्र रिपोर्ट में मौजूद नहीं है।

कुछ खास-खास जगहों का जिक्र हुआ। उनमें से एकाध की बाबत कुछ गलतफहमी हो सकती है। उसके लिये बतलाना जरूरी है। १ हजार टीचर्स की बात कही गई। उसके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम हुआ। माननीय अवस्थी जी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। उन्होंने यह कहा था कि उनको बड़ा दुख है कि खुद मैंने, मुख्य मंत्री ने, इस स्कीम को चलाया था, रिओरियेंटेशन की स्कीम, और अब उसको वे कहते हैं कि वह अस्थायी है और अब उसमें जगहों को परमानेंट नहीं कर सकते। शिक्षा से उनका संबंध है। उनको चाहिये था कि इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते तब ऐसा कहते। शिक्षा मंत्री की हैसियत से मैंने जिस स्कीम को चलाया था, वह स्थायी है अस्थायी नहीं है, वह चल रही है। उसको बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

यह स्कीम दूसरी स्कीम है जो दो तीन वर्ष हुये भारत सरकार ने चलायी थी। उन्होंने कहा कि इस तरीके पर देश का अनएम्प्लायमेंट दूर होगा। भारत सरकार की वह चलायी हुई है और सारे प्रदेशों में चलायी हुई है। इसके लिये उन्होंने कहा कि कुछ रुपया प्रादेशिक सरकार दे और कुछ रुपया वह देंगे। यह स्कीम प्रादेशिक सरकार की चलायी हुई नहीं है। अब उन्होंने कहा कि रुपया नहीं देंगे। इसलिये प्रादेशिक सरकार ने यह किया कि उसको अस्थायी रखें। अगर हम स्थायी करने का विचार करते तो १ हजार आदमियों को अगर वह न चले तो हमें उनको बिदा करना पड़ता। हमारे दुर्भाग्य से कई बार हमको ऐसा अनुभव हुआ कि भारत सरकार ने ऐसा वादा कर दिया और बाद में अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के कहने से या और किसी वजह से उस वादे को पूरा नहीं कर सके। तो इसमें उनका दोष नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। इसी वजह से जब उनकी तरफ से कोई ऐसी स्कीम आती है तो इसको थोड़ा अस्थायी रखते हैं और उस स्कीम को पक्की करने के पहले दस बार सोच लेते हैं। मैं फिर दोहराये देता हूं कि वह स्कीम हमारी नहीं है, भारत सरकार की है। उन्होंने रुपया देने का वादा किया और अब कह दिया कि रुपया नहीं देंगे। इसलिये मजबूर होकर हमने एक कमेटी बिठाई है जो यह देखेगी कि आया यह स्कीम चलाने लायक है या नहीं। उसकी उपयोगिता की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि अगर उस स्कीम को चलाने की कोशिश की जाय तो वह रुपया कहां से आवेगा जो भारत सरकार ने देने का वादा किया था। हमारा बजट सीमित

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है। इसीलिये हमने कमेटी बिठाई है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जब गवर्नमेंट गौर कर लेगी तब उस स्कीम को रखने का प्रश्न आवेगा। अगर रखना होगा तो जाहिर बात है कि उनको परमानेंट किया जावेगा और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी जावेगा, अगर जरूरी होगा। अगर टेम्परेरी रहना है तो फिर वैसा होगा। मेरा ख्याल है कि अब इस संबंध में जो भ्रम था वह दूर हो गया होगा।

अब मैं केवल इतना कहकर खत्म करता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये हमारे हृदय में आदर है, लेकिन वह भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस बात की मजबूरी हो जाती है कि अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये हमको उनसे मतभेद लेना पड़ता है और इस कटु कर्त्तव्य को करना पड़ता है। वैसे जितने कम अवसर हों उतने कम होने चाहिये और बहुत कम ऐसे अवसर होते भी हैं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८†

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ [Gorakhpur University (Amendment) Bill, 1958], जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऐक्ट पहले से मौजूद है। जिस प्रकार कुछ कारणों से इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिनियमों में कुछ संशोधन करने पड़े उसी दृष्टि से यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी संशोधन करने वाला यह विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उस पर यह सम्मानित सदन अपने विचार प्रकट करे।

जैसे कि इसमें संशोधन किये गये हैं उनको देखने से स्पष्ट हो जायगा कि अधिकतर तो संशोधन ऐसे ही हैं जैसे कि हमने इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के बारे में किये। कुछ थोड़े से संशोधन ऐसे हैं जो आनुषंगिक हैं, कुछ शाब्दिक हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई विशेष आवश्यकता अधिनियम में दिखाई नहीं दी उनको निकालने के लिये हैं। कोई नये प्रकार के विशेष संशोधन हैं नहीं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है हमारी यूनिवर्सिटीज में २ स्केल लागू किये गये हैं। एक प्रोफेसर का और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जो टीचर्स की बहुत सी केटेगरीज थीं अधिनियमों में उनको हटाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा ही संशोधन लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में भी किया गया और उसी प्रकार का एक संशोधन इसमें भी रखा गया है।

दूसरा संशोधन चुनाव के सम्बन्ध में है। यूनिवर्सिटीज की अथारिटीज की बाडीज में जो चुनाव का तरीका है उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिये करने का संशोधन है। ऐसा ही हमने लखनऊ, आगरा विश्वविद्यालय में भी रखा है। इलाहाबाद में यह था ही। गोरखपुर विश्वविद्यालय की अथारिटीज की बाडीज के चुनाव में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट की पद्धति अपनायी गयी है।

तीसरा संशोधन डिसिप्लिनरी क्लाजेज का है। हमारे विश्वविद्यालय के अधिनियमों में अनुशासन सम्बन्धी एक धारा है। लखनऊ, आगरा व इलाहाबाद में भी यह धारा रखी गयी है। अभी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक जो पारित किया गया है उसमें भी यह संशोधन किया गया है। यह अनुशासन सम्बन्धी धारा सभी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों से निकाली गयी है और गोरखपुर से भी निकाल देने के लिये इस अधिनियम में संशोधन है।

---

† ७ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य रूप से यही संशोधन किये गये हैं और हमारे इस अधिनियम को करीब-करीब लखनऊ विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय के अधिनियमों के समकक्ष बना रहे हैं। इसके अलावा २, ३ छोटी-मोटी चीजें और रखी गयी हैं। एक तो एफिलियेटेड कालेजेज के प्रिन्सिपल्स के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में है। अब तक जो ऐक्ट था उसमें सम्बद्ध कालेजेज के प्रिन्सिपल्स व आचार्य का एक्जिक्यूटिव कौंसिल में केवल एक ही प्रतिनिधि होता था, लेकिन अब वह संख्या बढ़ाकर २ कर दी गयी है।

दूसरा संशोधन एग्जामिनर्स के सम्बन्ध में है। अब तक यह था गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में कि एग्जामिनर्स की नियुक्ति बोर्ड आफ फेकेल्टीज करेगी। जो बोर्ड आफ फेकेल्टीज को अधिकार दिये हुये हैं उन में एग्जामिनर्स की नियुक्ति भी है और विश्वविद्यालयों में भी इसी विचार से कि एग्जामिनर्स की नियुक्ति बहुत सीक्रेट रखी जाय, गुप्त रहे और उसका अत्यधिक प्रसार न हो जो व्यवस्था की गई है वही व्यवस्था इसमें भी की गई है। एप्वाइंटमेंट आफ एग्जामिनर्स उस सेक्शन में से डिलीट कर दिया है।

और एक छोटा सा संशोधन यह किया गया है कि अब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में यह जो कमेटी थी कमेटी आफ कोर्सेज आफ स्टडीज, उसको जैसा कि और विश्वविद्यालयों में उसकी संज्ञा प्रदान की गयी है, बोर्ड आफ स्टडीज उसका नाम रख दिया गया है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स आफ सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट्स के लिये एक जनरल प्राविजन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है खंड ११ में बिल के कि जो भी एलेक्शन होंगे वह इसी पद्धति के द्वारा होंगे और टीचर्स के टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंटस् के बारे में भी एक सुधार इसमें प्रस्तावित है। ऐसा रहा है कि यदि ६ महीने से ऊपर के लिये एफिलियेटेड कालेजेज के टीचर्स की जो नियुक्ति होती थी, उसके लिये तो वाइस-चांसलर से स्वीकृति ले ली जाती थी लेकिन टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट्स जो होते थे छः महीने से नीचे के, कभी जरूरत पड़ जाती है एफिलियेटेड कालेजेज को, तो उसमें फिर किस प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता मैनेजमेंट नहीं समझता रहा है और उसकी बहुत सी शिकायतें होती रही हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो कि कालेजेज को सम्बद्धता प्रदान करते हैं। आगरे में भी ऐसा रहा है,। तो उसमें भी एक यह संशोधन किया गया है कि अगर एक टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट भी एक टीचर का हो जो ६ महीने या उससे कम के लिये हो तो उसमें भी वाइस-चांसलर का एप्रूवल ले लिया जाय। यह थोड़े से संशोधन हैं जिन्हें विधेयक में प्रस्तावित किया गया है।

एक रिमूवल आफ दी डिफिकल्टीज आर्डर का प्राविजन २४ महीने के लिये आपके ऐक्ट में था। वह ३ अगस्त को समाप्त हो गया और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का काम प्रायः इस वर्ष जुलाई से आरम्भ हुआ है। इसके पहले कार्य आरम्भ हो गया था। पर इस वर्ष जुलाई से वह बाकायदा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज आर्ट्स में और साइंस में भी चालू हुये हैं। उसके स्टेट्यूट्स बनकर तैयार हैं और शीघ्र ही सदन के सम्मुख आयेंगे। पर इस बीच में कुछ ऐसे अध्यादेश, ऐसे आदेश निकालने की आवश्यकता पड़ी जिनसे कि जो डिफिकल्टीज बीच में आ रही हैं वह हटायी जा सकें। तो उसमें जो २४ महीने था उसको ३६ महीने कर दिया गया है ताकि इस वर्ष जो कुछ कठिनाई हो वह दूर हो सके।

यही थोड़े से संशोधन हैं। विशेष कुछ इसके सम्दन्ध में कहना नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुये दो तीन साल हुये और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना और उसे कार्यान्वित करना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। इस बीच में भी कई दिक्कतें हमारे सामने आयीं। पर अब उसका काम शुरू हो गया है और इस अधिनियम में वही परिवर्तन संक्षेप रूप में किये गये हैं जिनसे कि यह हमारा अधिनियम समकक्ष हो जाय लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय की तुलना में। इन थोड़े से शब्दों के साथ में आपकी आज्ञा से मान्यवर, यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्मानित सदन हमारे इस संशोधन विधेयक पर विचार करे।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

"सदन का निश्चित मत है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन तीन सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे ।"

श्री अध्यक्ष—आप के जो संशोधन में शब्द हैं कि "अपनी परिधि बढ़ाने का" इससे तो समिति अपनी परिधि को बढ़ायेगी . . . .

श्री चन्द्रजीत यादव—मेरा मतलब है विधेयक की परिधि से । मैं ठीक किये देता हूं । मैं इसमें ऐसा संशोधन रखे देता हूं कि "विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो" समझा जाय ।

श्रीमन्, यह संशोधन मैंने इसलिये प्रस्तुत किया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो मूल ऐक्ट है उसमें कुछ विशेष परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है । यदि हम केवल प्रस्तुत संशोधनों पर ही विचार करेंगे तो हमें वह अधिकार प्राप्त न होंगे कि जिनसे हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के मूल ऐक्ट में किसी प्रकार के परिवर्त्तन कर सकें । इससे पहले कि मैं अपने तर्क उपस्थित करूं कि यह संशोधन मैं क्यों लाया, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का इन संशोधनों के कुछ अंशों के लिये आभार प्रकट करता हूं । एक तो यह कि मंत्री जी ने वहां के अध्यापकों को दूसरे विश्वविद्यालयों के समकक्ष वेतन-क्रम दिलाने का प्रयत्न किया है जिसकी बहुत दिनों से मांग थी । दूसरे एक चीज यह की गई है कि उपकुलपति को जो अनुशासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है । इन दोनों चीजों का मैं स्वागत करता हूं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिधि में हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल के ९ जिले आते हैं । इन ९ जिलों में जितने भी कालेज होंगे वह उस के अन्दर आयेंगे और यह ९ जिले एक प्रकार से उसके अधिकार क्षेत्र में माने जायेंगे । जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसके पहले हमारा यह खयाल था और सरकार की ओर से भी यह कहा गया था कि यह विश्वविद्यालय एक रूरल यूनिवर्सिटी होगा । रूरल यूनिवर्सिटी की कुछ विशेषताएं होती हैं और किसी भी कृषि प्रधान देश में उसकी नितांत आवश्यकता है । अभी कुछ वर्ष पहले हमारे देश के विश्वविद्यालयों की अवस्था को ठीक करने के लिये, उनकी आवश्यकताओं की ठीक से जांच-पड़ताल करने के लिये भारत सरकार ने एक कमीशन हमारे वर्त्तमान उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में नियुक्त किया था । उसने इस बात की जांच पड़ताल की कि हमारे देश में किस प्रकार के विश्वविद्यालयों की जरूरत है । उन्होंने जोर दिया था कि जो विश्वविद्यालय हमारे यहां चल रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे होने चाहिये कि जो रूरल विश्वविद्यालय हों, जो वहां की भाषा, संस्कृति और दूसरी आवश्यकताओं को देखते हुये चलाये जायें । उनमें क्या बातें आयेंगी, उनके अधिकार में कौन से विषय होंगे इस पर काफी तफ़सील से उन्होंने विचार किया था । मैं समझता हूं कि हमारा पूर्वी अंचल एक कृषि प्रधान अंचल है जहां ९० प्रतिशत जनता कृषि से सम्बन्धित है । उस क्षेत्र में जब एक इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो उस क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होगा और वहां की जनता की बहुत दिनों की कामनाएं पूरी होंगी, लेकिन खेद है कि हमारा वहां की जो वर्तमान स्थिति है, जो वहां के लिये पाठ्यक्रम निश्चित हुआ है उसको देखते हुये हमारी आशाओं पर पानी फिर गया और वहां की जो हालत है वह इतनी दयनीय है कि आज दो तीन साल में भी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हुआ है । इस साल का सिलेबस अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि क्या होगा । जो नियुक्तियां वहां विभागों की हुई हैं उनमें जो धांधली हुई है वह सर्वविदित है, उसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अलावा एक दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में और कहनी है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन संशोधनों का मतलब यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के समकक्ष ला दिया जाय । लेकिन यदि हम इस विधेयक को देखें कि जो बनाया जा रहा है और उन दोनों विश्वविद्यालयों के ऐक्टों को देखें जिनके समकक्ष वह इसे बनाना चाहते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उनमें अब भी काफी अन्तर है और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का अन्तर सरकार क्यों रखना चाहती है ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो मूल अधिनियम है उसके अन्दर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जैसे, मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) इस बात की व्यवस्था करती है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है, यानी वह ९ जिले जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आते हैं उनके अन्दर किसी भी विश्वविद्यालय को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाने का अधिकार नहीं होगा । अगर कोई विद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाता है तो उसका अफिलिएशन समाप्त हो जायगा । मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों के लिए इस प्रकार का बन्धन लगाना उचित नहीं होगा । जहां तक मुझे जानकारी है, प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का बन्धन तो है ही नहीं, हमारे देश के भी किसी विश्वविद्यालय में, इतने बड़े क्षेत्र में, इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है । तो इस बन्धन का प्रभाव यह है कि पूर्वी जिलों के वह लड़के जो दूसरे जिलों के अन्दर हैं अगर उनको यह सुविधा होती कि ऐसे कालेज उनके यहां बन जायं जिनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो तो वह बाहर न जाते । अब मजबूरन उनको गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाना होगा या काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में, या प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालयों में अपने जिले को छोड़ कर जाना होगा । पूर्वी जिलों के अन्दर कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जो इसके लिए समर्थ हैं कि वह अपने यहां पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए क्लासेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको वह सुविधा नहीं है । इस बात से भी हमारे कुछ विद्यालयों में और वहां की जनता में असन्तोष है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय पर इस बात का बन्धन लगा हुआ है और इसको दूर करने की आवश्यकता है और यह तभी होगा जब हम इस अधिनियम की परिधि बढ़ायें और उस पर विचार करें ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) में उपकुलपति का जो कार्यकाल है उसके अनुसार ५ वर्ष तक उपकुलपति की नियुक्ति होगी । मैं समझता हूं कि आज कल बहुत समझे-बूझे लोगों का खयाल है कि उपकुलपति की नियुक्ति ३ वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए । अगर ३ वर्ष के लिए होती है तो यह कार्यकाल भी इतना काफी है कि उसके अन्दर योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता से ऐसे परिवर्तन ला सकता है, ऐसी बातें कर सकता है जो उसके लिए पर्याप्त होंगी । अनावश्यक रूप से अगर कोई आदमी गलत वजह से चुन लिया गया, उसकी वजह से विश्वविद्यालय के वातावरण में किसी प्रकार का दोष पैदा होता है या वहां की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि इस बात का भी कोई निराकरण हो सकेगा और दूसरे व्यक्तियों को भी उसमें अवसर मिलेगा कि ३ वर्ष इस पद पर रह कर विश्वविद्यालय की और उस क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकेंगे । तो मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (५) और (६) में जो उपकुलपति की नियुक्ति की व्यवस्था है, मैं समझता हूं वह उचित नहीं है । लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था है वह यह है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल एक राय होकर एक व्यक्ति की सिफारिश करती है और चांसलर उसको नियुक्त करते हैं । लेकिन जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मतभेद होता है तो तीन नामों की सिफारिश करती है । लेकिन श्रीमन्, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में एक अजीब व्यवस्था है । तीन व्यक्तियों को एक

[श्री चन्द्रजीत यादव]

समिति बनेगी । एक तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल नामीनेट करेगी, दूसरा चीफ जस्टिस का नामिनी होगा और तीसरा वाइस-चांसलर का नामिनी होगा। इन तीन नामों में से कुलपति नियुक्त करेंगे। मैं समझता हूं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को ही पावर होनी चाहिये कि जिसको वह उचित समझे उसकी सिफारिश करे और उसी को चांसलर नियुक्त करे। एक्जीक्यूटिव कौंसिल जिसके ऊपर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के चलाने का भार होगा, उसके ऊपर इतना तो विश्वास करना चाहिये कि वह ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करेगी जिसमें योग्यता होगी, क्षमता होगी और जिसे शिक्षा जगत में एक विशेष स्थान प्राप्त होगा और जो विश्वविद्यालय की सेवा कर सके।

दूसरी बात मैं कोर्ट के संगठन के विषय में कहना चाहता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट का जो मौजूदा संगठन है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। श्रीमन्, जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी कोर्ट की सदस्यता का हक हासिल होगा जो विश्वविद्यालय को एक निश्चित धनराशि देंगे। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की सदस्यता देना और वह आजीवन देना, मैं समझता हूं कि आज के समाज में बिलकुल उचित नहीं होगा। यदि कोई आदमी विश्वविद्यालय को दान देता है और आप चाहते हैं कि उसने दान दिया है इसलिये उसके लिये कुछ किया जाय तो उसके नाम से कमरे बनवा दिये जायं या हाल में उसकी शिलालेख लगा दी जाय। लेकिन यदि कोर्ट की सदस्यता दी जायगी तो ऐसा भी अवसर आ सकता है जब रुपये वाले कोर्ट में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें और अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि इससे शिक्षा के अन्दर दोष पैदा होंगे और ज्यादा लाभ नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि कोर्ट की सदस्यता के लिये सरकार से नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे। इसमें दो तरह की व्यवस्था की गई है। एक वर्ग ६ के मुताबिक और दूसरी वर्ग ८ के मुताबिक। वर्ग ६ के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से ५ व्यक्ति नामीनेट होंगे और वर्ग ८ के मुताबिक कुलपति ८ व्यक्तियों को नामीनेट करेंगे। यह मानी हुई बात है कि.....

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं आपका ध्यान इधर दिलाना चाहता था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का अधिनियम मौजूद है, उसके संशोधन के लिये यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है तो क्या सारे का सारा ऐक्ट भी इस विधेयक पर होने वाले जनरल डिस्कशन में उठाया जा सकता है या केवल उन धाराओं और उपधाराओं पर ही विचार व्यक्त होने चाहिये जिनमें संशोधन किये जा रहे हों?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी, संशोधन देखिये, परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ऐसा प्रवर समिति को बिल भेजना चाहते हैं। इसलिये थोड़ा-सा उनको सीमा से बाहर जाने का भी अधिकार है।

श्री चन्द्रजीत यादव--श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे यह आदेश दिया कि मैं इन बातों पर विचार कर सकूं। वस्तुतः ऐसे संशोधनों का मन्तव्य यही होता है और जब तक परिधि न बढ़ेगी तब तक हम विचार नहीं कर सकते हैं। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था इस तरह से दुहरे अधिकार ले लेना अनुचित है।

दूसरी बात यह कि किस व्यक्ति को वह नामीनेट करेंगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर करना है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ऐसे लोगों को नामीनेट कर सकते हैं जो शिक्षा जगत में एक विशेष स्थान रखते हों या किसी विषय के अन्दर विशेषज्ञ हों, ऐसे व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा कर सकते हैं। ऐसी धाराओं का समय-समय पर अनुचित उपयोग होता है और हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कुलपति ऐसे व्यक्तियों को नामीनेट करें जो विशेषज्ञ हों। लेकिन दो धाराओं

के अन्दर एक जगह ८ व्यक्ति कुलपति नामिनेट करें और दूसरी जगह राज्य सरकार ५ व्यक्ति नामिनेट करे, मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक ५ व्यक्तियों को नामिनेट करने का अधिकार केवल कुलपति को होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। श्रीमन्, कार्यकारिणी परिषद् के निर्माण के बारे में भी थोड़े से शब्द कहने हैं। कार्यकारिणी परिषद् के अन्दर भी कुलपति तीन व्यक्तियों को नाम निर्देशित करेंगे। ये कौन होंगे, इसके बारे में यह विधेयक मौन है। कार्यकारिणी जो सब से महत्वपूर्ण परिषद् होगी जिसके ऊपर विश्वविद्यालय के संचालन का सम्पूर्ण भार होगा, उसके लिए तीन कौन ऐसे आदमी होंगे इसकी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो विश्वविद्यालय का संचालन कर सकें, उसके लिए विशेषज्ञ हों, हाई कोर्ट के जज हों या किसी भी विषय के अन्दर मान्यता प्राप्त हों, वरना मुझे भय है कि इसका दुरुपयोग होगा जैसा कि हमारा पिछला अनुभव है।

श्रीमन्, कोर्ट की सदस्यता के बारे में एक बात और कहनी है। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे मंत्रियों को जिन्हें उचित समझें, तो कितने मंत्रियों को सदस्यता मिलेगी उसके अन्दर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अनुसार कैबिनेट का हर मेम्बर कोर्ट का मेम्बर हो सकता है। मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक शिक्षा मंत्री को कोर्ट में होना चाहिए जो कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से उसके सदस्य हों, न कि जितने भी मंत्री हैं उनमें जिसको चाहें नियुक्त कर दें।

इसके अलावा, कोषाध्यक्ष के पद की भी अवधि ६ वर्ष होगी। पिछली बार जब इस सदन के अन्दर लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो मैंने कहा कि यह बहुत अधिक है। जैसा कि दूसरे कार्यकाल के लिए हमने कहा है, तीन वर्ष से अधिक यह कार्यकाल भी नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का मौजूदा संचालन जिस प्रकार हो रहा है सरकार पिछले दो वर्षों के भीतर जिस प्रकार असमर्थ रही है, न पूरे साधन जुटा सकी, न संचालन उसका सुचारु रूप से कर सकी और सरकार फिर २४ महीने के स्थान पर ३६ महीने करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार के पास पूर्ण साधन नहीं थे तो क्या आवश्यकता थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय खोला जाय, वहां पर प्रबन्ध ठीक न हो सके, लड़कों और अभिभावकों को परेशानी हो? क्या इसकी जल्दी थी? जब सरकार के पास साधन होते, सरकार इस स्थिति में होती कि वह विश्वविद्यालय चला सकती तभी इस प्रकार की बात की जाती। मैं समझता हूं कि ६ महीने से अधिक का समय नहीं देना चाहिए। २४ महीने के स्थान पर ३० महीने रख दिया जाय और इस समय के अन्दर सरकार गारण्टी करे कि विश्वविद्यालय को ठीक से चलाने के लिए सारी व्यवस्था होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री इन सुझावों को ध्यान में रख कर इस विधेयक की परिधि बढ़ायेंगे ताकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्दर जो और विश्वविद्यालयों से असमानताएं हैं, जो खामियां रह गयी हैं, उनको दूर करने में समर्थ होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह विधेयक ५ बजे तक पारित करना है। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि भाषण संक्षेप में ही हों।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की यह निश्चित राय है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जहां हम इसको प्रवर समिति में प्रस्तुत करने का सुझाव आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को देते हैं वहां हमें माननीय मंत्री जी का ध्यान १७ अप्रैल, १९५६ के उस बिल की तरफ दिलाना है जब यह बिल ऐक्ट बनाने के लिये माननीय सदन में आया था। आपकी आज्ञा से मैं इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ देना चाहता हूं कि "इस विश्वविद्यालय को प्रामीण स्वरूप देना अभिप्रेत था जिससे उस क्षेत्र के आर्थिक साधन और समस्या अनुरूप

[श्री प्रतापसिंह]

बन सके।" आज जो संशोधित विधेयक हमारे सामने पेश किया गया है उसका हम स्वागत तो जरूर करते हैं लेकिन जिस रूप में आज हमारे सामने यह लाया गया है उस रूप में हम इसका स्वागत नहीं करते। इसलिये कि उस समय के उद्देश्य और कारणों में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि ग्रामीण जनता के लिये यह शिक्षा का नया क्रम हम रखने जा रहे हैं और जिस तरह से अन्य विश्वविद्यालयों में है उससे यह भिन्न होगा, लेकिन आज यह इसमें लिख दिया गया है कि इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों की तरह से समान रूप इसको देना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक्सक्यूज है कि इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों की तरह से इसको भी किया जाय और उसी आधार पर इसको चलाया जाय। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है इसलिए कि आज हम एक नई व्यवस्था को बनाने जा रहे हैं। लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की तो सेन्चुरी मनाने जा रहे हैं। वे विश्वविद्यालय तो ५०, ६० साल पहले से चल रहे हैं, जिस तरीके से वे चल रहे हैं उसी तरह से उस विश्वविद्यालय को चलाया जाय जो अभी अपने शैशवकाल में है तो मैं इसको ठीक नहीं समझता।

आज देश के सामने सब से बड़ी समस्या बेकारी की है। १,४०,००० लड़के एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिये नाम लिखाते हैं। उनमें सब से बड़ी संख्या शिक्षित लोगों की है। उसमें ७५ हजार शिक्षित लोग नौकरी के लिये नाम लिखाते हैं कि उनको नौकरी दी जाय। वह इन्हीं विश्वविद्यालयों से निकल कर आते हैं। वह जब समाज में आते हैं तो उनको मालूम होता है कि समाज के अन्दर उनका कोई स्थान नहीं है। वे समाज में इस लायक नहीं हैं कि वे अपनी जीविका कमा सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि इस आधार पर जो भी रूप आप इस विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं वह गलत है। इस सम्बन्ध में १९४८-४९ में जो यूनिवर्सिटी कमीशन, हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के एक महान् दार्शनिक की चेयरमैनशिप में बैठा, उसके कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

"The conditions of Indian life and government under which the present universities had their origin and development have already been described. It was inevitable that the universities should be influenced by these conditions. They are valuable institutions and are expected to yield good results after necessary adaptations to the changed conditions of a free people."

इसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की एजूकेशन उसी तरह की होनी चाहिये जिससे कि समाज की जरूरत पूरी हो। आगे फिर यह कहा गया है कि :—

"There is a vast field of pioneering before us in the process of evolving new institutions of higher learning which will answer to the needs and aspirations of this democracy."

यह तो हमको डेमोक्रेसी की परिभाषा में भी बतलाया गया है और इब्राहम लिंकन ने भी हाई स्टैन्डर्ड की डेमोक्रेसी के लिये यह बताया है कि उसके लिये मास एजुकेशन चाहिये। शिक्षा का तो नारा लगाया जाय और समाज की आवश्यकता का उसमें ध्यान न रखा जाय तो मैं समझता हूं कि यह जो रुपया विश्वविद्यालयों के लिये व्यय किया जा रहा है वह बेकार है, इसलिये कि हम केवल यह कह दें कि मास्टरों का स्केल और दर्जा इलाहाबाद-लखनऊ की यूनिवर्सिटी के बराबर करने जा रहे हैं, समान रूप देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं सदन का समय बरबाद करना है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उस विश्वविद्यालय को वही रूप देना चाहिये जो हमने १९५६ में कहा था कि इसको रूरल विश्वविद्यालय बनाया जायगा। मंत्री जी इस पर विचार करें।

मान्यवर, देश की बदलती हुई आवश्यकता के बारे में कहा है कि "a chance for a new, free beginning".

श्रीमन्, उन्होंने यह कहा है कि पुरानी यूनिवर्सिटीज, जैसे इलाहाबाद या लखनऊ को हम आज की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बदल सकते, क्योंकि उनका अपना एक स्तर है और इसके लिए उनका अपना कंट्रीब्यूशन भी है, और इसलिए अगर हम उनमें कोई तरमीम लाना चाहेंगे तो वह मुश्किल होगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय दो साल से चल रहा है उसको हम बदल सकते हैं और उसके लिये यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन भी कहता है :—

"A chance for a new , free beginning unhampered by the recent historic past, which can take advantage of marked advances in world educational thought and practice, is made possible by the necessary large expansion of educational facilities."

इसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम नयी यूनिवर्सिटी बनाने जायं तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ उसका कांपिलक्ट हो, बल्कि उसके लिये हम एक नया वातावरण पैदा करें। इसके लिये उन्होंने कहा है :—

"However , because the pattern and spirit of existing universities is so distinctly urban centred."

यानी जो यूनिवर्सिटी आज तक हैं उनका रूरल स्वरूप नहीं है। जिस तरह की शिक्षा उनमें दी जाती है, उसके असर से उनमें पढ़े हुए लोग देहात में रहना पसन्द नहीं करते। कमीशन ने कहा है कि ये यूनिवर्सिटीज अरबनाइज हो गयी हैं, लिहाजा जो नौजवान इनमें शिक्षा पाते हैं वे देहात में जाकर अपना काम नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम इसको एक रूरल यूनिवर्सिटी बनायें और श्रीमन्, जिस क्षेत्र में हम इसको खोलने जा रहे हैं वह क्षेत्र शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। शुगर केन टेक्नोलोजी उसमें पढ़ाई जा सकती है। एग्रीकल्चर कालेज भी उसमें है। सरकार ने जिस समय यह यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा किया था उस समय इसके लिये तीन चार कालेजों को लिया गया था—सेंट क्राइस्ट चर्च कालेज, महाराणा प्रताप कालेज आदि, लेकिन फिर न मालूम कौन सी मुसीबत सरकार पर आ गयी कि सारा मामला डांवाडोल पड़ा हुआ है और सेंट एन्ड्रूज कालेज अभी तक नहीं लिया गया। जिस समय इसकी फाउन्डेशन सोसाइटी बनी थी उस समय वायदा किया गया था कि इन कालेजों को ले लिया जायगा, वहां के सीनियर अध्यापकों को यूनिवर्सिटी में अब्जार्व कर लिया जायगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं इसका जवाब माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर साधन उपलब्ध नहीं थे तो क्या आवश्यकता थी कि इसके लिये कोशिश ही की जाती? जब साधन हो जाते तब खुलती। वाइस-चांसलर का अप्वाइंटमेंट किया गया और जब जनता ने आवाज उठायी तो उसको कैंसिल किया गया। आखिर यह क्या है? अध्यापकों का अप्वाइंटमेंट हुआ और फिर वह कैंसिल हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जो यह नयी यूनिवर्सिटी है वह एक नये पैटर्न के अनुसार हो। इसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल और एकेडेमिक कौंसिल का प्रबन्ध है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नयी यूनिवर्सिटी में वही लोग आयें कि जिनका देश और प्रदेश की शिक्षा में कुछ कन्ट्रीब्यूशन हो। क्या जरूरी है कि पोलिटिकल पार्टीज के लोग चुनाव लड़ें और उनको इन कौंसिलों में और यूनिवर्सिटी कोर्ट्स आदि में जाने का हक हो? वह लोग जायं कि जिनको एजूकेशन में मान्यता प्राप्त हो। सभी जगह प्रोफेशनल पालिटीशियन्स को जाने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

अन्त में जो आमूल परिवर्तन इसमें किये गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जैसे सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट की प्रथा है, चांसलर को अनुशासन के लिये जो पावर थी उसको जो कम किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो आश्वासन भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने दिया था कि गोरखपुर एक देहाती क्षेत्र है और वहां एक रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी और इस विभाग को जिम्मेदार ठहराता हूं और चाहता हूं कि इस पर थोड़ा विवाद करने के बाद यह विधेयक इस सदन की एक प्रवर समिति को जाय ताकि हम इस पर पुनर्विचार करें और

[श्री प्रतापसिंह]

उसके बाद जो उद्देश्य और कारण सन् १९५६ में इस विधेयक के थे, जब यह लाया गया था, उसी प्रकार उनके आधार पर हम इसका एक स्वरूप दें। जैसे रुद्रपुर यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं वैसे ही इसको होना चाहिये और इसमें ज्यादा खर्च की भी जरूरत नहीं है। आलरेडी वहां एग्रीकल्चर कालेज है और एक टेक्नोलोजिकल कालेज है, उसको ले लें। आज की आवश्यकता के अनुसार बाबुओं या क्लर्कों की जरूरत नहीं है, आज जरूरत डाक्टरों की है। बहुत अच्छे डाक्टरों की जरूरत है। मुल्क को बनाने के लिये अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। वह तभी हो सकता है जब कि हम उसके लिये सुविधा दें। देहात के तबके को बिलकुल इग्नोर किया गया है। यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ज्यादातर लोग, सन् १९४० के सेन्सस के मुताबिक, ८४ प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं, लेकिन उनके लिये हायर शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। वे गरीबी के कारण शहर में नहीं आ सकते हैं। जहां यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है वहां गरीबी अधिक है, इसलिये उनको लखनऊ और इलाहाबाद जैसी शिक्षा न दी जाय। मैं चाहता हूं कि वहां टैक्नोलाजी और एग्रीकल्चर का भी प्रबन्ध हो। जैसा मैंने बतलाया ७५,००० पढ़े लिखे लोग रोजाना नाम लिखा रहे हैं, इन सबका क्या होगा ?

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मेरे प्रवर समिति के संशोधन को मंत्री जी मान लें।

श्री भगवतीप्रसाद दुबे (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, जब यह यूनिवर्सिटी कायम होने की बात हुई माननीय पन्त जी से बातचीत होने पर यह निश्चय हुआ कि यह रूरल यूनिवर्सिटी बनेगी। मैं और बातों के सम्बन्ध में इस वक्त कुछ कहना बेकार सा समझता हूं परन्तु जो मूल बात है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। रूरल यूनिवर्सिटी के विचार से ही वहां के धनी मानी लोगों ने और जिले की जनता ने इतना बड़ा धन दिया, जिसे सन् १९५६ के ऐक्ट में स्वीकार किया गया। उसकी भीत के ऊपर यूनिवर्सिटी की नींव भी पड़ी। माननीय पन्त जी ने कहा कि यह रूरल यूनिवर्सिटी बनेगी। सन् १९५६ के ऐक्ट में रूरल बायस का कोई जिक्र नहीं है। खैर, गोरखपुर एक बड़ा लावारिस सा जिला है और वह दरियादिल भी है। अपनी बातों को कुछ संकोच से कहना भी पसन्द नहीं करता। लेकिन इतना धन देने के बाद जो ऐक्ट और यूनिवर्सिटी बनी वह उस शक्ल की बनी जैसी कि प्रान्त के और हिस्सों में हैं। उसका क्या फल हो रहा है, इसे शिक्षा मंत्री और सब अच्छी तरह से जानते हैं।

दूसरा ऐक्ट जो अब बनने जा रहा है उसमें कुछ संशोधन की बातें हैं। लेकिन मूल बात के ऊपर कोई तज़किरा इस बिल में नहीं है। यह एक दुखद बात है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जी को कुछ कठिनाई हो और अभी उसकी कोई आवश्यकता न सोचते हों, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है जिस विचार को लेकर देश और गोरखपुर के आसपास की जनता को उत्साहित किया गया और उनको साहस दिलाया गया कि हम रूरल यूनिवर्सिटी बनावेंगे, अब उस विचार से हम दूर चलते जाते हैं। यह कहना कुछ नामुनासिब न होगा कि हम रूरल बायस से अरबन बायस की ओर चले जा रहे हैं जब कि हमारी नीति यही होनी चाहिये कि हम शहरों से गांवों की ओर जावें। लेकिन यह उल्टी गंगा बहते हुये देख कर बड़ा क्लेश होता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी उल्टी चाल से भी हम अपने सही रास्ते को पा लें, लेकिन हमने ऐसा रास्ता नहीं देखा कि उल्टे रास्ते जाकर सीधे रास्ते पर पहुंच जावें।

दूसरी बात यह है कि अगर हम देश के एक अंचल से इस प्रकार रुपया लें और रूरल यूनिवर्सिटी के नाम पर हम अरबन यूनिवर्सिटी कायम करें तो जनता से लिये हुये धन का यह नामुनासिब इस्तेमाल होगा और वह वायदाखिलाफी होगी। वायदाखिलाफी किसी इन्सान के लिये बहुत ही खराब बात है और किसी गवर्नमेंट के लिये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हमें वह बात करनी चाहिये जिसके ऊपर हम साबित क़दम रह सकें। हम अगर दिलफेंक

होकर बात करेंगे तो कोई काम नहीं कर सकेंगे। इस कार्यवाही से गोरखपुर और उन ८ जिलों को जो यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं एक बड़ा आघात पहुंचता है। वे न बोलें तो यह उनकी दरियादिली है और उनका संकोच समझ लीजिये। उनका आप में विश्वास भी है कि आप उस चीज को करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि हम दूर चले जा रहे हैं। हमें इस बहके हुये रास्ते से हट कर सही रास्ते पर आना चाहिये।

इन बातों को कह कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति को यह बिल भेज दिया जाय और वहां पर इन तमाम बातों पर विचार करके काम किया जाय। छोटी-छोटी चीजों को आसानी से देखा जा सकता है, मगर मूल बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिमिटेशन ऐक्ट भी समय बीतने पर बाधक होगा और तब यह सरकार यह कहेगी कि दो ऐक्ट बन गये, आपने कोई तज़किरा ही नहीं किया और अब तो मियाद रास्ते में आती है। शिक्षा मंत्री जी उन्हीं पूर्वी जिलों के हैं जिनका इस यूनिवर्सिटी से खास सम्बन्ध है। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि वह इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि रूरल बायस देकर पूर्वी जिलों के अंचल का बहुत बड़ा कल्याण करना है।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बाढ़ की तरह पूर्वी जिलों में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां बना दी गईं। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ के होते हुये भी जब गोरखपुर युनिवर्सिटी बनी तो प्रसन्नता अवश्य हुई थी, लेकिन जो इसकी कठिनाइयां हैं उन्हें पहले ही सोच लेना चाहिये था। बिना कठिनाइयों के सोचे हुये जो कदम उठाया गया उसके फलस्वरूप यह नतीजा हुआ है कि युनिवर्सिटी गोरखपुर में तो बनेगी, लेकिन वह बनने नहीं पा रही है। जितना सामान और व्यवस्था एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिये वह यहां अभी नहीं हो रही है। दो कारण तो उसके स्पष्ट हैं। ९ जिले जो उस यूनिवर्सिटी को दिये गये हैं वह बहुत ही संकुचित क्षेत्र है। कुछ जिले तो ऐसे हैं कि अगर जबरदस्ती उनके लड़कों को गोरखपुर न भेजा जावे तो वे जाने के लिये तैयार नहीं होंगे। कौन लड़के जौनपुर, गाजीपुर और बलिया के हैं जो किसी प्रलोभन से गोरखपुर में जावेंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने वालों को सोचना चाहिये था कि वहां ३ बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां पहले से ही कायम हैं। उसका कोई भिन्न रूप अवश्य होना चाहिये था। बगैर इसके एक नई यूनिवर्सिटी जोड़ देना हमारी समझ से कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं रहा है। उसका नतीजा यह है कि बनावटी ढंग से सरकार गोरखपुर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का रूप देना चाहती है। एक नियम बना दिया गया कि इन ९ जिलों में कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं खोल सकता है। क्यों ऐसा है? उसका सिर्फ एक उद्देश्य शायद यह रहा हो कि इन जिलों के लड़के मजबूर होकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जावेंगे। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि अगर उनको एम० ए० पढ़ना है तो मेरा यह निश्चित मत है कि वह गोरखपुर जाने के बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जायगा, जहां पहले से शिक्षा वर्तमान है। मैं प्रार्थना करूंगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी अगर खोलना है तो उसका निश्चित रूप अवश्य होना चाहिये।

अब रही यह बात कि उसका रूरल रूप हो। यह रूरल रूप क्या होगा? रूरल रूप की मांग उस समय भी की गयी थी जब यूनिवर्सिटी खोली जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी कोई निश्चित भाषा रूरल यूनिवर्सिटी की नहीं की गयी थी। और आज भी यह बात गड़बड़ी में ही है। अगर उसको रूरल यूनिवर्सिटी बना दिया जाय तो उसमें पढ़ाया क्या जायगा? अगर उसमें खेती के सब्जैक्ट्स पढ़ाये जायेंगे तो क्या वह यूनिवर्सिटी का रूप ले सकेगी? लुहारी या ऐसे काम जो गांवों में होते हैं, उनकी वहां शिक्षा दी जाय तो क्या उतने से ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी बन जायगी? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्या रखा जाय, इसके बारे में एक निश्चित कार्यक्रम और प्रोग्राम सरकार के सामने होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

जो विधेयक इस समय यहां लाया गया है उसमें कहा गया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से समानता देने के लिये लाया गया है । जो नियम दूसरी यूनिवर्सिटीज में बन चुके हैं वही इसके लिये रखे जायेंगे जिससे एकरूपता आ सके । इसके क्षेत्र के विकास के लिये गवर्नमेंट के कुछ अधिकार थे, वह अधिकार गवर्नमेंट ने हटा लिये हैं, वह किसी हद तक अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक कठिनाई भी पैदा हो सकती है । अगर मान लीजिये किसी क्षेत्र के बारे में गोरखपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी रजामंद नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? जैसे फैजाबाद का जिला है । गोरखपुर यूनिवर्सिटी चाहती है कि वह उसके अन्तर्गत आ जाय । आजकल इंटरमिडियेट तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक है और ग्रेजुएट क्लासेज का ताल्लुक आगरा से है । तो आगरा यूनिवर्सिटी अगर नहीं चाहती है तब क्या होगा ? फैजाबाद न पूर्वी जिलों में है और न पश्चिमी जिलों में, तो ऐसी हालत में क्या होगा, इसका भी जिक्र इस विधेयक में होना चाहिये । इन शब्दों के साथ जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है , मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह विधेयक एक तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । इसके ही अनुरूप हमारे प्रदेश के दो विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी इस सदन द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं । सारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के वेतनक्रम एक समान हों, उनको एक ही स्तर पर रखने के लिये ही यह विधेयक इस सदन के सामने पेश किया गया है । दो विश्वविद्यालयों के अध्यापकगण, जिनके विधेयक इस सदन द्वारा स्वीकार हो चुके हैं, वह तो लाभान्वित होते रहेंगे, लेकिन अगर इस विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक को पारित करने में विलम्ब किया गया तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों को शिकायत करने का मौका मिलेगा । इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है, वह उचित प्रतीत नहीं होता । उससे तो केवल उसके पारित होने में ही विलम्ब होगा । ऐसी स्थिति में प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव उचित नहीं है ।

हमारे विरोधी दल के माननीय चन्द्रजीत जी और दूसरे सज्जन ने प्रवर समिति के सामने भेजने के लिये यह भी प्रस्ताव किया है कि इस संशोधन विधेयक की परिधि को बढ़ा दिया जाय । मैं समझता हूं कि अगर यह आवश्यकता प्रतीत हो कि जिस विधेयक को अभी सदन ने विचारपूर्वक केवल दो वर्ष पहले ही स्वीकार किया है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय आरम्भ हुए बिना ही, बिना किसी कार्य के अनुभव किये हुए परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो मैं उसको उचित नहीं समझता हूं ।

हमारे मित्र ने इस बात की मांग की कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की कोई रूपरेखा उसकी होनी चाहिये थी । इसकी चर्चा कुछ दिनों से हमारे देश में अवश्य है । हमार एक मित्र ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को ऐसी संस्था बनाना चाहिये कि उससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले । इसमें कोई संशय नहीं कि बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था करना समाज के संचालकों तथा किसी राज्य व्यवस्था के लिये आवश्यक होता है, परन्तु मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य कुछ और होता है । विश्वविद्यालयों में तो मानव आत्मा को मुक्त करने वाली शिक्षा दी जाती है । ऐसी स्थिति में यदि इस विश्वविद्यालय को हम एक संकुचित दिशा में ले जाने का प्रयास करें तो हम इस संसार में विश्वविद्यालयों के लिये एक माने हुए सिद्धान्त के विपरीत बात करेंगे । मान्यवर, इसमें कोई संशय नहीं कि यद्यपि हम इस अपने प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहें तो हमको पहले इस बात पर विचार अवश्य करना होगा कि जो पिछली शताब्दियों से स्थापित हमारे यहां विश्वविद्यालय हैं, वे पश्चिमी आदर्शों के अनुरूप ही स्थापित हुए हैं , इसलिये यह भारतवर्ष जिसने बहुत प्राचीन काल से संसार को शान्ति का सन्देश दिया है उसको अपनी संस्कृति के अनुरूप ही विश्वविद्यालयों की स्थापना पर सोचना पड़ेगा । और यहां पर ऐसी शिक्षण संस्थायें स्थापित होनी चाहियें जो अपनी प्राचीन

संस्कृति और अपने प्राचीन आदर्शों पर चलें। ऐसी दशा में यदि हम कोई नया विश्वविद्यालय खोलें, चाहे गोरखपुर का हो या कोई अन्य हो, तो हमको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिये कि यहां पर स्वतंत्र देश के अनुरूप ही शिक्षा दी जायगी और वह अपने प्राचीन आदर्श और परम्पराओं के अनुरूप ही होगी तथा जो वर्तमान विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में हैं उनसे वह विशिष्ट एवं भिन्न आवश्यकता की पूर्ति करती है। यदि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में भी कुछ दिन के अनुभव के बाद यह मालूम पड़े कि यहां पर इस भावना की कमी है तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम उस संस्था में उसकी पूर्ति कैसे करें? मेरा विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस बात पर अवश्य विचार करेंगे कि कुछ काल के अनुभव के बाद किसी तरह की त्रुटि मालूम पड़े तो उसको सुधारने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम हमने पहले स्वीकार किया है, अगर उससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो निश्चय ही हमको और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि हम इस विश्वविद्यालय को उसके उद्देश्य के अनुरूप बनावें। यह तो एक बहुत छोटा-सा संशोधन विधेयक है। इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, श्री प्रतापसिंह जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और श्री चन्द्रजीत यादव ने जो प्रस्ताव रखा है वह तो संयुक्त प्रवर समिति के लिये है। जब कि विधान परिषद् से यह विधेयक पास होकर यहां आया है तो अब इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्री प्रतापसिंह का जो संशोधन है वह इसी सदन की प्रवर समिति में भेजने के लिये है, जो उचित है। इस विधेयक के संबंध में श्री महावीरप्रसाद शुक्ल जी के भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय त्रिपाठी जी जो बात कहते उसको पूर्ण रूप से उन्होंने ही कह डाला। माननीय त्रिपाठी जी भी इसी शैली से इस बात को कहना शुरू करते कि यह विधेयक तो केवल मात्र विश्वविद्यालय के अध्यापकों को कुछ सुविधा देने के लिये लाया गया है, यह बहुत सीधा-सादा और छोटा-सा बिल है और इसको बहुत कम समय में ही पास कर देना चाहिये।

दूसरी बात शुक्ल जी ने एक स्टैंडर्ड कायम करने की कही। लेकिन जिस तरह का व्याख्यान उन्होंने यहां दिया उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि यदि वे गवर्नमेंट पार्टी की बैठक में इस तरह की बात कहते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि इस सदन में वे इस तरह की बात कहें। अभी इससे पूर्व भगवती प्रसाद जी ने कुछ विचार रखे जो समझने लायक हैं। वे वयोवृद्ध हैं और ठीक उसी के अनुरूप बात उन्होंने कही। यह बात अकाट्य है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने के पहले बहुत आशायें दिलायी गयी थीं और न केवल आशायें ही दिलायी गयी थीं बल्कि राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप यह कमेटी बनायी गयी। न केवल इतना ही बल्कि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी ने भी बहुत आशान्वित होकर यह कहा था कि यह नयी यूनिवर्सिटी रूरल आधार पर बनेगी। परन्तु इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद और ऐक्ट में संशोधन आने के बाद हम देखते हैं कि जितनी भी बातें राष्ट्रपति जी द्वारा या राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा कही गयी थीं वह सभी भुला दी गयी हैं।

हमारे शिक्षा मंत्री जी अब कुछ नये ढंग की बात करने के आदी हो गये हैं। उनमें एक विशेष गुण है। वे कुछ मिठाइयां दिखाकर हमेशा खटाइयां पैदा कर दिया करते हैं। इस बिल में भी यह किया गया है। कहेंगे वे यह कि समानता लाने की दृष्टि से वे यह बिल लाये हैं, लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह विश्वविद्यालय बिल जिसको आपने स्वयं निर्मित किया है क्या उन वादों पर आधारित है जिनको आपने किया था? क्या उनको आपने फलीभूत किया है? यह मैं मानता हूं कि यह गोरखपुर विश्वविद्यालय कुछ थोड़े धनी लोगों के धन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

आधार पर बनी है किन्तु मैं यह नहीं जान पाया कि क्या उनके मन्तव्य के अनुसार यह विश्वविद्यालय बना और क्या उनकी स्वतंत्र रूप से राय ली गयी ? क्या यह विश्वविद्यालय सचमुच उन आदर्शों की पूर्ति करता है जिसके लिये यह बना था ? मैं इस समय आपकी रूलिंग के अनुसार सारे विधेयक के संबंध में सिंहावलोकन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ थोड़ी सी बातें प्रस्तुत करूंगा ।

इनमें से कुछ धाराओं को परिवर्तन करने के लिये रखा गया है जो अनुशासन की कार्यवाही की धारायें हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में वह बात नहीं की गयी तो यहां पर अनुशासन की कार्यवाही को हटा देने के लिये इतनी उतावली क्यों है ? मालूम होता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी स्टैंडर्ड को उठाने के लिये अध्यापकों को संतुष्ट करने के लिये बड़े उतावले रहा करते हैं। वे समानता की दुहाई देते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटी में केवल यही सुधार होना बाकी रह गया है ? पहले ही मैंने इसीलिये कहा था कि कुछ मिठाइयां इसमें जरूर रखी गयी हैं । जैसे एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का आयोजन तथा एक अध्यापक के स्थान पर दो अध्यापकों का प्रतिनिधित्व । किन्तु जो मिठाइयां फैला दी गयी हैं उसके साथ-साथ बहुत अधिक खटाइयां इसमें भरी पड़ी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या मिठाई की पिटारी खोलने से खटाई निकलने लगती है ? (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां, यह शिक्षा मंत्री जी की भानमती की पिटारी है जिसमें से आशा की जाती है कि निकलेगा सांप, लेकिन निकलता है बिच्छू ।

माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से इस बिल का पायलटिंग किया और जो उन्होंने इसके उद्देश्य और कारणों के संबंध में भाषण दिया उसको देखते हुए इसमें जो अनुशासन के संबंध में संशोधन रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं । इसलिये नहीं विरोध करता हूं कि मैं अनुशासन का पक्षपाती नहीं हूं बल्कि इसलिये कि मैं चाहता हूं कि अनुशासन का बवंडर खड़ा करके सुधार करने की बात न कही जाय । अगर करना है तो हर जगह करिये । अगर अनुशासन अच्छी चीज है तो सब शिक्षा प्रणालियों के लिये अच्छी चीज है । यदि वह सेकेन्डरी एजूकेशन के लिये अच्छी है तो जहां वह नहीं है उन सभी जगहों में लाने की कोशिश कीजिये । अनुशासन रखने के लिये इंस्पेक्टोरेट को अधिकार दिये जा रहे हैं, बराबर धमकियां दी जाती हैं । अगर वह बात सही है तो यह बात यूनिवर्सिटी के लिये भी सही होनी चाहिये । ऐसी क्या बात है जिसके लिये वे आज इतने उतावले हो रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं ।

दफा १७ में जहां डीन के हटाने की बात है वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार निर्वाचित होने के लिये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को इसमें समाविष्ट कर दी गयी है । ऐसी बातें तो सभी लोग पसन्द करेंगे, हमने भी इसको पसन्द किया है । हमें इसके संबंध में कुछ विरोध नहीं है केवल यह कहना है कि ये संशोधन जो विश्वविद्यालय के संबंध में हैं जब कभी आप लायेंगे तो हमें अवसर मिलेगा कि आपकी शिक्षा प्रणाली का अवलोकन कर सकें । हमें आशा यह थी कि हमारे देश में जब स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए १०-१२ साल हो चुके तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली में वास्तविक सुधार कर सकेंगे, लेकिन बार-बार सुनते हैं ये आवाहन कि शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिये वे बैंकप्ट हैं और हम जो कुछ कह देंगे वह उनको शिरोधार्य होगा । अगर सच्चाई के साथ माननीय मंत्री इस चीज को मानते हैं और अगर उनमें बैंकप्सी है तो वे इस चीज को स्वीकार करके इस्तीफा दें और दूसरों को आने का मौका दें ताकि वे शिक्षा में सुधार करके दिखा सकें ।

हमारे महावीरप्रसाद जी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों में पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति पर शिक्षा दी जाती है और वे चाहते हैं कि पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा न देकर हमारी संस्कृति के आधार पर शिक्षा दी जाया करे । लेकिन ऐसा वे सिर्फ मन में चाहते ही हैं, मंत्री महोदय को

प्रेस नहीं करते वैसा करने के लिये, मंत्री का विरोध करने का उनमें साहस नहीं है, यह उनके डिसिप्लिन की चीज है। जो चीज आप महसूस करें उसको इस सदन में कहें। लेकिन सदन के सदस्य न होकर वे पार्टी के सदस्य पहले हैं .....

श्री उपाध्यक्ष---यह मान लेना उचित नहीं है कि जैसा वे महसूस करते हैं उसके खिलाफ वे कहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने इसलिये कहा, उनके हृदय को टटोला कि उनके हृदय में कुछ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मेरे हृदय को उन्होंने कभी नहीं टटोला।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं शिक्षा मंत्री जी को बड़े आदर के साथ देखते हुये बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि हृदय को तो एक दिन में टटोला जा सकता है, फिर मैं उनके साथ डेढ़ वर्ष बैठ चुका हूं और उनकी सब बातें अक्षरशः सुन चुका हूं। जहां तक कि इस देश में शिक्षा का सुधार करने का सम्बन्ध है, एक दिन की भी देरी स्वीकार नहीं करूंगा, डेढ़ वर्ष की देरी का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता।

मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे इस प्रकार से हमारे सर पर यूनिवर्सिटी लादते जा रहे हैं तो जो हमारे नान-आफिशियल प्रस्ताव आते हैं उनका वे क्यों विरोध करते हैं? जब हमारी तरफ से प्रस्ताव आता है कि कानपुर अपने यहां यूनिवर्सिटी चलाने के लिये पूर्णरूप से तैयार है और जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है तो फिर उस मांग को क्यों ठुकरा दिया जाता है? आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी को केवल मात्र इसलिये रिकगनीशन दे रहे हैं कि आपको वहां से पूंजी मिल गयी। इसके अतिरिक्त आपने वहां क्या आदर्श रखा? आप कानपुर में टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी को खोलने की बात क्यों नहीं मानते? आप पाश्चात्य पद्धति पर चलना चाहते हैं, आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ा रहे हैं, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी बनने दीजिये, आप उसका विरोध न करें, कानपुर यूनिवर्सिटी हर प्रकार से काम्पीटेंट है और हर चीज करने के लिये तैयार है।

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री अपना हृदय टटोल कर देखें कि इस प्रकार यदाकदा जो सुधार शिक्षा सम्बन्धी लाते हैं उससे जो उत्तेजित मस्तिष्क है उसको संतोष नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी बल से, गोली व लाठी की ताकत से विद्यार्थियों को कुचलने की कोशिश करें। लेकिन यह सारा दारोमदार, इस सारी बगावत का दारोमदार आपकी दूषित शिक्षा प्रणाली है और दूषित शिक्षा प्रणाली के जरिये जो आज यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जा रही हैं उनमें से हजारों नवयुवक निकल कर बेकारी का शिकार हो रहे हैं। यह जड़ के अन्दर दोष है, यह आप क्यों भूल जाते हैं? क्यों आप दूसरे शस्त्रों का सहारा लेते हैं? यह वायलेन्स स्वतः के कारण से होती है, लेकिन आप इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं। मैं उनसे फिर प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा मंत्री जी या तो अपने इसी टर्म में, इसी सेशन में शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिये उसमें आमूल परिवर्त्तन करने के लिये प्रस्ताव लायें या साफ-साफ कहें कि हम अयोग्य हैं, अनफिट हैं और हमारे पास कोई योजना नहीं है। इस प्रकार से पीस मील लेजिस्लेशन लाकर के जिसमें कुछ दफायें बदल दी जाती हैं, कुछ इधर-उधर चेंज कर दिया जाता है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें हमारा इतना समय लग जाता है, फिर अपर हाउस में भी जाता है, हजारों रुपया खर्च हो जाता है। यही एक सुधार दिखाई देता है। मालूम होता है और कोई सुधार रह ही नहीं गया है।

आज चारों ओर से पुकार है कि शिक्षा में आमूल परिवर्त्तन होना चाहिये, शिक्षा में ग्राम्य शिक्षा की प्रधानता होनी चाहिये, इस चीज को राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी ने अनेक बार दोहराया है, और अभी मद्रास में उन्होंने फिर कहा है। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी रूरल वायरू पर कायम हुई है। उसी पर राष्ट्रपति जी की आशा जमी हुई है। पहले तो गोरखपुर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यूनिवर्सिटी पर आशा लगी हुई थी । अब वह यहां से हटकर गुजरात यूनिवर्सिटी पर लगी हुई है, क्या करें ? सब जगह टटोलते फिरते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी तो हो जिसको रूरल यूनिवर्सिटी कह सकें ? यू० पी० में वह चीज नहीं आ सकी । शिक्षा मंत्री जी मेरी इस बात को पसन्द नहीं करेंगे । लेकिन मैं शिकायत पेश कर रहा हूं कि उनके पास राष्ट्रपति जी की आशा के अनुरूप चीज बनाने के लिये कोई क्षमता नहीं है । वह उस प्रकार से इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं कर सकते जैसा कि आज देश में आवाहन है, चारों तरफ से मांग है और जैसी कि आज के नवयुवकों की पुकार है । आज के नवयुवक भी यह चाहते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय बनें कि निकलते ही वह बेकार न रह सकें, जिनसे पढ़ कर निकलने के बाद वह देश की सेवा कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें । जब उनकी चीज उनको नहीं मिलती है तब वह बावले हो जाते हैं और उनको शिकायत होती है । फिर आप कहते हैं कि वह तो पोलिटिकल पार्टीज द्वारा भड़काये जाते हैं । लेकिन यह पोलिटिकल पार्टीज द्वारा नहीं, आपके द्वारा भड़काये जाते हैं । आप उनको गुमराह बनाते हैं और गुमराह होने पर वह हमेशा बवंडर करते हैं । कहा भी गया है कि "बालक बरै एक सुभाऊ" । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने मौलिक कुछ बातें आपके सामने रखीं उन पर आप गौर करें ।

अभी हमारे साथी देवीप्रसाद जी ने दफा ५ के बारे में जो बातें कहीं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की बातें कहीं मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं मानता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों को न खोलने की जो व्यवस्था रखी गई है वह एक कठिन चीज है । इन सब बातों पर विचार प्रवर समिति में ही हो सकता है । प्रवर समिति को अधिकार विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी दे दिया जाय जिसमें यदि हो सके तो कुछ और भी परिवर्त्तन लाये जा सकें जिससे कि यूनिवर्सिटी में कुछ नवीनता आ सके, उसमें रूरल बायस की बात ला सकें तो लायें । लेकिन यह तो आज ५ बजे तक पास हो जाना है और वह पास हो करके रहेगा क्योंकि संख्यासुर उधर है । अतः हमारे निवेदन को माननीय मंत्री जी सुन लें और सुनकर जब कभी शान्ति में हों तो उस पर विचार किया करें । यह अरण्यरोदन इसी प्रकार से न भुला दिया जाय बल्कि कभी-कभी इस पर भी वह सोच लिया करें । मैंने उनके सामने यह सारी बातें इसलिये रखीं कि वह यह उलाहना हमें न दें कि हमें कोई सजेशन नहीं दिया जाता । जब सजेशन हमसे मांगा जायगा तो हम देंगे । अगर आप हमारा विश्वास करते हैं तो हम आपकी सेवा के लिये तैयार हैं, अगर आप उपहास करना चाहते हैं तो हम आपको नमस्कार करते हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से विरोधी पक्ष के लोगों के तर्क सुन रहा था । गोरखपुर युनिवर्सिटी जब से कायम हुई तब से शिक्षा विभाग में मुझे रहने का अवसर है । यह चर्चा जो रूरल एजूकेशन की चली १९५० में और राधाकृष्णन रिपोर्ट में लिखा गया कि एक रूरल यूनिवर्सिटी होनी चाहिये उसके आधार पर एक तीन आदमियों की समिति बनी जिसमें इस समय के वहां के उपकुलपति झा साहब भी थे । वह उस समिति के अध्यक्ष थे । उन्होंने इन ९ जिलों के लोगों से परामर्श किया, देवरिया भी आये, गोरखपुर भी गये और "रूरल" शब्द की व्याख्या चाहते थे । जितने मित्रों ने उस पक्ष से रूरल यूनिवर्सिटी की बात कही, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई बात हवा में कह देना आसान है, लेकिन उसको वास्तविक रूप न दिया जाय तो हवा में बात करने से तो वह चीज बन नहीं सकती । "रूरल" शब्द गांवों से बना है और 'अर्बन' शब्द शहरों से बना है । क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि यह रूरल यूनिवर्सिटी क्या चीज होगी ? क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि देहात की यूनिवर्सिटी में जो शहर की व्यवस्था है लेबोरेटरीज की, बिजली की या और जो साधन हैं, वह वहां नहीं रखे जायेंगे ? आखिर उसकी वह क्या रूपरेखा बनाना चाहते हैं और उनके दिमाग में "रूरल" की क्या परिभाषा है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप कृपया राधाकृष्णन रिपोर्ट पढ़ लें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं अवस्थी जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें वह भूल गई होगी मैंने तो कल ही उसको देखा है। "रूरल" शब्द के भावुकता से कोई अर्थ नहीं निकलने वाले हैं, न भावुकता का कोई स्थान है, वैसे वह शब्द भले ही बड़ा प्यारा हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां एक रूरल विश्वविद्यालय हो। अगर उसका अर्थ यह है कि देहातों की आवश्यकताओं के विषयों को वहां पढ़ाया जाय तो ठीक है, लेकिन वैसे ही रूरल और अरबन की बात करने से कोई अर्थ निकलने वाले नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि "रूरल" शब्द की परिभाषा क्या हो? इस विषय में झा साहब ने जाकर सब से पूछा कि इस के क्या माने होने चाहिये उस पर बाबा राघव दास जी ने भी अपना सुझाव दिया था, पन्त जी भी इस सम्बन्ध में गोरखपुर गये थे, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यहां का विश्वविद्यालय हमारे अब तब के दूसरे विश्वविद्यालयों से भिन्न हो और वहां विशेष प्रकार की रूरल विषयों से सम्बन्धित शिक्षा हो। रूरल की रूपरेखा बहुत लोगों से मांगी गई, लेकिन कोई वास्तविक और विशिष्ट रूपरेखा नहीं आई जैसे कि कवि का संसार वास्तविक संसार से भिन्न होता है। वास्तव में रूरल के यही अर्थ हो सकते हैं कि ऐसा विश्वविद्यालय जहां देहातों, नवयुवकों और देश की आवश्यकताओं के अनुसार विषय पढ़ाये जायें और क्षेत्रीय स्तर पर ९ जिलों की आवश्यकताओं को देखकर विशेष विषयों को प्राथमिकता दी जाय, इतनी बात समझ में आनी चाहिये।

इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं यह तो सभी चाहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, केन्द्रीय सरकार ने भी यह मान लिया है कि क्षेत्रीय आधार पर विश्वविद्यालय बनाये जायें, उनमें उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाय। यह क्षेत्र एक कृषि क्षेत्र है, गन्ने का एक खास विषय वहां का है, मलेरिया का वहां विशेष प्रकोप होता है, वहां एक कृषि का विद्यालय हो, गन्ने का अनुसन्धान हो, जिस प्रकार का हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट है कानपुर का या सहारनपुर में जैसे रिसर्च का काम होता है ऐसे काम वहां हों। रूरल विश्वविद्यालय होना चाहिये यह ठीक है, लेकिन रूरल कोई हवाई चीज तो है नहीं, उस का आशय तो यही हो सकता है कि उस क्षेत्र की देहात की आवश्यकताओं को समझ कर वहां विषय पढ़ाये जायें। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

इस विश्वविद्यालय का अभी जुलाई से असली रूप आया है, यह ऐक्ट १९५६ में पास हुआ था और अभी दो मास हुये कि यह कार्यरूप में परिणत होना आरम्भ हुआ है। वेतन क्रम के सम्बन्ध में इसमें बहुत सुन्दर संशोधन है, वह सब को ही स्वीकार होगा, कोर्ट का कांस्टीट्यूशन कैसा हो, बोर्ड कैसा हो। इसके अलावा जो उपकुलपति को पहले अनुशासन के सम्बन्ध में बहुत वाइड पावर थी, उसको सीमित किया गया है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि विश्वविद्यालय या शिक्षा के जो स्थान हैं उन्हीं में डेमोक्रेसी डेवलप करती है। डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिये हमें अपने को वहां के अफेयर्स से अधिक से अधिक अलग रखना चाहिये और कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये। वहां के उपकुलपति को ऐसी पावर्स पहले दे दी गई थीं कि जैसी वाइसराय या गवर्नर जनरल को किसी जमाने में हुआ करती थीं। विद्यार्थियों को निकालने का या इन्क्वायरी आदि के जो अधिकार थे वह सब काम उनसे हटाये गये हैं। यह ऐसा संशोधन है कि जिसका सभी स्वागत करेंगे। अभी वह कुछ मास से ही चल रहा है, अभी वहां के कार्य को कोई ठीक शक्ल नहीं आई है। वहां का काम भी अभी एक सीमा के अन्दर ही चलाया जा सकता है, सरकार इच्छा रखते हुये भी अधिक धन वहां के लिये अभी नहीं दे पाती है। प्रोफेशनल विषयों की ओर अधिक ध्यान वहां दिया जाय तो अच्छा है। कुछ लोगों ने कहा कि ग्रेजुएट्स की तादाद यहां बढ़ती जा रही है, मुझे तो यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उनको मालूम होना चाहिये कि ५६ लाख ग्रेजुएट हर साल अमरीका से निकलते हैं और हमारे यहां १६–१८ लाख सालाना ही निकलते हैं।

श्रीमन्, मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं हैं, अन्दाज से बता रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत यूनिवर्सिटियां हो गयीं जहां जरूरत नहीं थी और ऐसी रूप-रेखा हो गई। अगर न होतीं तो अच्छा था, अब हो गयीं तो एक मूलभूत आधार मानकर क्रमशः हम सुधार लायें तो ज्यादा

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

अच्छा होगा। बजाय इसके कि हवाई किला हम बनाते रहें, जैसा कि अवस्थी जी ने कहा कि सारे शिक्षा के ढांचे को अस्त-व्यस्त कर दिया जाय, अनुशासन की सारी बातें दूसरों पर डाल दी जायें और एक नयी चीज ऊपर से रख दी जाय जिस रूपरेखा को न सदन ने दिया है, न माध्यमिक अध्यापकों ने दिया है, न यूनिवर्सिटी टीचर्स ने दिया है। एक वंकुअम क्रियेट कर दें। वह यह भी कहते हैं कि हम कोई शिक्षा के विरुद्ध नहीं, हम यह चाहते हैं कि १० साल तक शिक्षा रुकी रहे और १० साल तक हम एक नक्शा बनावें सारे प्रदेश और देश के लिये और फिर शिक्षा को लायें, १० वर्ष तक कुछ न हो। इससे तो अच्छा है कि जो अब व्यवस्था है, जो क्रम है वही कायम रहे और क्रमशः हम उसको सुधारते चले जायें और भूलों को दूर करते जायें। साथ ही यह यूनिवर्सिटी ऐसी बने जहां ये जो ९-१० जिले हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये उन विषयों को वहां पढ़ाया जाय।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि ज्यों ज्यों प्रशासन के पास पैसा हो ज्यों ज्यों विषय बढ़ाये जा सकें, बढ़ाये जायें। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस साल जुलाई से बी० ए० और बी० एस-सी० क्लासेज, ग्रेजुएट क्लासेज प्रारंभ हुये हैं। वहां पर जो सेंट एंड्रयूज और राणा प्रताप कालेज हैं वहां भी बी० ए० और बी० एस-सी० क्लासेज चलती थीं। इस यूनिवर्सिटी ऐक्ट में लिखा हुआ है कि १० मील के अन्तर्गत कोई भी कांस्टीट्युएंट कालेज या दूसरा कालेज ऐसा नहीं स्थापित किया जायगा जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स पढ़ाये जायें। जब कोई यूनिवर्सिटी स्थापित होती है तो १० मील का घेरा रखने से, परिधि रखने से, यह मतलब होता है कि जो उस क्षेत्र के छात्र हैं वह आकर यूनिवर्सिटी को फंड करें और उसके आधार स्वरूप वहां के लोग काफी अच्छी तरह से उस यूनिवर्सिटी से लाभ उठा सकें, लेकिन गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज और राणा प्रताप के ग्रेजुएट क्लासेज जुलाई से चलते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी की फीस और तौर तरीके में ज्यादा खर्च होता है, वहां ६० रुपये फीस है जब कि उन कालिजों में २३ रुपया है। तो कितने छात्र यूनिवर्सिटी के स्नातक होने जायेंगे, इससे यूनिवर्सिटी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके अस्तित्व के दृष्टि से और स्थायित्व की दृष्टि से यूनिवर्सिटी की १० मील की परिधि के अन्दर जो कालिज हैं जिनमें ग्रेजुएट क्लासेज चल रही हैं उन क्लासेज को बन्द करना चाहिये। और मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि अगर इस वर्ष यह चल गयीं तो चल गयीं, लेकिन अगले वर्ष से नहीं चलने देना चाहिये। जब इसकी नींव पक्की हो जाय ५-७ वर्ष के बाद और अच्छे आधार पर आ जाय तो यह सब त्रुटियां दूर कर दी जायें। जब कोई नई चीज स्थापित होती है तो उसमें खर्चा स्वभावतः ज्यादा होता है।

दूसरी बात पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज की हुई। बहुत से ऐसे कालिज हैं इस समय जिनमें पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज चल सकती हैं और यह आवश्यक था, जैसे कि बलिया या जौनपुर के लड़के चाहेंगे कि एम० एस-सी० और एम० ए० हो सकें, उनमें अगर क्षमता हो तो उनको ऐसी सुविधा होनी चाहिये। आप चाहें तो उसमें शर्तें लगाइये, लेकिन आपके रूल में यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज और जगह न हों। तो और जिलों के जो दूर के लोग हैं उनको इससे कठिनाई होगी, इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी का इस कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। देवी प्रसाद जी मिश्र ने सुझाव दिया कि हमारे इंटरमीडियेट तक जो एजूकेशनल रीजन्स बने हुये हैं उनके अनुसार इसमें भी बन सकता है। जो जिले नजदीक हैं वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आने चाहिये। जौनपुर तो सम्भव है कि बनारस से नजदीक पड़ता हो, लेकिन फैजाबाद का इसमें रहना जरूरी है। जो जिले नजदीक पड़ते हों वहां के लोगों से मशविरा करके अगर विस्तार बढ़ सकें तो बढ़ाना चाहिये। दो एक बातें और कहना चाहता हूं।

वाइस-चांसलर के कार्यकाल के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि पांच साल से कम यानी तीन साल रखा जाय। श्रीमन्, मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले वर्ष तो उसे यूनिवर्सिटी की गतिविधि से अवगत होना पड़ेगा और तीसरे वर्ष वह जाने की परेशानी में होगा। इसलिये उसको काम करने के लिये एक साल ही मिलेगा। इसलिये बहुत सी ऐसी

चीजें होंगी जिनको स्थायित्व नहीं मिल सकेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि वाइस-चांसलर का कार्यकाल ५ वर्ष का ही ठीक रहेगा और ऐसे सुझाव कि तीन वर्ष कर दिया जाय ठीक नहीं है । यह मैं अवश्य मानता हूं कि बहुत सोच समझकर वाइस-चांसलर को रखा जाय और ऐसा आदमी रखा जाय जिससे यूनिवर्सिटी का स्तर ऊंचा उठे । लेकिन उसका कार्य काल तीन वर्ष करने का ऐसा सुझाव है जो युक्तिसंगत नहीं मालूम होता है ।

श्रीमन्, मैं दो एक बातें और कहूंगा । गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी जुलाई से शिक्षा देना शुरू हुआ है । हमने रूस में मास्को यूनिवर्सिटी में देखा है कि वहां पर बीस लाख लड़के पढ़ते हैं । वहां इस तरह से है कि एक लड़का मशीन से काम करके निकलता है तो फौरन एजूकेशन लेता है । इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यदि हमें इस प्रदेश की समस्या को हल करना है और हमारी खेती का बहुत बोझ है और हमारे यहां उद्योग-धन्धे भी नहीं हैं तो हमें उन्हीं लाइन्स पर सोचना होगा जिस पर कि मास्को की यूनिवर्सिटी चल रही है । हमारी जो यह यूनिवर्सिटी बन गई है इसके लिये राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी के बनने से बड़ा भारी कंट्री-ब्यूशन प्रदेश पर है । जिस तरह रूस की मास्को की यूनिवर्सिटी है कि मशीन से निकलकर लड़के एजूकेशन लेते हैं उसी तरह से अगर यहां के नवयुवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो लेबोरेटरीज की तरह से हमारी यूनिवर्सिटी को माना जाय और लड़के वहां पहुंचकर ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त करें जिससे यूनिवर्सिटी की शिक्षा समाप्त करने के बाद जब वह यूनिवर्सिटी से निकलें तो राष्ट्र के उत्पादन में सहयोग दे सकें और अपनी जीविका उपार्जन भी कर सकें । श्रीमन्, मैं देखता हूं कि जहां ऐसे कालेज हैं जिनमें टैक्नीकल एजूकेशन है, जैसे मेडिकल कालेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज है और भी बहुत से ऐसे कालेज हैं उनमें लड़कों में अनुशासन नहीं होता है । यह तीन महीने पढ़ते हैं और छः महीने गुल गपाड़ा करते हैं । वह भिन्न-भिन्न लोगों के हाथों में पड़ कर समाज के लिये अनुशासन की समस्या बने हुये हैं ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जो सुझाव इसमें आये हैं उन विषयों को इसमें डालने की आवश्यकता है, लेकिन यह तुरन्त सम्भव नहीं हो सकता है, क्योंकि जुलाई से ही हमने यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया है । हां, कुछ दिन काम करने के बाद ऐसी चेष्टा की जा सकती है । मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं, वह यह हैं कि .....

श्री उपाध्यक्ष--लोगों को एतराज है कि आप दो एक बातें बार-बार कहते हैं, लेकिन कथन की सीमा बढ़ती जाती है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, दो तीन मिनट में ही समाप्त किये देता हूं । श्रीमन्, इसमें एलेक्शन के बारे में जो यह रखा गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो तो यह बड़ा सुन्दर है । इसमें हर तरह के लोग आ सकेंगे । राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में चार अध्यापकों का आधिपत्य होना चाहिये, लेकिन इसमें केवल दो अध्यापकों का ही रखा गया है । यह इस समय सम्भव नहीं है, लेकिन अब और कालेज बढ़ जायें तो इसमें भी चार अध्यापकों का प्रतिनिधित्व कर दिया जाय । इन कालेजेज में भी बहुत से ऐसे अध्यापक होंगे जिनकी क्षमता बहुत अच्छी होगी । और कुछ तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट से भी अच्छे हो सकते हैं । इसलिये इसको रख दिया जाय ताकि अच्छी प्रतिभा के लोग आ सकें ।

श्रीमन्, अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं होंगे तो अच्छे लोग वहां जाना नहीं चाहेंगे । वहां न तो टीचर ही होना चाहेंगे और न प्रिंसिपल ही होना चाहेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी के साधारण से विधेयक, जिसमें कोई परिवर्तन भी नहीं है, उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन हवाई हैं, उनका मैं विरोध करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--आप हवा में उड़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--"हवाई" शब्द कह कर आपने उनको ललकार दिया ।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी शिक्षा मंत्री हों और गोरखपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत हो तो यह सम्भव है कि हम लोगों में कुछ आशा का संचार हो और हमें उम्मीद लगी रहे कि संशोधन विधेयक में नवीनता आयगी। मगर जो संशोधन विधेयक यहां आया है मैं उसको पढ़ने पर काफी हताश हो गया क्योंकि जब मूल विधेयक जो अधिनियम बन चुका है, यहां प्रस्तुत था और माननीय हरगोविंदसिंह जी शिक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित थे तो उस समय काफी सुझाव दिये गये थे। माननीय कमलापति जी को उन सुझावों की ओर जाना चाहिये था। जो सुझाव उस समय किसी कारणवश माननीय हरगोविंदसिंह जी नहीं मान पाये उसमें शिक्षा मंत्री को यह समझना चाहिये था कि उनका अवलोकन करके 'कार्य और कारण' को ढूंढें और यह पता पायें कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को इस सदन के और दूसरे सदस्य किस प्रकार देखना चाहते थे। हम आज उन्हीं कुछ तथ्यों पर जो इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने पुनः आग्रह के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया है, पुनः आना चाहते हैं।

कहा जा रहा है कि रूरल यूनिवर्सिटी के मानी क्या हैं। यह सही है कि इसकी कोई सर्वांगीण सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं हुई है कि रूरल यूनिवर्सिटी के यही मानी हैं, मगर सामान्य तौर से अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाय तो यह बात मानी जायगी कि जो देहातों के लोग शहरों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं वह शिक्षा प्राप्त करके पुनः देहात को लौटते नहीं हैं। यह बात सभी लोग मानते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क की जो बनावट हो जाती है, जो विद्या वह प्राप्त करते हैं उस विद्या को खपा सकने के लिये देहात में गुंजायश नहीं है। इसलिये साधारण तौर पर रूरल यूनिवर्सिटी की बात कही जाय तो उसका यह अर्थ निकाला जाना चाहिये कि ऐसी शिक्षा को प्रदान करना, ऐसी विद्या का दान करना जिसे पढ़ कर देहात में देहात के जीवन के मुताबिक लोग अपने को रखें और देहात को तरक्की, विकास और समुन्नति के रास्ते पर ले चलें ताकि देहात और शहर का अन्तर मिट जाय। माननीय प्रतापसिंह जी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा हुई थी और जो हमारा भाषण था उसको पुनः याद दिलाने के लिये हम को दे गये। तो हमें याद है खुद, हम कह देंगे। उस समय माननीय हरगोविंद सिंह जी किसी खास बात में विशेषज्ञ रहे होंगे मगर इस सदन में बार-बार यह कहा गया है कि शिक्षा के सम्बन्ध में उनका ज्ञान न्यून था। मैंने यहां तक कह दिया था, श्रीमन् को याद ही होगा कि शून्य था।

शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिये, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं। इस समय मैं दो विभूतियों को अपने समर्थन में प्रस्तुत करूंगा। एक का नाम आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स और दूसरे का नाम आपने सुना होगा महात्मा गांधी। ये दो महान पुरुष अपने युग के हुये हैं, कार्ल मार्क्स भी और महात्मा गांधी भी। कार्ल मार्क्स ने कहा है--

"Education must look to the whole man. The education of the future will in the case of every child over a certain age, combine productive labour with education and athletics not merely as one of the methods of raising social production but as the only method of producing fully developed human beings. On this question of learning through doing Marx and Gandhi agree."

श्री राधाकृष्णन् ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों के कोटेशन दिये हैं। दोनों इस बात पर एकमत हैं कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सम्पूर्ण मानव को बनाना और प्रतिष्ठित करना होता है। सम्पूर्ण मानव बनेगा कैसे? उसके बारे में भी दोनों की राय एक है कि सम्पूर्ण मानव को बनाने के लिए हमें प्रोडक्टिव लेबर का भी ज्ञान अपने विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिये। अब यह देखा जाय जैसा कि देवीप्रसद जी मिश्र ने कहा कि हमारे यहां काफी विश्वविद्यालय पहले से हैं ही। अगर बनारस में यूनिवर्सिटी है और गोरखपुर

में भी है तो जौनपुर के लोग किसी तरह से भी गोरखपुर नहीं जायेंगे, वे बनारस जायेंगे। गाजीपुर के लोग भी बनारस जायेंगे और बलिया के भी बनारस जायेंगे। क्यों कोई जरूरत नहीं है जौनपुर में यूनिवर्सिटी खोलने की? क्यों न गाजीपुर में और न बलिया में खोलने की जरूरत है? अगर एक समान ही साधन बनारस विश्वविद्यालय में हैं तो उनको गोरखपुर जाने की क्या जरूरत है? अगर वही सामान उस विश्वविद्यालय में मौजूद है तो फिर लोग वहीं जायेंगे। जब वहां पर वही चीज मौजूद है तो यह सरकार क्यों न और ज्ञान वृद्धि करने में सहायक हो, जिस तरह की शिक्षा प्रदेश के और विश्वविद्यालयों में मिलती है और शिक्षा के माध्यम भी वही हैं तो फिर उसी प्रकार की यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खोलकर यह सरकार कोई प्रोग्रेसिव कदम नहीं उठा रही है। इसके लिये यह सरकार जितनी प्रसंशा की पात्र बनना चाहती है मैं उतनी प्रसंशा का पात्र उसको बनाने के लिये तैयार नहीं हूं। माननीय कमलापति जी अच्छे सुन्दर शब्दों का प्रयोग करेंगे। सम्पादक रहे हैं, उनको लिखने में अभ्यास है। अच्छे शब्दों की शृंखला के वाक्य उनके श्रीमुख से निकलते हैं तो उनमें वस्तुस्थिति छिप जाया करती है। मैं कमलापति त्रिपाठी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा और आगे बढ़ें तो उनको इसकी परिभाषा भी मिल जायगी कि इस मुल्क की क्या आवश्यकता है। अगर माननीय मंत्री जी इस राधाकृष्णन् रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा किये होते तो उनको यह बात मिल गई होती और ग्रामीण विश्वविद्यालय का क्या स्वरूप हो इस पर बहुत सी चीजें उनको मिलने में आसानी होती।

"There is great disparity between what our country requires and what our education offers."

शिक्षा हमारे देश के लोगों को क्या प्रदान करती है और हमारे देश के लोगों की आवश्यकता क्या है इन दोनों में महान् असमानता है। इन महान् असमानताओं की पूर्ति क्या यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी करेगी? इसी तथ्य को मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं:

"We produce a large number of arts and law graduates but not enough teachers, administrators, doctors, engineers, technicians, scientific researchers and the like. On account of their expansive character we have neglected the scientific and technical courses."

इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि आर्ट्स कालेज में जो विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं वहां से आर्ट्स ग्रेजुएट निकलते हैं। अगर देश में जवाहर लाल जी बराबर इस बात को कहते हैं कि हमको इंजीनियरों की आवश्यकता है और टैक्नीकल आदमियों की जरूरत है तो टैक्नीकल आदमियों को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं लेना चाहती और अगर वह अपनी जिम्मेदारी समझती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से क्या वह पूर्ति होगी? ११ वर्ष के अनुभव के बाद भी जो आज यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत है क्या इसमें उसका समावेश किया गया है? कुछ सदस्यों ने इसकी परिधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है और जो २ वर्ष पहले सरकार से निवेदन किया गया था और उस समय के हरगोविंदसिंह जी शिक्षा मंत्री ने नहीं माना तो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी उसको सुनें और समझें और उसका मनन करें, विचार करें। श्रीमन्, बार बार इस सदन का समय नष्ट करना और यह कह कर कि यह छोटा सा विधेयक है दो धारा का, यह नन्हा सा बिल है, यहां विधेयक लाना, उसमें श्रीमन्, समय लगता है, उस पर विवाद होता है और बहस होती है और उस के बाद हम देखते हैं कि जहां हम थे वहीं हम रह गये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आगे बढ़ें और इस बिल को वापस करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी को उनकी वर्तमान हैसियत के हिसाब से मुझसे ज्यादा जानकारी होगी ऐसा मेरा खयाल है। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी तैयार नहीं हुआ है। क्या पढ़ाया जायगा और क्या नहीं इसका अभी तक कोई पता नहीं। दो बरस में एक बार अध्यापक रखे गये और फिर निकाल गये। इतनी अव्यवस्था और कहां हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। आज

[श्री राजनारायण]

वहां कोई सिलेबस नहीं है, पढ़ाई के कोई साधन नहीं हैं, कैसे पढ़ाया जायगा, क्या पढ़ाया जायगा, किसी बात का पता नहीं। सब कुछ अगर है भी तो एक अपरिपक्व अवस्था में, तो इसलिये सरकार को इस विधेयक को इसकी परिधि को बढ़ाने का अधिकार लेते हुये प्रवर समिति में ले जाना चाहिये और वहां बैठ कर इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये ।

श्रीमन्, आगे भी राधाकृष्णन् जी ने जिक्र किया है कि शिक्षा किस प्रकार की हो। हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप आज शिक्षा हो रही है या नहीं, हमारे देश के विश्वविद्यालय उधर बढ़ रहे हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में कहा है। मैं उन्हीं की सिफारिश पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा दिमाग बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है। यह मैं इसलिये कहता हूं कि जब तक किसी एक बड़े आदमी का समर्थन मैं न कराऊं तब तक कोई दूसरा व्यक्ति यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि राजनारायण जो कह रहा है वह सही कह रहा है। हां, यदि मैं अपने समर्थन में राधाकृष्णन् को या गांधी जी को या कार्ल मार्क्स को कोट कर दूं तो बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुये लोगों को वह बात कुछ मूल्यवान मालूम होगी, हालांकि मैं इस तरह के कोटेशन देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूं उसी का वह सब समर्थन करते हैं, लेकिन इस सदन का समय मैं इसीलिये ले रहा हूं कि शायद माननीय मंत्री जी यह समझेंगे कि जो मैंने कहा है वह सही नहीं है क्योंकि वह अक्सर कहते हैं कि राजनारायण बनारस का ही रहने वाला है, उसके भाषण हमने अक्सर सुने हैं, लेकिन अगर मैं कोट कर दूं तो समझेंगे कि ठीक कहा है . . . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी---बनारस के रहने वाले जो बोलते हैं हमेशा सर्वोत्कृष्ट बोलते हैं, आप का प्रमाण काफी है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने इसलिये कह दिया कि वह सदन को भी सम्बोधित करते हैं कभी-कभी ।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो आपका भ्रम दूर हो गया ?

श्री राजनारायण---हमारा भ्रम दूर होने की जरूरत नहीं थी। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी का भ्रम दूर हो गया होगा तो हमको काफी सहूलियत होगी और मैं दूसरों को कोट करने में अधिक समय न लूंगा। मगर इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि राधाकृष्णन् जी समय की आवश्यकता क्या है इस बारे में अगर कुछ पहली बात लिखते हैं तो वह लिखते हैं एग्रीकल्चरल एजूकेशन की। मैं प्रसंगवश कह दूं कि जब राधाकृष्णन् जी काशी विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर थे तो मुझे भी यह गौरव प्राप्त है कि मैं उनके समय में एक छात्र था। वह आये थे और विश्वविद्यालय से निकलने का हमारा समय था। पंडित मदनमोहन मालवीय जी उस समय जिन्दा थे। कभी-कभी टक्कर भी हो गयी थी राधाकृष्णन् जी से और हम लोगों से क्योंकि सन् ४२ का जमाना था। वह हमसे भी काफी परेशान हुये और हम लोगों ने देश की आजादी के लिये उनको जितनी दूर तक परेशान करना आवश्यक समझा, किया। श्रीमन्, १९ अगस्त वह दिन था कि जिस दिन ब्रिटिश शासन की मिलिटरी ने काशी विश्वविद्यालय पर कब्जा किया था और मालवीय जी थे, राधाकृष्णन् जी वहां थे। १८ तारीख की रात को यूनिवर्सिटी का घेरा छोड़कर हम पार हो गये थे, और गिरफ्तारी के बाद जब तीन साढ़े तीन साल के पश्चात् हम लोग काशी विश्वविद्यालय लौटे तो विद्यार्थियों ने यह कहा कि १९ तारीख को जब अंग्रेजों ने इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा किया, उस तिथि को दमन दिवस के रूप से हम मनायेंगे तो राधाकृष्णन् साहब ने उसका विरोध किया और कहा कि यह तिथि न मनायी जाय। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा और गांधी जी का उत्तर राधाकृष्णन् साहब के पास आया। उस वक्त हम कुर्ता पहने हुये नहीं थे, नंगे बदन पाखाने साफ करके आ रहे थे। राधाकृष्णन् जी ने हमसे कहा कि गांधी जी की चिट्ठी पढ़ लो। हिन्दी में हमने पढ़ा उसमें लिखा था "भाई

राधाकृष्णन ....." तो उन्होंने लिखा था कि पत्र मिला और मेरी राय में विद्यार्थियों को आपकी सलाह माननी चाहिये। राधाकृष्णन कहते थे कि १९ तारीख को न मनाओ और हम कहते थे कि उसको मनायेंगे। राधाकृष्णन ने अपनी चिट्ठी में लिखा था वह उस तिथि को भी मनाने की सलाह देंगे जिस दिन को यूनिवर्सिटी की मुक्ति हुई। हमने राधाकृष्णन जी से कहा कि उन्होंने उसमें अपनी राय क्यों जाहिर की .....

श्री उपाध्यक्ष—आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं ? माननीय शिक्षा मंत्री ने तो आपकी बात वैसे ही मान ली।

श्री राजनारायण—आप मुझे कह तो लेने दें, तभी तो साबित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप बहुत विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं विषय के ऊपर ही आ रहा हूं। (व्यवधान) आप शांत रहें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसका कारण क्या था जो वे ज्ञान की बातें कर रहे थे। राधाकृष्णन जी ने उस समय नंगे जाना स्वीकार किया, क्योंकि वह समझते थे कि आज हमारे देश में ऐसे लोग होने चाहिये जो अपने हाथ से पाखाना साफ करते हों। ऐसे मौके पर जबकि चारों तरफ से तनाव पैदा हो रहा हो तब क्यों नहीं आप यूनिवर्सिटी में खेती के काम की बातें रखते हैं ? ये बारीक चीजें तो बाद में निकला करती हैं। यूनिवर्सिटी में यह बात क्यों नहीं पढ़ाई जाती कि खाद कैसे बनाया जाय, क्योंकि अगर बढ़िया खाद न बनेगा तो उत्पत्ति ठीक तरीके से नहीं हो पायेगी ? इसी बात को राधाकृष्णन ने साफ-साफ शब्दों में लिखा है—

"The vast majority of our people are engaged in agriculture and our position in regard to food production is pathetic. While Great Britain which is highly industrialized has attempted progressively to reduce her imports of food from overseas and increase her own food production, India where 70 per cent of the people are engaged in agriculture imported one and a half million tons of foodgrains in 1946, 2 million tons in 1947, 3 million tons of foodgrains in 1948 and threatens to import four and a half million tons in 1949 at a cost of 200 crores of rupees."

और राधाकृष्णन ने रूरल यूनिवर्सिटी की कल्पना की है। उन्होंने बताया कि हिन्दोस्तान की ७० प्रतिशत आबादी देहात में रह रही है और वह कृषि पर आधारित है। आज जब हमारे देश में डेढ़ मिलियन, ३ मिलियन और ४ मिलियन टन विदेश से गल्ला मंगाया जाता है और उस पर दो दो, तीन तीन अरब रुपया खर्च हो रहा है, फिर क्यों न लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे ऐसी चीजों में लोग शिक्षित होकर निकलें जिसके बाद जो अपार शक्ति जमीन में छिपी पड़ी है वह ऊपर उठे ?

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्राम विश्वविद्यालय होगा तो क्या होगा। ग्रामीण विश्वविद्यालय होगा तो उसमें कृषि की शिक्षा दी जायगी जिसमें यह है कि किस प्रकार से अच्छे खाद की व्यवस्था हो, किस प्रकार से अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाय, किस प्रकार से नये नये बीज पैदा किये जायं और उन नये नये बीजों को लेकर किस प्रकार से अच्छी फसल पैदा की जाय और किस प्रकार से बाढ़ और सूखा से जो रुकावट होती है, उससे मुक्ति प्राप्त हो। क्या यह शिक्षा देने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्यवस्था है ? श्रीमन्, आपके द्वारा में माननीय शिक्षा मंत्री जी से और इस सदन के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जब दो वर्ष का समय माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर छूटा हुआ था कि वे गोरखपुर विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिये, वहां विभिन्न प्रकार की शिक्षा-दीक्षा देने के लिये एक लम्बी योजना प्रस्तुत करें सदन में और बराबर अखबारों द्वारा कह दिया गया था और राज्यपाल महोदय ने भी अपने सम्भाषण में कह रखा है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक इस समय प्रस्तुत होगा, हमने आशा लगा रखी थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत होने पर इन सब

[श्री राजनारायण]

बातों का समावेश उसके अन्दर होगा लेकिन हम देखते हैं कि वही पुरानी बात, वही पुरानी परम्परा, वही रफ्तार बेढंगी, जो पहले थी वह अब भी है। इस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी वही पुरानी चीज लाकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से पूर्वी खंड के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं।

श्रीमन्, जहां तक टैक्नालाजिकल एजूकेशन की बात है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं श्री राजनारायण जी से एक बात कह दूं कि अगर एक एक वाक्य में इन बातों को कहते चलें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं आपको बतलाऊं कि यह सदन कह चुका है कि इसको ५ बजे तक पास होना चाहिये। इसलिये मैं इतने विस्तारपूर्वक बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—यदि आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा या सदन त्याग कर चला जाऊंगा। क्योंकि करोड़ों रुपया गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम पर बर्बाद किया जाय, और ऐसे विषय पर हम बोलें नहीं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस पर इतनी विशद् व्याख्यान करें।

श्री राजनारायण—तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूं ऐग्रीकल्चरल एजूकेशन टेक्निकल एजूकेशन, विलेज ऐंड साइंटिफिक एजूकेशन, नीड इन सोशल एजूकेशन ट्रेनिंग इन लीडरशिप, ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो हमको माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलावें कि क्या बार-बार संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ करेगा और इस तरह से बार बार सदन के सम्मानित सदस्यों का समय नष्ट कराया जायेगा और राज्यकोष का पैसा खर्च कराया जायेगा? यह विषय तो बहुत विशद् है जिस पर काफी चर्चा हो सकती है लेकिन फिर आप कहेंगे कि इसको ५ बजे तक खतम होना है, इसलिये बहुत लम्बा विवाद नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसके लिये पहले समय तय हो गया है। इसके पहले आज तक कहीं भी किसी मुल्क में कांस्टीट्यूशनली, लीगली और प्रोसिजरली इस तरह की बात नहीं पायी जाती। मैं श्री कमलापति त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि कायदे, कानून, नियम, उपनियम इसके लिये कौन से हैं . . . . .

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष—क्या आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री राजनारायण—नहीं, उनका प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं, उनकी व्यवस्था का प्रश्न पहले है।

श्री राजनारायण—उनकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपके संकेत पर कह रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई आनरेबिल मेम्बर माननीय शिक्षा मंत्री को केवल "कमलापति" कह कर सम्बोधित कर सकता है? न माननीय, न कमलापति जी, कुछ तो कहना चाहिये था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कोई सदन का सम्मानित सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर न उठावे तो क्या चेयर की ओर से व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये संकेत किया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो केवल जानना चाहता था कि उनका व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, इसलिये मैंने उनसे पूछा था। मैं ठीक से सुन नहीं पाया था।

श्री राजनारायण—जब सुनाई न पड़े तो आप उसको इजाजत न दें। हम यहां तक भी कहने के लिये तैयार हैं और किसी तरह से अगर ठेस लगती है माननीय शुक्ल जी को तो मैं उनसे क्षमा भी मांग सकता हूं, क्योंकि हमारा मकसद नहीं है कि कमलापति जी को किसी तरह से भी हेय स्थिति में लाया जाय, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेज में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें हम कमलापति जी को किसी से भी कम नहीं पाते हैं। हां, विरोधी दलों को लेकर जब हम अपनी राय को प्रकट करेंगे तब उनके चित्त की दुर्बलता आदि के बारे में जिनमें वह फंसे हुये हैं उनको दिखलावेंगे।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, मैं जरा आइंदा के लिये कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। अब अध्यक्ष दरवाजा खोलकर आने लगें तो जो सदस्य उस समय बोल रहे हों क्या उनको बैठ जाना चाहिये, क्योंकि अध्यक्ष महोदय खड़े हो कर आते हैं? इस संबंध में व्यवस्था जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि उपाध्यक्ष तो उस समय बैठे रहते हैं। जब एक्सचेंज हो रहा हो उस वक्त मैं समझता हूं कि आप ज्यादा नोटिस उसकी न लें और अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—अगर नोटिस ले लें?

श्री अध्यक्ष—उसके लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी फार्मेलिटीज में हमें न पड़ना चाहिये।

श्री राजनारायण—यह तो हमारी मदद आपने कर दी।

श्री अध्यक्ष—उससे भाषण टूटने का भय रहता है।

श्री राजनारायण—हमारा तो अक्सर टूट जाता है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, श्रीमन्, कि भाई प्रतापसिंह जी का संशोधन जो प्रवर समिति का है उसमें परिधि बढ़ाने का बाद में लाये हैं और उन्होंने हमें बतलाया है कि आपको उन्होंने दे दिया है और अगर उनका संशोधन न हो तो वह हमारी तरफ से मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—पहला तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का है। दूसरा प्रवर समिति का है, उसमें परिधि बढ़ाने का है।

श्री राजनारायण—तब मेरे कहने का मतलब यह है कि बार-बार इस सदन में जब से गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक बना है तब से आपको स्मरण होगा कि बराबर यह कहा गया है कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी आदर्श के रूप में होगी। बराबर चर्चा हुई है किन्तु अब देखते हैं तो जिस तरह से दूसरे विश्वविद्यालयों में है वैसा ही गोरखपुर के विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो फिर मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसमें बहुत गलतफहमियां पड़ सकती हैं, क्योंकि हम उसी खंड के रहने वाले हैं जिस स्थान से शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री आये हैं। यह प्रचार हो सकता है कि हम गोरखपुर का विश्वविद्यालय बना रहे थे लेकिन राजनारायण ने उसका विरोध किया। तो हमारे बारे में गलतफहमी पैदा न की जाय। हम कहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय खोला जाय लेकिन उसमें यह बात अपने दृष्टिकोण में अवश्य रखी जाय कि जैसा मैंने कार्ल मार्क्स और गांधी जी की बातें बतायीं उसी के साथ मैं अपना वाक्य जोड़ता हूं उसका ध्यान रखा जाय। आज जो दूषित शिक्षा प्रणाली है जिसको अंग्रेजी साम्राज्यशाही की हुकूमत ने यहां दे रखा है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। लोग आज शहरों में विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके फिर देहात की ओर नहीं जाना चाहते। इसलिये शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाय कि शहर के लोग देहातों में जायं और देहात के लोग देहातों में रहें, पढ़कर के रहें, बी० ए० और एम० ए० पास हो करके रहें, इस तरह की व्यवस्था हो। वरना आज यह मान लिया गया है कि जो बी० ए० या एम० ए० पास हो वह शहरों में रहें, नौकरी तलाश करें या और इस तरह के काम करें। देहातों में रहने में लोगों में अभिरुचि पैदा हो यही हम चाहते हैं ताकि शहर देहात का

[श्री राजनारायण]

फरक मिटे। हम यह चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह परम पुनीत कर्त्तव्य हो जाय और उस परम पुनीत कर्त्तव्य को पूर्ण करने के लिये प्रेरित करने में क्या यह विधेयक सक्षम है ? मैं समझता हूं नहीं है।

अगर हम इस विधेयक को प्रवर समिति में परिधि बढ़ाने का अधिकार देकर ले जाने की बात कहते हैं और सम्मानित सदस्य यह कहें कि हम सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर यह लांछन नहीं लगाना चाहिये। मैंने माननीय हरगोविन्दसिंह जी के समय में जब वे शिक्षा मंत्री थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में बहस करते हुए यह कहा था और आज फिर वही निवेदन करता हूं जैसा कि उस समय भी कहा था कि राधाकृष्णन् कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ग्राम विश्व-विद्यालय बनाने की ओर कदम उठाया जाय। इस देश के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग, विख्यात लोग भी यही कहा करते हैं कि एक ग्राम विश्वविद्यालय का निर्माण हो। उसको पूरा करने की कहीं इस विधेयक में गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। उसी दृष्टिकोण से मैं पुनः यहां माननीय कमलापति जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि उनको स्वतः सोचना चाहिये कि जो आकांक्षा और आवश्यकता देश की है उसकी पूर्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान अधिनियम के रहते हुए नहीं हो सकती। मैं शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जायं और इस पर अच्छी तरह से विचार करें और गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस प्रकार की पढ़ाई पढ़ावें जिससे देश की कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, देश की जो आवश्यकतायें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो और तभी शिक्षा का जो परम पुनीत उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर जिस तरह से और लोग करते हैं उसी तरह से माननीय कमलापति जी ने भी किया और यह विधेयक पास करवा लिया तो फिर जो हमारी भावी संतान होगी वह कमलापति जी को माफ नहीं करेगी और वह उनको दोष देगी कि उन्होंने राजनारायण की बात को न मान कर जो समय की पुकार थी, समय की आवश्यकता और मांग थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया और उसी पुरानी परिपाटी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में चला कर जो धन लगाया वह एक प्रकार से अपव्यय के रूप में खर्च किया। उसमें कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन विषय, नवीन गति और ज्योति नहीं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को मानें और जरूर मानें।

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में कुछ थोड़े से संशोधन प्रस्तुत करने के लिये जो विधेयक आपकी आज्ञा से विचारार्थ मैंने सम्मानित सदन के सम्मुख रखा उस पर बड़ा व्यापक विचार विमर्श हो गया। वास्तव में यह विधेयक किसी प्रवर समिति में जाय इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। बहुत साधारण सा विधेयक है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों को यह आपत्ति हुई कि इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालय के समान ही इस अधिनियम को बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है लेकिन इस संशोधन विधेयक से उसे वह समानता प्राप्त नहीं होती। माननीय चन्द्रजीत व माननीय प्रतापसिंह जी ने यही शिकायत की। मैं समझता हूं कि इसमें दोष मेरा ही है, क्योंकि मैं अपनी बात

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदाचित उन्हें स्पष्ट नहीं कर सका। लखनऊ विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय में जो संशोधन हुए हैं पिछले महीनों में वह दो बुनियादी बातों को लेकर के हुए। एक तो बड़ा भारी कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया जो विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का एक नया स्केल जारी किया, जो टू ग्रेड सिस्टम कहलाता है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में किसी विश्वविद्यालय में उस तरह का सिस्टम नहीं है। हमारे यहां भी नहीं था। कई कैटेगरीज थीं लेक्चरर की, रीडर की, प्रोफेसर की और कहीं कहीं असोशियेट प्रोफेसर की। कई ग्रेड थे और कई तरह के स्केल थे। एक बड़ा सुन्दर आकर्षक स्केल उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये और दो स्केल रखे उन तमाम को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड स्केल कहलाते ही हैं वह प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की दो श्रेणियां रखी गईं। एक का स्केल ३०० से ८०० और दूसरे का प्रोफेसर का ८०० से १२०० रखा गया। बहुत दिनों से विश्वविद्यालय के अध्यापकों की यह मांग भी थी और उसी आधार पर यह स्केल उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया और, मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कदाचित हमारे देश के किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का स्केल नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा ऊंचा दृष्टिकोण भी था कि विश्वविद्यालय में विद्या अनुशीलन, अनुसन्धान और ज्ञान का अर्जन किया जाता है। वह वास्तव में मन्दिर है सरस्वती के जहां अत्यन्त स्थिरता, दृढ़ता और संकल्प के साथ मनुष्य ज्ञान का अर्जन कर सके। विश्वविद्यालय का अध्यापक विश्वविद्यालय की शोभा होता है। किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा उसके बड़े-बड़े भवनों से नहीं हो सकती, यह सर्वमान्य बात है। बड़ा से बड़ा भवन हो, विश्वविद्यालय का नगर बसायें, यूनिवर्सिटी टाउन हो जाय, बड़े कंगूरे हों, बड़ा अच्छा लान हो, बड़े अच्छे हास्टेल्स हों, अध्यापकों के लिये ऊंचे ऊंचे निवास-स्थान हों, पर उससे किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा नहीं होती। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा तो होती है उस प्रसिद्ध अत्यन्त आदरणीय और मान्य अध्यापक से जो उन विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित होता है। यह फलां के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के फलां प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं, मैथेमेटिक्स के उस प्रोफेसर के स्टूडेंट रहे हैं, इस बात की प्रतिष्ठा होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विश्वविद्यालयों की ओर अत्यन्त मेधावी व्यक्ति ज्ञान के पुजारी विद्या भक्त, प्रगाढ़ अध्ययन करने वाले, प्रौढ़ बुद्धि वाले लोग आकृष्ट हों और अध्यापन का कार्य अपने हाथ में लें। इस बात की आवश्यकता थी। यह समझा जाता था कि हमारे इन सरकारी सेवाओं में तथा और दूसरे स्केल्स में प्रतिभासम्पन्न और बुद्धिशील व्यक्ति वेतनों को आकर्षक पा के आकृष्ट हो जाते हैं और जिस प्रकार कहते हैं कि प्रतिभा यदि दूसरे क्षेत्रों में चली गई, जीनियस, इंटेलेक्ट दूसरे क्षेत्रों में चला गया और विश्वविद्यालय का स्केल ऐसा रहा है कि उसकी ओर वह आकृष्ट न हुए तो फिर एक अकिंचनता एक दरिद्रता आ जायगी उस क्षेत्र में जहां कि विद्या का और ज्ञान का अर्जन किया जाता है। इसीलिए एक ऐसा स्केल उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चित किया जिससे कि उन मेधावी लोगों को आकर्षण हो सके जो उन्हें आकृष्ट कर सके विद्या की ओर न कि दूसरे क्षेत्रों में वह अच्छे वेतन को देख कर चले जायं। यही सिद्धान्त मैं समझता हूं न केवल विश्वविद्यालयों में प्रत्युत और भी शिक्षा संस्थाओं में लागू होना चाहिए ताकि इधर आकृष्ट हो मेधा और प्रतिभा और सचमुच में अध्ययनशील व्यक्ति आकृष्ट हों हमारे ज्ञान और विद्या के क्षेत्र की ओर। इस विचार से यह नया स्केल लागू हुआ और इस स्केल के अनुसार परिवर्तन करना पड़ा ऐक्ट में क्योंकि अब प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की केवल दो ही कैटेगरीज हो गईं जबकि तमाम विश्वविद्यालयों के ऐक्ट में आप देखेंगे कि कई कैटेगरीज थीं रीडर की, प्रोफेसर की, लेक्चरार की। उन सबको मिला के इंटीग्रेटेड कैटेगरी बनाई गई और दो स्केल बनाये गए। इसलिये यह संशोधन आवश्यक हुआ। यही उसकी बुनियादी बात थी।

दूसरे एक और बुनियादी बात थी, उसमें एक धारा थी, डिसिप्लीनरी ऐक्शन का क्लाज था। वाइस-चांसलर को सर्वथा डिसिप्लिन के विषय में अधिकार है, वह सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है विद्यामंदिर का। इस ऐक्ट में वह धारायें मौजूद हैं जिनके द्वारा कभी अनुशासन की कार्यवाही की आवश्यकता पड़ने पर समस्त कार्य करने और नियंत्रण रखने का अधिकार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उनको है। गत वर्षों में कुछ धारायें लगाई गई थीं जबकि उनकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी क्योंकि उस समय बहुत कुछ अनुशासनहीनता के लक्षण दिखाई देने लगे थे और उस समय में हमारी विधान सभा ने उस अधिनियम को बनाया था और इस तरह से उसमें डिसिप्लीनरी क्लाजेज रखी गई थीं। उसके बाद से बार-बार यह मांग थी अध्यापकों की तरफ से कि जो डिसिप्लीनरी पावर्स वाइस-चांसलर के पास मौजूद हैं और जो उसके अलावा जोड़ी गई हैं वह हमारे लिये बहुत अपमानजनक हैं और उनको हटाया जाय। यही २ मुख्य बातें थीं कि जिनको लेकर उसमें संशोधन लाये गये हैं। इसके अलावा समकक्षता लाने की बात है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है वह सब जगह हो, सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से वहां के बाडीज में चुनाव हो, यही दो तीन बातें थीं कि जिनको दृष्टि में रखकर इसको और विश्वविद्यालयों के समान बनाया जा रहा है। कोई तफसील में छोटा-मोटा भेद वहां की आवश्यकता के अनुसार हो तो हो वर्ना हम ने इस को समकक्ष बनाने की पूरी कोशिश की है।

किसी भाई ने कहा कि वाइस-चांसलर का टर्म ५ साल क्यों रखा गया है। सब जगह उनकी टर्म ५ साल का ही है, पहले ३ साल का था, बाद में ५ साल किया गया था। एक ऐसी अथारिटी कि जिस पर शासन का उत्तरदायित्व रहता है उसको थोड़ा समय और अवकाश ठीक से काम करने का मिलना चाहिये। अब इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर सब विश्वविद्यालयों में ५ साल का टर्म हो गया है और इस प्रकार से समानता लाने का प्रयत्न किया गया है।

कहा गया है कि इसकी परिधि का विस्तार किया जाय और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। परिधि के विस्तार के संबंध में २ बातें कही गईं, एक तो रूरल यूनिवर्सिटी की बात और दूसरी बात यह कही गई कि जिस वक्त यह अधिनियम विधेयक के रूप में पहली बार आया था उस वक्त जो बातें कही गई थीं और वादे किये गये थे उनको पूरा नहीं किया गया और हमारे भाई प्रतापसिंह जी ने तो जवाब तलब किया है और कहा कि यह धोखा है और इसमें भी सरकार की तरफ से कोई चालबाजी या धोखा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ दुर्भाग्य है कि अनावश्यक रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा समझा जाता है कि अगर वह लोग विरोधी दल की बेंचेज पर हैं तो बिना इन शब्दों के प्रयोग के कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं होती। लेकिन इसमें न कोई धोखा है न कोई धड़ी है। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय का छोटा-सा ऐक्ट है उसमें संशोधन हो रहा है। इसमें क्या धोखा है और कौन-सी वादे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और किस बात के लिये जवाब तलब किया जा रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि आजकल एक फैशन सा हो गया है, कुछ शब्द हैं, जिन्हें केचवर्ड कहें, वह हर वक्त हमारे लिये उनके पास रहते हैं, उनका क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, क्या आकार है, क्या उसके पीछे मूल भाव है इससे कोई मतलब नहीं। बस उनको शब्दों का प्रयोग करना जगह बेजगह अच्छा लगता है। हमारे कम्युनिस्ट भाई तो शब्द की ही पूजा करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--गलत बात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब आप सुनते चलें। जब आप बोलते हैं तो मैं बोलता नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव--गलत बात।

श्री कमलापति त्रिपाठी--गलत बात नहीं, गलत तरीका है आपका।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप उनको एंग्रेस न करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, आपसे प्रार्थना करूंगा कि वह बीच में बेकार न टोकें।

श्री चन्द्रजीत यादव--कोई हमारी पार्टी पर आक्षेप होगा तो...

श्री अध्यक्ष--तो परसनल एक्सप्लेनेशन आप बाद में दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ये कुछ शब्दों की पूजा करते हैं। और लोग कस्मै देवाय यानी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पत्थर की पूजा करते हैं, कोई पेड़ पूजते हैं, कुछ मूर्ति पूजते हैं, कुछ निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, कुछ साकार ब्रह्म को पूजते हैं, हमारे सिक्ख भाई गुरु ग्रंथ साहब को जो गुरु की वाणी है उसको पूजते हैं और ये लोग शब्दों को पूजते हैं। बस, दो-चार दस-बीस शब्द हैं उनको पढ़ लेने से समझते हैं कि हम बड़े भारी कम्युनिस्ट हो गये। एक 'टैक्नीक' है, एक 'अप्रोच' है एक 'प्रोलेटेरियट' है, एक 'डिक्टेटरशिप' है, एक 'सिविल लिबर्टी', यही ५-७-१० वर्ड्स हैं। अब एक शब्द 'रूरल' पकड़ लिया। भारतवर्ष तो रूरल है ही, उसका स्वरूप रूरल है। ८० फीसदी गांव की आबादी हमारे देश में गांवों में बसती है। अब रूरल शब्द को लेकर 'रूरल इंस्टीट्यूट' 'रूरल युनिवर्सिटी', 'रूरल बायस', 'रूरल डेवलपमेंट' सब कुछ रूरल है। ठीक है जब सब कुछ रूरल है तो एक बड़ा भारी आकर्षण हो गया। आपने कहा कि 'रूरल यूनिवर्सिटी' बननी चाहिए, पर हमारे भाई यह न बता सके कि रूरल यूनिवर्सिटी की शक्ल क्या हो। मैं आपसे निवेदन करूं कि 'रूरल इंस्टीट्यूट' और 'रूरल यूनिवर्सिटी' की बात कई वर्षों से चल रही है। हमारे भाई राजनारायण जी के पास जब कुछ नहीं रहा तो उन्होंने कार्ल मार्क्स और गांधी जी की शरण ली, लेकिन वह भी नहीं बता सके कि रूरल यूनिवर्सिटी क्या हो।

अब, मान्यवर, इस विश्वविद्यालय की चर्चा करना चाहता हूं। माननीय दुबे जी यहां हैं गोरखपुर के। उन्होंने बहुत कठोर बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर अनाथ है। उनके ऐसे 'नाथ' के रहते हुए गोरखपुर कैसे अनाथ हो गया और जब मैं उनका सेवक मौजूद हूं तो गोरखपुर कैसे अनाथ हो गया? उन्होंने कहा कि बड़ा रुपया तुमने लिया और रूरल यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, सो तुम नहीं बना रहे हो। राधाकृष्णन् का नाम जो बड़े दार्शनिक हैं, शिक्षा क्षेत्र के शास्त्री हैं, उनका नाम लिया गया। चन्द्रजीत जी यादव ने कहा कि जरा राधाकृष्णन् रिपोर्ट पढ़ लो। मैंने कुछ पढ़ने की चेष्टा की है, पढ़ा है उसको आदि से इति तक, लेकिन मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आज तक रूरल यूनिवर्सिटी क्या होगी वह कोई स्पष्ट नहीं कर सका। उसकी कोई रूप-रेखा निर्धारित नहीं हो सकी और मैं यह भी निवेदन करूं कि स्वयं श्री राधाकृष्णन् से बड़े-बड़े विद्वानों, पंडितों और शिक्षा विशारदों की सभाओं में परामर्श हुआ और उन्होंने यही कहा कि कोई स्पष्ट रूप नहीं है और न यह कहा जा सकता है कि रूरल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब हुआ। एक तो यह मतलब हो सकता है कि रूरल एरिया में कहीं यूनिवर्सिटी बना दी जाय, तो वह तो कोई रूरल यूनिवर्सिटी हुई नहीं। आप चाहें तो देहात में बनाइये। देहाती क्षेत्र में यदि कोई यूनिवर्सिटी की इमारत बन जाय तो यह कोई रूरल यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं है। यह अर्थ हो सकता है कि वहां एग्रीकल्चर पढ़ा देंगे तो बहुत से अरबन एरियाज में स्कूल और कालेज अच्छे हैं, वेटरिनरी के अच्छे हैं, बहुत उच्चकोटि के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बलवन्त राजपूत कालेज आगरे का है, लेकिन अगर यह कहा जाय कि रूरल इंस्टीट्यूट हो गया तो वह बात नहीं है। तो क्या चीज रूरल हो, कौन सब्जेक्ट्स रूरल हैं? क्या यह अर्थ है कि जो वहां पढ़े उसको ऐसी शिक्षा मिले कि वह केवल देहाती बना रहे? तो उसका मतलब स्पष्ट नहीं हुआ, बड़े-बड़े विद्वान् उसको स्पष्ट नहीं कर सके।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह भी निवेदन कर दूं कि इसमें हमारे यहां इस विषय पर बहुत विचार हुआ। यह खयाल करना कि हमने एक पुरानी पद्धति की यूनिवर्सिटी चलाने के

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लिये एक छोटा-सा विधेयक प्रस्तुत कर दिया और कुल बातों को भुला दिया और अपने किये हुये वायदों को तोड़ दिया, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति न्याय की बात नहीं होगी; वास्तविकता से यह परे है।

श्रीमन्, मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। फाउंडेशन सोसाइटी जिसका जिक्र यहां पर किया गया और जिसमें हमारे ऊपर अभियोग लगाया गया तो इस सोसायटी ने १९५० में एक बिल उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया। वह बिल यूनीटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी की शक्ल में था और गोरखपुर यूनिवर्सिटी उन्हीं बायस पर चलें जिन पर और यूनिवर्सिटी चलती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बिल को लिया और सोसाइटी वालों ने कुछ रुपया भी दिया था। उस बिल पर यहां विचार विमर्ष हुआ और उसमें परिवर्तन किये गये। इसके पश्चात् जो शिक्षा विभाग की ओर से बिल आया, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन था लेकिन शक्ल यही थी कि यूनिटरी टाइप की टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी। जब हम ऊंचे स्तर पर आये तो यह तय हुआ कि पुरानी यूनिवर्सिटी बना देने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों का भी विचार है और इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि कोई नया भाव आये। इसलिये शिक्षा विशारदों की एक कमेटी बनी १९५३-५४ में और जिसके अध्यक्ष आचार्य जी थे। उस कमेटी में डाक्टर रामअनुग्रह सिंह, डाक्टर ईश्वरी प्रसाद और झा साहब भी थे। इस कमेटी को यह देखना था कि कैसे रूरल बायस लिया जाय। १९५४ में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसने यह कहा कि तमाम कालेजेज इंटरमीडियेट कालेज बना दिये जायं और यह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की टीचिंग करे और रूरल यूनिवर्सिटी की शक्ल में यह बने और इसमें ऐसे ही सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और आर्ट्स इत्यादि जिनका सम्बन्ध लोगों के जीवन से होता है, रखे जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसी बीच में केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री माली जी की अध्यक्षता में बिठाई थी। उसकी रिपोर्ट १९५५ में आई और इस समय तक उत्तर प्रदेश की सरकार रुकी रही। शिक्षा विभाग की यह रिपोर्ट आई और ऐक्सपर्ट्स कमेटी की यह रिपोर्ट आई जिसमें वह कहते हैं कि रूरल यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं बनती है। श्री माली की कमेटी की रिपोर्ट और आ जाय उसे देख लिया जाय। इस रिपोर्ट में जो कुछ उन्होंने कहा है वह यह है कि :—

"The Shrimali Committee did not favour the idea of institutions of higher education for the rural areas being called Universities. It recommended that for the programme that was of immediate urgency about half a dozen institutes should be set up in different parts of the country which would be situated in the rural areas and have a programme of work different from that of the universities."

आप देखेंगे कि इस पर कितना विचार हुआ है। यह श्री माली जी की कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष—इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी राय यह है कि ऊंचे स्तर पर शिक्षा देने के लिये, ऐसी शिक्षण संस्थायें जिनको यूनिवर्सिटी की शक्ल प्रदान की जा सकती हो, सम्भव नहीं है और मुनासिब नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ आधे दर्जन ऐसी संस्थायें देहाती क्षेत्रों में स्थापित की जायं जिनमें वह कार्यक्रम चलाया जाय। जिस कार्यक्रम के द्वारा देहाती दृष्टिकोण आ सकता हो, शिक्षा में इसका एक प्रयोग किया जाय। यह उनकी रिपोर्ट है। इसके बाद, मान्यवर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जिसका शिलान्यास हो चुका है यह हुआ

कि इसका कार्य आरम्भ किया जाय और इस प्रयोग को शुरू करें। वह बिल हमारे सामने आया। मेरा तात्पर्य यह है कि इस विषय में हमने विचार नहीं किया यह बात नहीं है। विशेषज्ञों ने विचार किया, हमने विचार किया और हम विचार कर रहे हैं। केवल शब्द पकड़ कर हम न चलें। एक मित्र ने कहा कि आने वाली संस्थाएं आपको दोषी ठहराएंगी। दोषी ठहराएंगी तो स्पष्टता के कारण। पहले स्पष्ट हो जायं, उसका रूप सामने रखें। लेकिन एक मित्र ने भी नहीं बताया जिन लोगों ने रूरल यूनिवर्सिटी का नाम लिया उस यूनिवर्सिटी की रूपरेखा क्या होगी, क्या शिक्षण पद्धति होगी क्या विशेषता होगी। किसी एक ने नहीं बताया। किसी के सम्मुख स्पष्ट नहीं है। शिक्षा शास्त्र के विशेषज्ञों के लिए स्पष्ट नहीं है। वे विचार कर रहे हैं। इवाल्व करेंगे यह भी मैं मानता हूं। हमारे देश की आवश्यकता, प्रतिभा और जीवन के अनुकूल शिक्षण पद्धति का विकास होगा। पर आज नहीं है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति जो जीवन के नये मूल्यों का अंकन कर सके, समाज के नये आदर्शों की प्रतिष्ठा कर सके, इस प्रकार के शिक्षण की पद्धति अवश्य विकसित होगी। पर आज नहीं है। जो विचार कर रहे हैं वह कहते हैं कि अभी इस प्रकार का प्रयोग होने दो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक रूरल इंस्टीट्यूट कायम होने वाला है जिसकी अक्सर चर्चा चली है। उसकी रूपरेखा के लिए आदमी विलायत गये हैं कि अगर वहां कोई रूरल इंस्टीट्यूट है तो कैसे है। आज विचार हो रहा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया और गवर्नमेंट आफ यू० पी० भी सोच रही है। वह इंस्टीट्यूट ६ महीने में बनने वाला है। वह प्रयोगात्मक है। इसी प्रकार का एक कैच वर्ड है कि आज हमारी शिक्षा पद्धति दूषित है। यह सब मानते हैं। कौन नहीं मानता कि इसके द्वारा बेकारी भी बढ़ी है, इसके द्वारा देश के जीवन का जो मूल है उसका विकास नहीं हुआ, हमारी दृष्टि जो होनी चाहिए धरती के अनुकूल, उसका विकास नहीं हुआ। ये बातें तो हैं। इसमें दोष जहां है हम जानते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है, यह सब नहीं बता सकते। उसका उपचार ढूंढ़ कर निकालना यह विद्वानों का काम है जिस पर काम हो रहा है। नित्यप्रति हमारा प्रयोग हो रहा है। हमारे यहां आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी बनी। उन्होंने कुछ सुझाव दिये। उसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट आयी। उसके अनुसार यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजेज में क्या संशोधन हो सकते हैं, विचार हो रहा है। तीन साल का डिग्री कोर्स हो या न हो, बिल्कुल रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी हो या न हो, सब विचार किया जा रहा है। रीजनल यूनिवर्सिटी की बात एक भाई ने कही। सम्भव है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में ऐसी रूपरेखा हो जिसमें हमारे हर रीजन में यूनिवर्सिटी हो। आज गोरखपुर में एक रीजनल यूनिवर्सिटी हुई। लखनऊ में, इलाहाबाद में है। कानपुर की मांग है, मेरठ की मांग है, रुहेलखंड की मांग है। रुहेलखंड में रूरल इंस्टीट्यूट खुल रहा है। भगवान् करे वही इंस्टीट्यूट भविष्य में यूनिवर्सिटी हो जाय और माननीय प्रतापसिंह को रूरल यूनिवर्सिटी के नाम से जो तृप्ति होने वाली है वह तृप्ति हो सके। कानपुर में १५, २० हजार लड़के पढ़ते हैं। मेरठ में एक कालेज में ५, ६ हजार लड़के पढ़ते हैं। वहां मांग है कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। राजनारायण जी कह रहे थे कि अगर सरकार रोकती है तो गलती करती है। सरकार क्यों रोकेगी? जैसे जैसे आवश्यकता उत्पन्न होगी, समाज स्वयं, परिस्थितियां स्वयं, काल का प्रवाह स्वयं उस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को जन्म देगा। और अगर इस तरह से रीजनल यूनिवर्सिटी बने तो उनके लिये शिक्षा पद्धति क्या हो इस विषय में बड़े-बड़े विद्वान् ही निर्णय दे सकते हैं। आज जो दोष हमें मालूम है उसके उपचार के लिए चेष्टा हो रही है। आप अपना प्रयोग करते चलें। इस प्रकार के शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये।

अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है? उसकी स्थिति यह है कि वह गोरखपुर में प्रतिष्ठित है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, सन् १९५५ तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर इसको क्या स्वरूप दिया जाय। इसकी प्रतीक्षा की जाती रही। कमेटी बैठी हुई थी तो उसकी रिपोर्ट का इन्तजार था। उसको हम रूरल यूनिवर्सिटी का स्वरूप देना चाहते थे। हम यह सोचते थे कि इसको वह स्वरूप दिया जा सकता है या नहीं। अब भी हम इस

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बात को सोच रहे हैं। आज उसका प्रयोग हो रहा है। आज जो स्वरूप हमने उसको दिया है उसका वही स्वरूप है जो कि किसी यूनिवर्सिटी का स्वरूप हो सकता है। आपके आर्ट्स बी० ए० की क्लासेज उसमें चल रही हैं। बी० एस-सी० भी इस वर्ष से शुरू हुआ है, कुछ और सब्जेक्ट्स भी वहां पर शुरू हुये और आगे शुरू होने वाले हैं। लेकिन यह सब सब्जेक्ट्स बेसिक हैं। चाहे आप टेक्नीकल इंजीनियरिंग पढ़ायें, चाहे आप शुगर टैक्नोलाजी को पढ़ायें, चाहे आप साइन्स पढ़ायें, चाहे खेती बारी पढ़ायें, चाहे जंगल का विषय पढ़ायें कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ायें, ये सब बेसिक शिक्षा है। कोई भी शिक्षा का सब्जेक्ट आप लें, कोई भी टैक्नीकल या साइन्स का सब्जेक्ट हो वह बुनियादी शिक्षा है। ऐसे सब सब्जेक्ट हमको वहां पर पढ़ाने पड़ेंगे और उन बुनियादी शिक्षाओं का शिक्षण हमने प्रारम्भ कर दिया है। हम स्वयं इस बात के इच्छुक हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में केवल बी० ए०, एम० ए०, एल-एल० बी० ही न खुले बल्कि और भी साइन्स के सब्जेक्ट वहां पर खुलें। अभी हमने यह प्रबन्ध किया है और लड़के इनको पढ़ रहे हैं। अगर हम इतना ही पढ़ाना अपना लक्ष्य समझ लें तो फिर आपकी इस संस्था की क्या उपयोगिता रह जाती है? हमारी इच्छा है कि हम इसका विस्तार करें और साइन्स और टैक्नीकल सब्जेक्ट भी वहां पर लड़कों को पढ़ने को मिलें।

एक बहुत बड़ा टैक्नालाजी का इंस्टीटयूट कानपुर में खुलने वाला है। मुमकिन है कि हम और कालेज वालों से कहें कि यह एक बड़ा कालेज चल रहा है तुम भी इसमें आओ। हम स्वयं इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर कालेज वहां है वह हमारी यूनिवर्सिटी के साथ आ जाय। हम केवल एक इसी विश्वविद्यालय के लिये प्रयत्नशील नहीं हैं बल्कि हम उस दिशा में बराबर चल रहे हैं। आगे चल कर कोई भी बड़े सब्जेक्ट हम यहां पढ़ावें; अभी तो केवल बेसिक सबजेक्ट लेकर ही हम इस प्रश्न को आरम्भ कर रहे हैं। यह प्रश्न हमारे सामने है और जब-जब सम्भव होता जायगा उनका समावेश करते जायंगे। कुछ सीमा तक जो हमारे लिये करना कठिन कभी-कभी होता है उसमें जरूर कुछ समय लगता है। साइन्स के सब्जेक्ट या टेक्नालाजी के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनका मतलब बहुत अधिक व्यय करना होता है। हम उतना ही बोझा उठा सकते हैं जितना उठाने के लिये हमारे साधन हमें आज्ञा देते हैं किन्तु यह हमारी नीति हरगिज नहीं है कि साधन के अभाव में हम अपने कदम आगे न बढ़ायें। हमारी नीति का तो यह आधार है कि साधन की कमी रहने पर भी अपने कदम आगे बढ़ाते जायें "विघ्नैः पुनः पुन. प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य तूत्तम जना न परित्यजन्ति" इस आशा में बैठे रहें कि करोड़ों रुपया आ जाय तो तब हम अपने यहां यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे और योजना चलायेंगे और तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे, यह इस सरकार की नीति नहीं है। हमारे सामने कठिनाई रहते हुये भी हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते चलेंगे और एक के बाद दूसरा हमारा कदम बढ़ता जायगा। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार की यूनिवर्सिटी इस वक्त है और उनमें जो इस समय विषय पढ़ाये जा रहे हैं उन विषयों के अतिरिक्त उन विषयों को हम उन यूनिवर्सिटियों में अवश्य स्थान देंगे जिनको राजनारायण जी चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आज तो यह काम शुरू हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जायंगे उसी तरह की इस विधेयक में आवश्यकता होती जायगी और उसी तरह का परिवर्तन हम करते चलेंगे। अब भी जो वहां पर विषय नहीं पढ़ाये जाते हैं टेक्नीकल या साइन्स के उनके कायम होने में यह विधेयक कोई रुकावट नहीं डालता है और उसके लिये बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की इसमें जरूरत नहीं होगी। यह होता रहेगा और वहां पर फैकल्टी कायम होती चलेगी यह तो एक बेसिक यूनिवर्सिटी का बेसिक अधिनियम आपने बना दिया है और आज की परिस्थिति में जो स्केल वगैरह का सुधार हुआ है उसका समावेश आप इसमें करना चाहते हैं, इसके लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां जाकर इसकी कौन सी परिधि का विस्तार होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। जिन सब्जेक्ट्स का आप प्रवेश इसमें कराना चाहते हैं क्या यह अधिनियम उनमें बाधा डालता है या उनकी पढ़ायी को रोकता है?

यह कहा गया कि एम० ए० की पढ़ायी क्यों रोक रखी। ऐसा दिन आ सकता है और भगवान करे कि पूर्वी इलाके के लिये शीघ्र आये कि आप जिस दिन इस अधिनियम की धारा ५ को हटा दें और लोगों को अधिकार दे दें। पर आज ही एक सज्जन कह रहे थे कि आप एफीलियेटेड कालेजेज को एफीलियेशन देना बन्द कर दीजिये। ऐसे डिग्री कालेजेज की स्थापना हो जाय कि जो टूटे-फूटे हों, जहां शिक्षा डिग्री के अनकूल न दी जा सकती हो, तो उससे हानि हो जाती है, शिक्षा का स्तर गिरता है और विद्यार्थियों की भी हानि होती है। कुछ डिग्री कालेजेज को, चूंकि अभाव था हमने सम्बद्धता दी और कम से कम मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि जिस प्रकार शिक्षा का विकास और विस्तार हुआ है और जिस प्रकार यूनिवर्सिटी का कंजेशन बढ़ता जा रहा है, जिसे हटाने की आवश्यकता है, उसे देखते हुए आवश्यकता आज इस बात की है कि डिग्री कालेजेज की स्थापना हो। राधाकृष्णन् रिपोर्ट में भी रीजनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की बात लिखी है कि चार-चार जिलों को मिला कर यूनिवर्सिटीज बनायी जायं। तो इसलिये हमको डिग्री कालेजेज की स्थापना की जरूरत है। दो, चार, पांच डिग्री कालेज पूर्वी इलाकों में खुले, पर एम० ए० की पढ़ायी के लिये बड़े साधन और पैसे की आवश्यकता है। यदि वह साधन न हों तो वहां शिक्षा का स्तर गिर सकता है। आज आपके कालेजेज में बी० ए० की पढ़ायी हो जाती है और सम्भव है कि दो चार बरस में सुधार होने के बाद वहां एम० ए० की पढ़ायी भी हो सके, लेकिन उस शिक्षा का स्तर गिर न जाय इसके लिये एक रुकावट इसमें है और उसे रखा गया।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हमारा विधेयक ऐसा नहीं है कि जिसे प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें और इस विधेयक को शीघ्र पास हो जाने दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर विचार हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन का निश्चित मत है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन तीन सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि.....

श्री प्रतापसिंह--जो संशोधन मैंने पेश किया है, चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस यूनिवर्सिटी का रूरल रूप होगा, इसलिये मैं उनके आश्वासन में यकीन करते हुए अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--शर्तिया बात नहीं है। उनके भाषण को सुनने के बाद अगर आपके दिल पर यह असर होता है कि आश्वासन ठीक है, तो आप निश्चित बतलाइये कि आप वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं।

श्री प्रतापसिंह--इस आश्वासन पर वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री प्रताप सिंह जी का यह संशोधन कि सदन की यह निश्चित राय है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो, और वह अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे, वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३९,
विपक्ष में--१०।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २---१५

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २ का संशोधन ।

२---गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(त) 'अध्यापक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय अथवा किसी संबद्ध कालेज अथवा किसी घटक कालेज द्वारा, वहां पढ़ाये जाने वाले पाठ्य-क्रम के किसी विषय में शिक्षण देने अथवा अनुसंधान विषयक पथ-प्रदर्शन अथवा अनुसंधान संचालन के लिये रक्खा गया हो तथा इसके अन्तर्गत प्रिंसिपल भी है ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा ५ का संशोधन ।

३---मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) में शब्द "विश्वविद्यालय" तथा "के अनुमोदन से" के बीच में आये हुये शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा ८ का संशोधन ।

४---मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (४) की मद (ग) में शब्द "जो" में तथा "एतदर्थ" के बीच में आये हुये शब्द "अध्यादेशों" के स्थान पर शब्द "परिनियमों" रख दिया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा १४ का संशोधन ।

५---मूल अधिनियम की धारा १४ में :--

(१) उपधारायें (५) तथा (६) निकाल दी जायं; तथा

(२) उपधारा (८) में अंक तथा शब्द "उपधारा (५) के खंड (क) या" निकाल दिये जायें ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा १६ का संशोधन ।

६---मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (३) में शब्द "वित्त समिति" तथा उसके पश्चात आया हुआ अर्ध-विराम (comma) निकाल दिये जायें ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा १७ का संशोधन ।

७---मूल अधिनियम की धारा १७ में --

(१) उपधारा (१) के वर्ग १ में मद (४) के पश्चात निम्नलिखित मद (४-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(४-क) उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर विधि द्वारा स्थापित अन्य समस्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति"

(२) उपधारा (१) के वर्ग ४ की मद (१२) में शब्द "नियत किये जायें" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"उन पंजीकृत स्नातकों में से जो विश्वविद्यालय, घटक कालेज, संबद्ध कालेज अथवा 'हाल' की सेवा में न हो, ऐसी

संस्थिति के पंजीकृत स्नातकों द्वारा जो नियत की जाय एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार निर्वाचित होंगे ।"

(३) उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

८—मूल अधिनियम की धारा २० की धारा (१) में— उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा २० का संशोधन ।

(१) मद ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"५—सम्बद्ध कालेजों के दो प्रिंसिपिल ;"

(२) मद ६ में शब्द "विभागाध्यक्षों (Heads of Departments)" के स्थान पर शब्द "डीन (Dean)" रख दिया जाय ;

(३) मद ७ में शब्द "उस रीति से जो नियत की जाय" के स्थान पर शब्द "एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार" रख दिये जायं ; तथा

(४) निम्नलिखित उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन द्वारा लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिये कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता का पात्र न होगा ।"

९—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (३) में शब्द "तथा परीक्षकों" तथा "को देय शुल्क" के बीच में आये हुये शब्द "की नियुक्ति और परीक्षकों" निकाल दिये जायं । उ० प्र० अधियनम सं० २० १९५६ की धारा २१ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २४ में— उ० प्र० अधिनियम। संख्या २०, १९५६ की धारा २४ का संशोधन।

(१) उपधारा (६) में शब्द "विभाग का सबसे ज्येष्ठ (senior-most) प्रोफेसर" के स्थान पर शब्द "विभाग में विश्वविद्यालय का सबसे ज्येष्ठ (senior-most) अध्यापक" रख दिये जायं ; तथा तत्पश्चात् आया हुआ अर्द्धविराम तथा शब्द "और यदि किसी विभाग में प्रोफेसर न हो तो विभाग का सबसे ज्येष्ठ रीडर अध्यक्ष होगा" निकाल दिये जायें ।

(२) उपधारा (८) में शब्द "पाठ्य-क्रम और अध्ययन समितियों (Committees of Courses and Studies)" के स्थान पर शब्द "अध्ययन मंडलों" रख दिये जायें ; और तत्पश्चात शब्द "समितियों" के स्थान पर शब्द "मंडलों" रख दिया जाय ।

११—मूल अधिनियम की धारा २७ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय: उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा २७ का संशोधन

"(३) जब अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था की गयी हो तो ऐसा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा और जब परिनियमों में ऐसी व्यवस्था हो तो यह परिनियमों में नियत रीति से होगा ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा २८ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (४) में शब्द "प्रकृत नियुक्ति (substantive appointment)" तथा "के लिये" के बीच में शब्द "अथवा ६ मास या इससे अधिक के लिये अस्थायी नियुक्ति" जोड़ दिये जायें ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा ४२ का संशोधन।

१३--मूल अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड (ख) में अंक "४३" के स्थान पर अंक "४४" रख दिया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा ५३ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा ५३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दिनांक से" तथा "मास" के बीच में आये हुये शब्द "चौबीस" के स्थान पर शब्द "छत्तीस" रख दिया जाय ।

निरसन।

उ० प्र० अध्यादेश सं० ५, १९५८।

१५--गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों कि वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन हो।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९०४।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड १५ तक इस विधेयक के अंग माने जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५६।

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५६।

यह इष्टकर है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८, [Gorakhpur University (Amendment) Bill, 1958], जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष--इस पर अब कोई टीका नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई संशोधन नहीं आया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं पूरे विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--केवल इतना ही काफी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--केवल दो मिनट दे दिये जायं। मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को सुन कर इस बात की पुष्टि हुई कि रूरल यूनिवर्सिटी के निर्माण के संबंध में जो उन्होंने प्रगति बतायी, उसको बताकर उन्होंने अपनी असमर्थता बतायी। मैं अब उनसे एक प्रश्न के रूप में यह जानना चाहता हूं कि इन प्रगतियों को बताकर समस्या हल नहीं होती है।

यदि हम इस सिद्धान्त को मान लें कि हमारे कृषि प्रधान देश में ग्रामों के आधार पर यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो तो सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर सोचे। अगर श्री माली जी सोच नहीं पाये या ईश्वरी प्रसाद सोच नहीं पाये तो ऐसी कोई बात नहीं कि वह हमारे मस्तिष्क में भी न आये। माननीय मंत्री जी ने जो असमर्थता दिखायी है उसको देखते हुए मैं इस वाचन का विरोध करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी विधेयक को नापास किया जाय। तब सरकार के लिये यह मौका होगा कि वह दूसरा विधेयक लाये जिसमें हमारी बतायी हुई बातों को लेकर यूनिवर्सिटी की पुनः स्थापना हो सके।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय स्वशासन मंत्री अपना विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, वह तो कल के लिये रखा गया था।

श्री अध्यक्ष--अब कोई कार्य-क्रम नहीं है, इसलिये अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ४९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
१२ अगस्त, १९५८।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

(तालिका २६ जुलाई, १९५८ तक)

कपड़े की किस्म	तादाद (गांठों में)
(१) खाकी कपड़ा	२०,९०२ १/२
(२) धुला हुआ (bleached) ..	५,०६६ ३/४
(३) रंगीन तथा छपा हुआ	११,१२७
(४) धोती	६,५४८
(५) साड़ी	१८,३५९
(६) अन्य	७,४५१ १/२
कुल योग ..	६९,४५४ ३/४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३६ पर)

सन् १९५७–५८ के लिये वाराणसी तथा गोरखपुर डिवीजनों के प्रत्येक जिले को निम्नांकित कोयले का कोटा निश्चित किया गया

(संख्या वैगनों में)

		कोयला चर (ईट भट्ठों के लिये)	साफ्ट हार्ड कोक तथा स्टीम कोल घरेलू उपयोग के लिये
वाराणसी डिवीजन--			
१--वाराणसी	..	४५३	१,२६३
२--मिर्जापुर	..	८६	८४
३--जौनपुर	..	१५९	१३०
४--गाजीपुर	..	१५०	१२०
५--बलिया	..	१८८	९७
योग	..	१,०३६	१,६९४
गोरखपुर डिवीजन--			
१--गोरखपुर	..	२१३	२१९
२--आजमगढ़	..	२४६	९९
३--बस्ती	..	१५६	७४
४--देवरिया	..	१६८	१४८
योग	..	७८३	५४०

विधान सभा प्रदेश

नत्थी ग

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर)

मार्च, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक राज्य सरकार द्वारा मांगे गये तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किये गये गल्ले की तालिका

		केन्द्रीय सरकार से मांगी गई मात्रा	केन्द्रीय सरकार द्वारा एलाट की गई मात्रा	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त मात्रा
मार्च, १९५८ से अप्रैल तक		टन	टन	टन
मई, १९५८	गेहूं	१०,०००	१०,०००	..
जून, १९५८	गेहूं	२०,०००	२०,०००	३०,०००
जुलाई, १९५८	गेहूं	३५,०००	३५,०००	१९,०००
	चना	६,०००	६,०००	गेहूं आ चुका है। शेष गेहूं, चावल व चना आ रहा है।
	चावल	५,०००	१,०००	
अगस्त, १९५८	गेहूं	४५,०००	३५,००००	

इसके अतिरिक्त कवाल (KAVAL) नगरों में केन्द्रीय सरकार के डिपोज से निम्नलिखित मात्रा में गेहूं प्राप्त हुआ--

	टन
मार्च, १९५८	१,५३४
अप्रैल, १९५८	१,६२३
मई, १९५८	१,८०३
जून, १९५८	२,३२१
२६ जुलाई, १९५८ तक	९,१९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५० पर)

१ मई, १९५८ को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनिर्णीत फर्स्ट और सेकेंड अपीलों की तालिका

	फर्स्ट अपील	४,८६०
	सेकेंड अपील	१३,०७०

साल जिसमें अपीलें दायर की गईं	फर्स्ट अपील	सेकेंड अपील
१९५८	२४६	१,४००
१९५७	५८२	२,४४७
१९५६	७०२	१,९५७
१९५५	५९१	१,९४९
१९५४	४६७	१,५३६
१९५३	३७४	१,५१२
१९५२	३८७	१,४५१
१९५१	३९३	६४६
१९५०	३६१	४५
१९४९	१९७	५
१९४८	२२५	८
१९४७	१५४	२
१९४६	११४	२
१९४५	५६	१
१९४४	१०	
१९४३	३	
१९४२	१	
१९४१	२	
१९४०	१	
१९३९	—	
१९३८	४	
योग ..	४,८६०	१३,०७०

पी० एस० यू० पी०—२० पी०—१२७ एल० ए०—१९५८—८३७ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा